इग्नू
जन-जन का विश्वविद्यालय

इंदिरा गांधी
राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
जेंडर एवं विकास अध्ययन विद्यापीठ

,e th, l&002
tsaMj fodkl y{;
,oa fØ;kdyki

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

[k.M
1
fodkl % igyw ,oa enns

bdkbZ 1
lefdr LFkk;h fodkl y{; 5

bdkbZ 2
f'k{kk] fodkl y{; vkSj dk'ky mUu;u 24

bdkbZ 3
vkfFkZd lalk/kuksa dk c<+kuk vkSj ,l,pth vkanksyu 45

bdkbZ 4
Lo lgk;rk lewg] l{ke _.k vk/kkfjr vkthfodk
vtZu foxzxoky;kdu 64

bdkbZ 5
fofu;u <kaps 86

dk;Øe :ikdu lfefr

प्रो. पूनम अग्रवाल, दिल्ली
प्रो. जया इन्द्रेसन, दिल्ली
डा. रीना रामचन्द्रन, गुडगांवा
प्रो. रतना सुदर्शन, दिल्ली
डा. किरण प्रसाद तिकपति
प्रो. छाया दत्तार, मुम्बई
प्रो पूनम धवन, जम्मू
प्रो ताप्तीवासु, कोलकाता
प्रो. सविता सिंह, नई दिल्ली
प्रो. मालाश्री लाल, दिल्ली
प्रो. हर्ष पारिश्व, मुम्बई
प्रो, सुधा राव, दिल्ली
प्रो. पारवती राजन, देवलाली
प्रो. जयंती घोष, दिल्ली
डा. शीला वीर, दिल्ली
डा. सुंदरी रामाकृष्णन, चेन्नई
प्रो. अर्चना शर्मा, गुवाहाटी
प्रो. अन्नू जें. थामस, नई दिल्ली
प्रो. एस.ए. वर्धीज, बैंगलोर
प्रो. विभूति पटैल, मुम्बई
प्रो. मैवेई कृष्णाराज, मुम्बई
डा. नूतन जैन, जयपुर
प्रो. रजनी पालरीवाला, दिल्ली
प्रो. शीरीन मूसवी, अलीगढ
डा. चन्द्रा आईनगार, मुम्बई
प्रो. वीना मिस्त्री, वडोदरा
डा. वानी श्री जे., नई दिल्ली
डा. जी.उमा, नई दिल्ली

Cykd fodkl Vhe

,dd y[kd	,dd :ikrj
इकाई–1 साथिया बामा	जी. उमा
इकाई–2 पूर्णिमा	वाणीश्री जे.
इकाई–3 रजनी मेनन	जी. उमा
इकाई–4 डोली सन्नी	जी. उमा
इकाई–5 दीपा शिखा साही	वाणीश्री जे.

dkl lg;kxh

प्रो. अन्नू जे. थामस
निदेशक और कार्यक्रम सहयोगी
जेंडर और विकास अध्ययन स्कूल
आई.जी.एन.ओ.यू.
नई दिल्ली

प्रो. सविता सिंह
कार्यक्रम सहयोगी,
जेंडर और विकास अध्ययन स्कूल
आई.जी.एन.ओ.यू.
नई दिल्ली

dkl lEiknd

कोर्स चेयर और सम्पादक
प्रो. विभूति पटेल, निदेशक
एसएनडीटी विमेनस यूनिवर्सिटी,

इन हाउस सम्पादन
अन्नू जे. थामस
एस.ओ.जी.डी.एस.
इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
नई दिल्ली

dkl lg;kxh

प्रो. अन्नू जे. थामस, और
डा. जी. उमा
एस.ओ.जी.डी.एस.
इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय

Cykd lg;kxh

डा. जी. उमा
एस.ओ.जी.डी.एस.
इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय

en.k mRiknu

मि. के. एन. मोहनन
वि. अधिकारी (प्रकाशन)
एम.पी.डी.डी
आई.जी.एन.ओ.यू
नई दिल्ली

सितंबर, 2014

© इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, 2014

ISBN-81-

सर्वाधिकार सुरक्षित। इस कार्य का कोई भी अंश इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की लिखित अनुमति के बिना किसी भी रूप में मिमियोग्राफ (मुद्रण) द्वारा या अन्यथा पुनः प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के बारे में और अधिक जानकारी विश्वविद्यालय के कार्यालय, मैदानगढ़ी,, नई दिल्ली–110 068 से प्राप्त की जा सकती है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की ओर से निदेशक (जेंडर एवं विकास अध्ययन विद्यापीठ) द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित ।

लेजर कम्पोजिंग : राजश्री कम्प्यूटर्स, V-166A, भगवती विहार, (नजदीक सेक्टर–2, द्वारका), उत्तम नगर, नई दिल्ली–110059

ikB;Øe iLrkouk

हमारे इन पाठ्यक्रम का शीर्षक – ''जेंडर, विकास लक्ष्य और सैद्धांतिक व्यवहार'' हैं। इसमें चार खंड और 20 इकाइयों का समावेशन है। खंड 1 का सरोकार विकास : पहलू एवं मुद्दों से है और इसमें पाँच इकाइयाँ हैं। खंड, विकास मुद्दों के विभिन्न पहलुओं और जेंडर से इसके संबंध पर चर्चा करता है। खंड 2, जेंडर एवं विकास की प्रक्रिया में सरकार और स्वैच्छिक क्षेत्र की भूमिका और इनकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को व्यक्त करता है। इस खंड में पाँच इकाइयाँ हैं। खंड 3 जेंडर संवेदनशील विकास लक्ष्यों को सूत्रबद्ध करने पर आधारित है। इसमें सम्मिलित मुद्दे हैं – नियोजन और नीति निर्माण में जेंडर मेनस्ट्रिमिंग की आवश्यकता; ग्रामीण–नगरीय विभाजन की व्याप्तता और परिणाम; कृषि, उद्योग और सेवाओं में महिलाओं का ऐतिहासिक दृष्टिकोण; भौतिक अवसंरचना और विकास के बीच कड़ी; और गंभीर जेंडर मुद्दों को दर्शाने वाली सामाजिक अवसंरचना की संक्षेप में प्रस्तुति। खंड 4 सामाजिक और जेंडर न्याय प्रदान करने में विकास प्रक्रिया और कानूनी व्यवस्था की भूमिका में सामाजिक न्याय की आवश्यकता को दर्शाता है। खंड, सामाजिक न्याय के संदर्भ में वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव पर भी ध्यान केंद्रित करता है।

[kM 1 iLrkouk

खंड का शीर्षक है : विकास : पहलू और मुद्दें। खंड में पाँच इकाइयाँ हैं और प्रत्येक इकाई विकास मुद्दों के भिन्न–भिन्न पहलुओं की जेंडर के परिप्रेक्ष्य में चर्चा करती है। इकाई 1 समेकित चिरस्थायी विकास लक्ष्यों और इसके महत्व पर ध्यान केंद्रित करती है। इकाई ने समय के साथ विकास लक्ष्यों की बदलती प्रकृति का भी पता लगाया है और अंततः बताया है कि समेकित विकास क्यों महत्वपूर्ण है। इकाई 2 का सरोकार शिक्षा के महत्व से है और यह शिक्षा पद्धति में जेंडर परिप्रेक्ष्यों के समावेशन की आवश्यकता को व्यक्त करती है। इकाई स्पष्ट करती है कि शिक्षा से महिलाओं और पुरुषों दोनों को एकसमान तरीके से अवसरों की प्राप्ति होनी चाहिए। इकाई 3, महिला आर्थिक सशक्तीकरण के पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करती है। इकाई, भारत में स्व सहायता समूह आंदोलन के जरिए आर्थिक संसाधनों को बेहतर बना कर निर्धनता उन्मूलन में इस सशक्तीकरण के योगदान को दर्शाती है। इकाई 4 का सरोकार सूक्ष्म ऋण और सूक्ष्म वित्त से है और यह बताती है कि किस प्रकार इसने महिलाओं के आजीविका निर्वाह को बेहतर बनाने में अपना योगदान दिया है। इकाई 5, महिलाओं की उत्पादनपरक और जनन संबंधी भूमिकाओं के संबंध में स्त्री–पुरुष समानता के आयामों और विनियामक ढांचे के परिचालन के महत्व की चर्चा करता है। यह इकाई, व्यापार संबद्ध विनियामक ढाँचों का जेंडर विश्लेषण भी प्रदान करता है और अंतरराष्ट्रीय व्यापार विनियम एवं स्त्री–पुरुष समानता संबंधी मुद्दों के बीच की कड़ी का विश्लेषण करती है।

bdkbl 1 lefdr LFkk;h fodkl y{;

bdkbl dh :ijs[kk

1.1 प्रस्तावना

1.2 उद्देश्य

1.3 महिला उत्थान के लिए यू एन कार्रवाई

1.3.1 कानूनी अधिकारों का संवर्धन

1.3.2 जेंडर विकास (1949 से 1957) आधारित कन्वेंशन

1.3.3 शिक्षा में भेदभाव (1960) के विरुद्ध कन्वेंशन

1.3.4 विवाह के लिए सहमति, विवाह के लिए न्यूनतम आयु का निर्धारण और विवाह–पंजीकरण (1962) आधारित कन्वेंशन

1.3.5 महिलाओं के प्रति हर प्रकार के भेदभाव को दूर करने पर आधारित कन्वेंशन (सीडा) (1979)

1.3.6 महिलाओं के प्रति हिंसा निवारण आधारित घोषणा (1993)

1.4 स्त्री–पुरुष समानता : अंतरराष्ट्रीय मंच

1.4.1 मेक्सिको शहर : प्रथम विश्व सम्मेलन (1975)

1.4.2 कोपेनहेगन : द्वितीय विश्व सम्मेलन (1980)

1.4.3 नैरोबी : विश्व भर में नारीवाद का उदय (1985)

1.4.4 बीजिंग : सफलता की गाथा (1995)

1.4.5 यू.एन. आम सभा समीक्षा (2000)

1.5 विकास आधारित अन्य कन्वेंशन/सम्मेलन

1.5.1 समष्टि एवं विकास आधारित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन (1994)

1.5.2 सहस्राब्दि विकास लक्ष्य (2000)

1.6 सारांश

1.7 शब्दावली

1.8 बोध प्रश्नों के उत्तर

1.9 कुछ उपयोगी पुस्तकें

1.10 चिंतन एवं अभ्यास हेतु प्रश्न

1-1 iLrkouk

अंतरराष्ट्रीय विकास या वैश्विक विकास ऐसी संकल्पना है। जिसे विश्व भर की स्वीकृत परिभाषा की प्राप्ति नहीं हुई है लेकिन इसका सर्वाधिक प्रयोग मानव विकास के संपूर्ण और बहुविषयक संदर्भ में सबसे अधिक होता है अर्थात् मनुष्यों के लिए काफी अच्छे किस्म के विकास में इसका प्रयोग किया जाता है। इसलिए यह संकल्पना मानव विकास से संबद्ध मुद्दों, विदेशी सहायता, शासन, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, स्त्री–पुरुष समानता, आपदा की तैयारी, बुनियादी ढाँचा, अर्थशास्त्र, मानव अधिकार, पर्यावरण आदि पर टिकी है।

fodkl % igy ,o enn

अंतरराष्ट्रीय विकास, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय या स्थानीय विकास से भिन्न होता है। यह खासतौर पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उत्पन्न संस्थानों (सिद्धांतों) और नीतियों का ताना–बाना है। ये संस्थान तृतीय विश्व के औपनिवेशिक देशों/विकासशील देशों और अल्पविकसित देशों की जीवन–यापन दशाओं को बेहतर बनाने और इनकी गरीबी को दूर करने पर केंद्रित हैं। जबकि दूसरी तरफ अंतरराष्ट्रीय विकास, विकासशील देशों की सहायता पर इनकी कुछ खास समस्याओं के दीर्घकालिक समाधानों को लागू करने का प्रयास करता है। अंतरराष्ट्रीय विकास इस संबंध में इन देशों के लिए ऐसी अनिवार्य क्षमता का सृजन करता है जो कि इनकी समस्याओं के संबंध में ऐसे चिरस्थायी समाधान देने के लिए आवश्यक है। इन देशों की खास समस्याओं को कम करने के लिए विश्व भर के संगठनों ने मानव खुशहाली के लिए बहुत से कन्वेंशनों और सम्मेलनों का आयोजन किया है। विश्व के सभी देशों के सर्वांगीण विकास को बेहतर बनाने के लिए बहुत से अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशनों/सम्मेलनों को अधिक विस्तृत रूप दिया गया। समाज के विविध पहलुओं पर टिकी लक्ष्य श्रृंखला या किसी खास समस्या पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इन कन्वेंशनों/सम्मेलनों में एकल, परिवर्तनात्मक लक्ष्य सम्मिलित हैं। संवर्धित (promoted) लक्ष्य वे हैं जिनमें क्षेत्र की संस्कृति, राजनीति भूगोलशास्त्र और अर्थव्यवस्था को प्रतिबिंबित करने वाली समस्या समाधान नीति सम्मिलित होती है। हाल ही में, इस क्षेत्र में ऐसी परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित हैं जो महिलाओं और बच्चों को सशक्त करने, स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं का निर्माण करने और पर्यावरण के लिए सजगता दर्शाने पर लक्षित हैं। विश्व के भिन्न–भिन्न भागों के बहुत से देश ऐसी कन्वेंशनों/सम्मेलनों के सदस्य थे। ऐसे देशों में से कुछ सम्मेलनों के लक्ष्यों से सहमत थे और कुछ असहमत भी थे। इस इकाई में हम स्त्री–पुरुष समानता और समता को बेहतर बनाने के संबंध में उभरने वाले महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों/कन्वेंशनों का अध्ययन करेंगे।

1-2 mn;

इस इकाई के अध्ययन के बाद आप :

- विश्व में अंतरराष्ट्रीय विकास कन्वेशनों के उद्भव के कारणों का वर्णन कर सकेंगे;
- महिला सशक्तीकरण के संबंध में मुख्य यू.एन कार्रवाइयों को सविस्तार समझा सकेंगे;
- विश्व भर में आयोजित विविध विकास कन्वेंशनों और सम्मेलनों की मूल उत्पत्ति एवं लक्ष्यों का पता लगा सकेंगे;
- विश्व भर में आयोजित विविध विकास कन्वेंशनों और सम्मेलनों की मूल उत्पत्ति एवं लक्ष्यों का पता लगा सकेंगे;
- विकास कन्वेंशनों को बेहतर बनाने में सम्मिलित विभिन्न प्रकार के संगठनों और निकायों का विश्लेषण कर सकेंगे; और
- इन विकास कन्वेंशनों की उपलब्धियों का मूल्यांकन कर सकेंगे।

1-3 efgyk mRFkku d fy, ;u dkjokb

महिला उन्नयन के लिए संयुक्त राष्ट्र ने अपनी गंभीरता वर्ष 1945 में अपनी स्थापना के साथ लगभग 60 वर्ष पहले जताई थी। इसके चार्टर में यू.एन. सदस्यों ने मूलभूत मानव अधिकारों और स्त्री एवं पुरुषों के एकसमान अधिकारों में अपनी आस्था की घोषणा की

थी। तभी से महिला उन्नयन हेतु यू.एन. कार्रवाई ने चार स्पष्ट दिशाओं का अनुसरण किया है। ये हैं :

- कानूनी पैमानों का संवर्धन;
- आम लोगों की राय और अंतरराष्ट्रीय कार्रवाई को एक माला में पिरोना;
- शोध एवं प्रशिक्षण; और
- सुविधावंचित समूहों को प्रत्यक्ष सहायता प्रदान करना।

1-3-1 dkuuh vfèkdkjk dk loèku

कानूनी रूप से परिसीमित यू.एन. कन्वेंशनों या संधियों ने महिला मानव अधिकारों को परिभाषित एवं सवंर्धित करने में सहायता की है। सभी राज्य दल ऐसी संधियों के प्रावधान और महिलाओं को कानूनी सुरक्षा प्रदान करने की बात का सम्मान करते हुए इन दोनों के प्रति समर्पित हैं। ऐसे कानूनी प्रपत्रों में सम्मिलित हैं।

1-3-2 tMj fodkl ¼1949 l 1957½ vkèkkfjr dUo'ku

मानव देह व्यापार निवारण संबंधी कन्वेंशन और वेश्यावृत्ति के जरिए शोषण को रोकने पर आधारित कन्वेंशन ऐसे दुष्कर्मों के लिए सजा की मांग करते हैं।

एकसमान पारिश्रमिक आधारित आईएलओ कन्वेंशन (1951) एक समान मूल्य या महत्व के काम के लिए एकसमान वेतन के सिद्धांत और व्यवहार की स्थापना करता है।

महिलाओं के राजनीतिक अधिकार पर आधारित कन्वेंशन (1952) सदस्य राज्यों को महिलाओं को वोट देने की अनुमति देने और एकसमान शर्तों पर महिलाओं को पुरुषों के साथ सरकारी कार्यालयों में पदों पर आसीन होने की अनुमति देने के लिए वचनबद्ध करता है।

विवाहित महिलाओं की नागरिकता आधारित कन्वेंशन (1957) विवाहित महिलाओं के नागरिकता के अधिकार को सुरक्षित बनाए रखने पर लक्षित हैं।

1-3-3 f'k{kk e HkknHkko ¼1960½ d fo#) dUo'ku

संयुक्त राष्ट्र–शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन के सामान्य सम्मेलन का आयोजन पेरिस में 14 नवम्बर से 15 नवम्बर तक, इसके 11वें सत्र के दौरान हुआ। इसका लक्ष्य शिक्षा के क्षेत्र में भेदभाव और पृथक्करण को हटाना है। यह वर्ष 1962 से अस्तित्व में आया। अन्य एक अतिरिक्त प्रोटोकॉल इंस्टीट्यूशन ए कॉनिसलिएशन एंड गुड ऑफिसिस कमीशन को वर्ष 1962 में अंगीकृत किया गया और यह वर्ष 1968 से अस्तित्व में आया। इन कन्वेंशनों के बाद विश्व में बहुत से कन्वेंशनों की सृजना की गई। अंतिम सत्र का आयोजन 98 सदस्य राज्यों के साथ सितम्बर, 2010 में किया गया (प्रोटोकॉल–34)।

Ek[; y{;

1. मानव अधिकारों की सार्विक घोषणा को स्मरण करते हुए गैर–पक्षपात के सिद्धांत पर बल देना और उद्घोषणा करना कि हर व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है।
2. विचारना कि शिक्षा में पक्षपात, अधिकारों का उल्लंघन करना है।

3. विचारना कि इसके संविधान की शर्तों के अंतर्गत यूनेस्को का मुख्य उद्‌देश्य राष्ट्रों में आपसी सहयोग की भावना जाग्रत कर, शैक्षिक अवसरों की समानता और हर देश में मानव अधिकारों के लिए सम्मान की भावना को मजबूत बनाना है।

4. स्वीकारते हुए कि, परिणामस्वरूप, यूनेस्को जहाँ राष्ट्रीय शैक्षिक पद्धतियों की विविधता का सम्मान करता है वहीं शिक्षा में किसी भी किस्म के भेदभाव को रोकना और शिक्षा में सभी के लिए एक समान अवसर और समान व्यवहार की भावना को बेहतर बनाना भी इसका एक मुख्य कर्त्तव्य है। लक्ष्य बिना भेदभाव के शिक्षा का लाभ उठाने के संबंध में सभी व्यक्तियों के एकसमान अधिकार पर लक्षित है।

ckèk iz'u 1

ukV : i) प्रश्नों के उत्तर नीचे दिए गए खाली स्थान में लिखिए।
ii) अपने उत्तर की तुलना इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए।

1. शिक्षा में भेदभाव मिटाने पर लक्षित कन्वेंशन के लक्ष्यों का संक्षेप में वर्णन कीजिए।

....

....

....

....

1-3-4 fookg dh fy, lgefr] fookg dh fy, U;wure vk;q dk fuèkkZj.k vkSj fookg&iathdj.k ¼1962½ vkèkkfjr dUosa'ku

विवाह संबंधी मानकों पर संयुक्त राष्ट्र में एक संधि पर सहमति व्यक्त की गई। संधि पर 7 नवम्बर 1962 को आम सभा प्रस्ताव 1763ए (XVII) द्वारा हस्ताक्षर एवं अनुसमर्थन के लिए इसे खोला गया और यह संधि 9 दिसम्बर 1964 से लागू हुई। कन्वेंशन पुनः विवाह की सहमतिपरक प्रकृति को स्वीकारती है और इस बात को मानती है कि विवाह के लिए पक्षों को कानूनी तौर पर निर्धारित न्यूनतम आयु का निर्धारण करना चाहिए और विवाह का पंजीकरण भी सुनिश्चित करना चाहिए। विवाह के लिए सहमति, विवाह के लिए न्यूनतम आयु का निर्धारण और विवाह संबंधी पंजीकरण (1962) पर आधारित कन्वेंशन में निर्णय लिया गया कि कोई भी विवाह दोनों पक्षों की रजामंदी के बिना संपन्न नहीं हो सकता।

1-3-5 efgykvksa ds izfr gj izdkj ds HksnHkko dks nwj djus ij vkèkkfjr dUosa'ku ¼lhMk½ ¼1979½

यह एक अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन है जिसे संयुक्त राष्ट्र आम सभा, न्यूयार्क सिटी द्वारा 18 दिसम्बर 1979 को अंगीकृत किया गया। यह महिला अधिकारों का एक अंतरराष्ट्रीय विधेयक (बिल) है और यह 3 सितम्बर 1981 को अस्तित्व में आया। इस कन्वेंशन के 186 देश सदस्य हैं। कन्वेंशन का मुख्य लक्ष्य स्त्री–पुरुष समानता को बेहतर बनाना और महिलाओं से किए जाने वाले भेदभाव को कम और इसका उन्मूलन करना है।

कन्वेंशन महिलाओं के प्रति भेदभाव को महिला होने के नाते इन्हें अलग मानना, इन्हें कुछ खास कामों से अलग रखना या कुछ ऐसी खास बातों के मद्‌देनजर इन पर पाबंदी

लगाने के रूप में परिभाषित करता है जो किसी खास उद्देश्य से इनकी विवाहित स्थिति, महिला और पुरुष के बीच समानता के आधार पर या मानव अधिकारों के मद्देनजर या राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सिविल या अन्य किसी क्षेत्र में इन्हें जो भी मूलभूत स्वतंत्रता मिली है अर्थात् इन सभी को बिना विचारे इन्हें प्राप्त मान्यता, स्वतंत्रता या इनके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले अधिकारों को अवरुद्ध या इनका पूर्णतया सफाया करने पर लक्षित है। कन्वेंशन महिला होने क नाते इनके प्रति भेदभाव को समाप्त करने के लिए एजेंडा ऑफ एक्शन की स्थापना भी करता है।

महिलाओं के प्रति हर प्रकार के भेदभाव को दूर करने पर गठित सभा में विभिन्न संयुक्त राष्ट्र सदस्य राज्यों के महिला मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने वाले जानकार सम्मिलित हैं। समिति का आयोजन वर्ष में दो बार कन्वेंशन प्रावधानों का अनुपालन करने पर निर्मित रिपोर्टों की समीक्षा करने के लिए किया जाता है। हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्रों के लिए हर चार वर्षों में इन रिपोर्टों की प्रस्तुति करना आवश्यक होता है। समिति, आठ संयुक्त राष्ट्र –संबद्ध मानव अधिकार संधि निकायों में से एक है।

समिति के सदस्य जिन्हें कन्वेंशन में सम्मिलित क्षेत्रों में बेहद सक्षम एवं उच्च स्तरीय जानकारों के रूप में व्यक्त किया जाता है, इनका चयन हर दो वर्षों में आयोजित सांतर (staggered) चुनावों में चार वर्षों के लिए किया जाता है। समिति में अध्यक्ष, तीन उपाध्यक्ष और संवक्ता सम्मिलित होते हैं। संतुलित भौगोलिक प्रतिनिधित्व और विश्व में सभ्यता और कानून व्यवस्थाओं के भिन्न–भिन्न रूपों का समावेशन सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

बहुत से देशों ने कुछ खास घोषणाओं, आरक्षणों और आपत्तियों के मद्देनजर कन्वेंशन का समर्थन किया है। सात संयुक्त राष्ट्र सदस्य राज्यों ने कन्वेंशन का समर्थन नहीं किया है। इनमें ईरान, सोमालिया, सुडान जैसे इसलामी राज्य और नेरु (Nauru), प्लाओ (Palau) और टोंगा जैसे लघु प्रशांतीय द्वीप शामिल हैं। इसके अलावा नाइयू (Niue) और वेटिकन सिटी ने भी हस्ताक्षर नहीं किए हैं। महिलाओं के प्रति हर प्रकार के भेदभाव को दूर करने पर आधारित वैकल्पिक प्रोटोकॉल, कन्वेंशन में प्रस्तुत ऐसा
करारनामा था जो इसमें सम्मिलित पक्षों को महिलाओं के प्रति हर प्रकार के भेदभाव को दूर करने पर गठित समिति के सामर्थ्य की पहचान करने की अनुमति प्रदान करता था ताकि इस आधार पर ये व्यक्ति–विशेषों की शिकायतों पर विचार कर सकें। यह प्रोटोकॉल यू एन आम सभा द्वारा 6 अक्तूबर 1999 को अंगीकृत किया गया और 22 दिसंबर 2000 से अस्तित्व में आया। फिलहाल इसके 79 हस्ताक्षरकर्ता और 100 पक्ष हैं।

lhMk & dk;kZo;u lacaèkh leL;k {k=

बहुत से विकसित और विकासशील देशों, राज्यों और गैर सरकारी संगठनों ने सीडा के अपने विचारों की प्रस्तुति के नजरिए से विवादास्पद पाया है। इनका मानना है कि यह पश्चिमी रूपी मूल नारीवाद को बढ़ावा दे रहा है। वर्ष 2000 की एक बेलरस रिपोर्ट के अनुसार, ''समिति महिलाओं की भूमिका से जुड़ी रूढ़िवादिताओं की निरंतर मौजूदगी और मदर डे और मदर्स अवार्ड जैसे प्रतीकों की पुनः पुस्तुति को लेकर गंभीर है क्योंकि समिति का मानना है कि ये सभी प्रतीक/चिह्न आदि महिलाओं की पारंपरिक भूमिकाओं को बढ़ावा देते हैं''।

सीडा के अन्य विवादास्पद रुख में सम्मिलित है – किन्हीं खास देशों में वेश्वावृति को अपराध न मानने की बात को समर्थन देना, स्लोविनिया की इसलिए भर्त्सना करना क्योंकि यहाँ कुल 30% बच्चे ही शिशु गृह की सेवाओं का लाभ उठा पाते हैं और बहुत से राज्यों पर दबाव डालना कि वे गर्भपात कराने को अपराध न मानें। बहुत से समूहों

द्वारा ऐसे निवेदनों को परोक्ष रूप से आगे करना जो राज्य दलों को एक समान अधिकार संशोधन या ऐसी ही राष्ट्रीय विधान को अपनाने के लिए, इन पर दबाव डालते हैं, जिसे अन्यथा सीडा संधि संकल्प और राज्य दलों की प्रभुसत्ता के उल्लंघन के रूप में देखा जाता है। आस्ट्रेलियाई और निष्क्रिय (defunct) न्यूजीलैंड नारीवादी–विरोधी समूहों ने भी वर्ष 1980 के आरंभ में समान मुद्दों को उठाया था।

हाल ही में सीडा, गर्भपात सुविधाओं और गर्भनिरोधक उपायों तक आसान पहुँच के सवाल पर विवाद का मुख्य मुद्दा बना हुआ है। बहुत से इस्लामी देश सीडा को पश्चिमी राष्ट्रों के प्रति सांस्कृतिक आधार पर इनके रंग में रंगा मानते हैं और इसलिए इन सभी ने अंततः कुछ ऐसे तत्वों पर अपना कड़ा रुख दिखाया है जिन्हें ये इस्लामी शरिया कानून के एकदम विरुद्ध पाते हैं। संक्षेप में बहुत से विकसित और इस्लामी देशों ने इसका विरोध किया। बहुत से देशों में इसकी विफलता साफतौर पर नज़र आई और यह भी देखा गया कि कुछ विकासशील देशों पर इसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा।

1-3-6 efgykvksa ds izfr fgalk fuokj.k vk/kkfjr ?kks"k.kk ¼1993½

संयुक्त राष्ट्र आम सभा में 20 दिसंबर, 1993 को इसके प्रस्ताव 48/104 के आधार पर बिना मत के, इस घोषणा को अंगीकृत किया गया। इस घोषणा को ''सभी मनुष्यों की समानता, सुरक्षा, आजादी, अखंडता और आत्मसम्मान के संबंध में महिला अधिकारों और सिद्धांतों को हर जगह एकसमान तरीके से लागू कराने की तात्कालिक आवश्यकता के रूप में देखा गया''।

इस प्रस्ताव को अक्सर महिलाओं के प्रति हर प्रकार के भेदभाव को दूर करने पर आधारित कन्वेंशन को सुदृढ़ बनाने और इसे आगे बढ़ाने के रूप में देखा जाता है। यह प्रस्ताव, महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा पर निर्मित मानव अधिकार सार्वभौमिक घोषणा में उल्लिखित अधिकारों और सिद्धांतों का स्मरण करती है और सुनिश्चित रूप से इन्हें व्यक्त करती है। प्रस्ताव के परिणाम के रूप में डोमिनिसिय रिपब्लिक के प्रतिनिधियों की अगुआई में वर्ष 1999 की आमसभा में 25 नवम्बर को महिलाओं के प्रति हिंसा निवारण के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया। प्रस्ताव का मुख्य लक्ष्य महिलाओं के प्रति हर प्रकार के भेदभाव और हिंसा को कम करना था और सरकार के इस मौजूदा नज़रिए को पलटना था कि महिलाओं के प्रति हिंसा निजी और घरेलू मसला है और इसमें सरकारी हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

miyfC/k;ka

4 मार्च 1994 को घोषणा के परिणाम के रूप में मानव अधिकारों पर गठित आयोग ने प्रस्ताव 1994/45 को अंगीकृत किया और जिसमें महिलाओं के प्रति हिंसा के कारणों और परिणामों सहित, इन्हें रोकने के लिए राधिका कुमारस्वामी को इसकी प्रथम संयुक्त राष्ट्र विशेष संवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया। विशेष संवक्ता को सरकारों, संधि निकायों, विशिष्ट एजेंसियों, गैर सरकारी संगठनों और अन्य इच्छुक दलों से आंकड़ें एकत्र करने और इनका विश्लेषण करने और इनसे प्राप्त सूचना पर असरदार तरीके से प्रतिक्रिया व्यक्त करने का अधिकार प्राप्त है। तत्पश्चात्, अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर जरूरी सुझाव देने और मानव अधिकारों पर गठित आयोग के स्वतंत्र जानकारों, कार्यकारी समूहों, विशेष प्रतिनिधियों और अन्य विशेष संवक्ताओं से समन्वय स्थापित करने में भी, इन सभी की अपनी–अपनी भूमिकाएं हैं। बहुत से विकासशील देशों ने महिलाओं के प्रति हिंसा का उन्मूलन करने के संबंध में विशेष कदम उठाए हैं।

मिस्र, पाकिस्तान, सुडान और यूएन के प्रतिनिधियों ने भी महिलाओं के प्रति हिंसा की भर्त्सना करने और वर्ष 2003 में महिला स्थिति पर गठित यूएन आयोग में सरकार द्वारा

महिलाओं के प्रति हिंसा उन्मूलन पर निर्मित घोषणा के आधार पर इसके उन्मूलन के संबंध में इनके कर्तव्यों को अनदेखा करने के लिए किसी परंपरा, रीति–रिवाज या धार्मिक विचार की उत्पत्ति पर रोक लगाने पर आपत्ति जताई। प्रत्येक वर्ष, महिला हिंसा उन्मूलन के लिए गठित अंतरराष्ट्रीय दिवस, महिला हिंसा के विरुद्ध 16 दिवसों के सक्रिय कार्य की शुरूआत का आह्वान करता है। मानव अधिकार संगठन जैसे कि सेंटर फॉर विमेन ग्लोबल लीडरशिप, यूनीफेम, विमेन वोन्ट वेट, विमेन फॉर चेंज, विमेन्स अेड और ऐसे ही अन्य समूह महिला हिंसा के विरुद्ध आवाज उठाने और घोषणा के अधिकारों और सिद्धांतों के महत्व को बढ़ाने के लिए एक–दूसरे का हाथ थामते हैं।

1-4 L=h&i#"k lekurk % vrjjk"Vh; ep

पिछले 20 वर्षों में संयुक्त राष्ट्र ने महिलाओं पर चार वैश्विक सम्मेलनों का आयोजन किया है। ये हैं – मेक्सिको सिटी (1975), कोपेनहेगन (1980), नैरोबी (1985) और बीजिंग (1995)। ये सम्मेलन स्त्री–पुरुष समानता संबंधी अवरोधों को परिभाषित करने और इन्हें नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने में सहायक सिद्ध हुए हैं।

bfrgkl d ifji{; e

पिछले 25 वर्षों में संयुक्त राष्ट्र द्वारा महिलाओं पर आयोजित चार विश्व स्तरीय सम्मेलन स्त्री–पुरुष समानता को बढ़ावा देने में अहम रहे हैं। विश्व में हर जगह वह चाहे सार्वजनिक हो या फिर निजी जीवन अर्थात् हर क्षेत्र में महिला उन्नयन की प्रभावी कार्ययोजना और सामान्य उद्देश्यों ने समूचे अंतरराष्ट्रीय समुदाय को एकसूत्र में पिरो दिया है।

वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र के गठन के प्रारंभिक चरणों में स्त्री–पुरुष समानता संबंधी संघर्ष निरंतर जारी था। मूल 51 सदस्य राज्यों में से सिर्फ 30 ने अपने देश की महिलाओं को पुरुषों की भांति एकसमान मताधिकार प्रदान किए या इन्हें सरकारी कार्यालयों में काम करने की अनुमति प्रदान की। यद्यपि, संयुक्त राष्ट्र चार्टर का मसैदा तैयार करने वालों की पुरुषों और महिलाओं के समान अधिकारों को सोच समझ कर दर्शाने की दूरदृष्टि थी क्योंकि इन मसौदा निर्माताओं ने ''मूलभूत मानव अधिकारों और मनुष्य के आत्मसम्मान और काबलियत में'' संगठन की आस्था व्यक्त की थी। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के मसौदानिर्माताओं के बावजूद इसके संगठन द्वारा ''मूलभूत मानव अधिकारों में आस्था'' और ''मनुष्य की प्रतिष्ठा और काबलियत'' को सुविचारित तरीके से ''महिलाओं और पुरुषों के एकसमान अधिकार'' कहना, शायद पहले से मालूम था। कोई भी पिछला अंतरराष्ट्रीय कानूनी दस्तावेज सभी मनुष्यों को एकसमान मानने या भेदभाव के नज़रिए से, आधार के रूप में विशेष रूप से महिलाओं को ध्यान में रखते हुए इस बात के इतना निश्चिततापूर्वक पहले नहीं कह पाया था। उस समय यह बात साफ हो गई थी कि भावी कार्यों में महिला अधिकारों की अहम् भूमिका होगी।

पहले तीन दशकों के दौरान महिलाओं की तरफ से संयुक्त राष्ट्र ने मूल रूप से महिलाओं के कानूनी और सिविल अधिकारों को कोडबद्ध करने और विश्व भर में महिलाओं की स्थिति पर आँकड़े एकत्र करने पर ध्यान केंद्रित किया। समय के साथ, हाँलाकि यह बात तेजी से स्पष्ट हो गई कि महिला संबंधी कानून, महिलाओं के एकसमान अधिकार सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त नहीं थे।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा महिला–उन्नयन की कार्यनीतियाँ और कार्य–योजनाएं विकसित करने के लिए इसके द्वारा चार विश्व स्तरीय सम्मेलनों का आयोजन, स्त्री–पुरुष समानता के संघर्ष के दूसरे चरण में प्रवेश को दर्शाता है। ऐसे प्रयास बहुत सी

प्रावस्थाओं और बदलावों के दौर से गुजरे, जैसे कि महिलाओं का अपनी विकास संबंधी आवश्यकताओं से समूची विकास प्रक्रिया में अपने अनिवार्य योगदान को पहचानना, अपने सशक्तीकरण और मानव गतिविधि के सभी स्तरों पर पूर्ण सहभागिता के अपने अधिकार के महत्व को बढ़ावा देने का प्रयास करना। इस संबंध में चार विश्वस्तरीय सम्मेलनों का मेक्सिको शहर (1975), कोपनहेगन (1980), नैरोबी (1985), और बीजिंग (1995) में आयोजन किया गया।

1-4-1 eSfDldks 'kgj ½ iFke fo'o lEesyu ¼1975½

1975 अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष के आयोजन के साथ–साथ महिला–स्थिति पर प्रथम विश्व सम्मेलन का आयोजन मेक्सिको शहर में किया गया। सम्मेलन के आयोजन का मुख्य कारण अंतरराष्ट्रीय समुदाय को फिर से याद दिलाना था कि महिलाओं के प्रति भेदभाव लगभग पूरे विश्व की एक महत्वपूर्ण मौजूदा समस्या है। सम्मेलन और इसके पाँच महीनों के बाद आम सभा द्वारा उद्घोषित संयुक्त राष्ट्र महिला दशक (1976–1985) ने स्त्री–पुरुष समानता पर विश्वव्यापी संवाद–मार्ग खोलते हुए महिला उन्नयन के महत्व को बढ़ाने के वैश्विक प्रयासों से नवयुग का आगाज़ किया। "सीखने की प्रक्रिया की शुरूआत की गई जिसमें समझौते की बातचीत, उद्देश्यों का निर्धारण, अड़चनों की पहचान, विचार–विमर्श और अभी तक की प्रगति की समीक्षा करना जैसे कामकाजों पर ध्यान केंद्रित किया जाना था।

संयुक्त राष्ट्र आम सभा ने आगामी लक्ष्यों, प्रभावी कार्यनीतियों और महिला–उन्नयन की कार्य–योजनाएं विकसित करने की आवश्यकता पर अंतरराष्ट्रीय ध्यान केंद्रित करने के लिए मेक्सिको सिटी सम्मेलन का आयोजन किया। परिणामस्वरूप, आम सभा ने ऐसे तीन मुख्य उद्देश्यों की पहचान की जो महिलाओं की तरफ से संयुक्त राष्ट्र के कामकाजों का आधार था, जैसे कि :

- पूर्ण स्त्री–पुरुष समानता और महिलाओं के प्रति शोषण का अंत;
- विकास में महिला एकीकरण एवं इनकी पूर्ण सहभागिता; और
- विश्व स्तर पर शांति बनाए रखने को सुदृढ़ करने में महिलाओं का निरंतर बढ़ता योगदान।

सम्मेलन ने विश्व कार्य–योजना अपनाते हुए एक दस्तावेज तैयार किया जो आम सभा द्वारा निर्धारित तीन मुख्य उद्देश्यों के मद्देनज़र आगामी दस वर्षों में सरकारों और अंतरराष्ट्रीय समुदाय को अनुसरणीय दिशा–निर्देश प्रदान किए। कार्य–योजना ने वर्ष 1980 तक, शिक्षा, रोजगार अवसर, राजनीतिक सहभागिता, स्वास्थ्य सेवाओं, आवासीय, पोषण और परिवार नियोजन जैसे संसाधनों तक महिलाओं की एक समान पहुँच सुरक्षित करने के लिए कुछ खास लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित किया।

इस दृष्टिकोण ने भारी बदलाव को दर्शाया जो कि दरअसल 1970 के दशक के आरंभ से ही महिलाओं को लेकर विकसित की गई थी, जबकि इससे पहले महिलाओं को सहयोग एवं सहायता की दृष्टि से निष्क्रिय सहभागी के रूप में देखा जाता था। लेकिन अब इन्हें पुरुष के समान पूर्ण एवं एकसमान सहभागी माना जाने लगा था जिनके संसाधनों और अवसरों की प्राप्ति को लेकर समान अधिकार थे। इसी तरह विकास संबंधी दृष्टिकोण में भी समान बदलाव नज़र आया। यह सोच पहले इस बात पर टिकी थी कि विकास करने का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के स्तर को बेहतर बनाना है लेकिन अब नयी सोच ने यह दर्शाया कि सभी का मानना है कि अब विकास महिलाओं की पूर्ण सहभागिता के बिना संभव ही नहीं है। सम्मेलन में सरकारों को राष्ट्रीय कार्यनीतियाँ

सूत्रबद्ध करने और महिलाओं की एकसमान सहभागिता के महत्व को बेहतर बनाने में सरकारों के प्रयासों में लक्ष्यों और प्राथमिकताओं को पहचानने पर जोर देने को कहा गया, संयुक्त राष्ट्र महिला दशक की समाप्ति पर, 127 सदस्य राज्यों ने कुछ खास प्रकार के राष्ट्रीय तंत्र को स्थापित कर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की, जबकि नीति, शोध और कार्यक्रमों के उन्नयन से सरोकार रखने वाले संस्थानों ने विकास में महिला–उन्नयन और सहभागिता पर ध्यान केंद्रित किया।

संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था के दायरे में महिला–उन्नयन के लिए पहले से मौजूद शाखा (अब प्रभाग) के अलावा, मेक्सिको सिटी सम्मेलन के फलस्वरूप महिला एवं विकास के क्षेत्र में शोध, प्रशिक्षण और परिचालन संबंधी गतिविधियों के लिए संस्थागत ढांचा प्रदान करने के लिए अंतरराष्ट्रीय महिला उन्नयन शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान (इनस्ट्रा) और संयुक्त राष्ट्र महिला विकास निधि (यूनीफेम) की स्थापना की गई। मेक्सिको सिटी में आयोजित सभा का एक महत्वपूर्ण पहलू था कि महिलाओं ने स्वयं चर्चा को साकार करने में बेहद अहम् भूमिका निभाई थी। सभा में आमंत्रित 133 सदस्य राज्य प्रतिनिधि मंडलों में से 113 की अगुआई महिलाओं ने की थी। महिलाओं ने लगभग 4000 सहभागियों को आकृष्ट करने वाले समांतर एनजीओ मंच और अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष ट्रिब्यून का भी आयोजन किया।

मंच पर एकत्रित महिलाओं ने ऐसे खास बदलावों को दर्शाया, जिनसे उस समय की राजनीतिक एवं आर्थिक सच्चाइयों का पता चलता था। पूर्वी देशों की महिलाओं की रूचि ज्यादातर शांति के मुद्दों में थी जबकि पश्चिमी देशों की महिलाओं ने समानता पर जोर दिया और विकासशील देशों की महिलाओं ने विकास के मुद्दे को अपनी प्राथमिकता जतलाई। बावजूद ऐसे बदलाव के विश्व के भिन्न–भिन्न भागों की सूचनाओं और मत के आदान–प्रदान के लिए भिन्न–भिन्न संस्कृतियों और पृष्ठभूमियों की महिलाओं और पुरुषों को एकसाथ लाने में मंच ने बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऐसे प्रयास से एक खास प्रक्रिया को शुरू करने में भी सहायता मिली जिससे महिला–दशक की समाप्ति तक अंतरराष्ट्रीय महिला आंदोलन को एकसूत्र में पिरो दिया। मंच की ऐसे गैर सरकारी संगठनों की ओर संयुक्त राष्ट्र के आगे बढ़ने में भी खास भूमिका थी, जिन्होंने संगठन की नीति–निर्णयन प्रक्रिया में महिलाओं को अपनी आवाज पहुँचाने में सहायता प्रदान की थी। इससे वर्ष 1976–1985 की समयवधि की संयुक्त राष्ट्र महिला दशक के रूप में उद्घोषणा की गई।

1-4-2 dkiuguxu % f}rh; fo'o lEeyu ¼1980½

सभी का यह मानना था कि 1975 विश्व कार्य योजना की समीक्षा एवं संवीक्षा पर आयोजित द्वितीय विश्व सम्मेलन के लिए वर्ष 1980 में कोपनहेगन में 145 सदस्य राज्यों के प्रतिनिधियों का मिलना एक महत्वपूर्ण प्रगतिशील कदम था। सरकारों और अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने पाँच वर्ष पहले से ही मेक्सिको शहर में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के प्रति विशेष प्रयास करने आरंभ कर दिए थे।

महिला समानता का एक सर्वाधिक सशक्त साधन – महिलाओं के प्रति हर प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर दिसम्बर 1979 में आयोजित कन्वेंशन में आम सभा द्वारा इसे अंगीकृत करना, एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। कन्वेंशन जिसे ''महिला अधिकार विधेयक'' कहा गया जो कि कानूनी तौर पर ऐसे 165 राज्यों को आपस में जोड़ता है जो अब राज्य दलों के रूप में समर्थन के एक वर्ष और तत्पश्चात् हर चार वर्षों में कन्वेंशन को लागू करने में इनके सम्मुख आने वाली अड़चनों को दूर करने में इनके द्वारा उठाए गए कदमों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करती है।

10 दिसम्बर 1999 को मानव अधिकार दिवस पर हस्ताक्षर करने के लिए कन्वेंशन में वैकल्पिक प्रोटोकाल की शुरूआत की गई ताकि महिला होने के नाते महिलाओं को शोषण झेलने के कारण पीड़ित के रूप में अंतरराष्ट्रीय संधि निकाय में अपनी शिकायत दर्ज कराने के योग्य बनाया जा सके। इसके लागू होने पर यह कन्वेंशन व्यक्ति–विशेष शिकायत कार्यपद्धति वाले अन्य अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार प्रपत्रों जितना ही महत्वपूर्ण माना गया।

ऐसी प्रगति के बावजूद, कोपनहेगन सम्मेलन ने इस बात को मान्यता प्रदान की कि महिलाओं के लिए सुरक्षित अधिकार और इन अधिकारों को लागू करने में महिलाओं की योग्यता के बीच असमानता के संकेत उत्पन्न होने शुरू हो गए थे। इस मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सम्मेलन ने तीन ऐसे खास क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया, जहाँ मेक्सिको सिटी सम्मेलन द्वारा निर्धारित समानता, विकास और शांति में विस्तृत लक्ष्यों तक पहुँच के लिए इन क्षेत्रों पर खास कार्रवाई योजना बनाना बेहद जरूरी था। ये तीन क्षेत्र थे :

- शिक्षा तक समान पहुँच
- रोज़गार के अवसर और
- पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं

कोपनहेगन सम्मेलन में आयोजित सुविचारित चर्चा राजनीतिक तनाव के वातावरण में की गई और ऐसा कुछ तनाव मेक्सिको सिटी सम्मेलन के साथ निरंतर आगे बढ़ता गया। फिर भी, सम्मेलन में यद्यपि यह बात सर्वसम्मति से आगे नहीं बढ़ी फिर भी ऐसी कार्यक्रम–योजना को अपनाना लगभग तय हो गया जिसने महिला के लिए निर्मित कानूनी अधिकारों और इन अधिकारों को लागू कराने में महिलाओं की योग्यता के बीच उत्पन्न विविध प्रकार की निम्नलिखित समेत, बहुत सी अन्य खामियों को दर्शाया थाः

- समाज में महिलाओं की भूमिका को बेहतर बनाने में पुरुषों की पर्याप्त सहभागिता का अभाव;
- अपर्याप्त राजनीतिक इच्छा शक्ति;
- समाज के प्रति महिला योगदान के महत्व को न स्वीकारना;
- योजना बनाते समय महिलाओं की खास जरूरतों पर ध्यान न देना;
- निर्णायकों के रूप में महिला संख्या में घटोतरी;
- सहकारी समितियाँ, डे–केयर सेंटरों और ऋण सुविधाओं जैसे राष्ट्रीय मुद्दों में महिलाओं की भूमिका को सहयोग देने वाली अपर्याप्त सेवाएं;
- अनिवार्य वित्तीय संसाधनों का अभाव;
- महिलाओं के लिए उपलब्ध सेवाओं के बारे में महिलाओं में जागरूकता का अभाव।

इन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, अन्य जरूरी उपायों के अलावा, कोपेनहेगन प्रोग्राम ऑफ एक्शन ने संपति में महिला स्वामित्व और नियंत्रण सुनिश्चित करने और साथ ही महिलाओं के पैतृक अधिकारों और बच्चे के संरक्षण और नागरिकता न मिलने जैसे अधिकारों को बेहतर बनाने के लिए अधिक सुदृढ़ राष्ट्रीय उपायों की मांग पर जोर दिया। सम्मेलन में उपस्थित प्रतिनिधियों ने महिलाओं के प्रति रूढ़िवादी सोच की समाप्ति पर भी जोर दिया। कोपनहेगन सम्मेलन ने दशक के अंतिम पाँच वर्षों के लिए कार्य योजना को अंगीकृत किया।

1-4-3 ujkcch % fo'o Hkj esa ukjhokn dk mn; ¼1985½

स्त्री–पुरुष समानता के आंदोलन को सही मायने में वैश्विक स्तरीय पहचान तृतीय विश्व महिला सम्मेलन के आयोजन के रूप में प्राप्त हुई। संयुक्त राष्ट्र महिला दशक : समानता, विकास और शांति की उपलब्धियों की संवीक्षा करने के उद्देश्य से वर्ष 1985 में नैरोबी में विश्व सम्मेलन का आयोजन किया गया। गैर सरकारी संगठनों के अनुमानित 15,000 प्रतिनिधियों ने समांतर गैर सरकारी संगठन मंच में अपनी उपस्थिति दर्ज करायी थी। बहुत से सहभागियों ने सम्मेलन को *''वैश्विक नारीवाद के उदय''* के रूप में संबोधित किया। मैक्सिको सम्मेलन में वैश्विक राजनीति और आर्थिक सच्चाइयों द्वारा विभाजित महिला आंदोलन अब समानता, विकास और शांति के तले समेकित अंतरराष्ट्रीय बल का रूप धारण कर चुका था। इस उपलब्धि की प्राप्ति की चर्चा, समझौतापरक बातचीत और निरंतर इस मुद्दे को दोहराये जाने की प्रक्रिया के जरिए एकत्रित कार्य, सूचना, ज्ञान और अनुभव के दशक के बाद हुई थी।

साथ ही, प्रतिनिधियों को कुछ चौकाने वाली रिपोर्टों का सामना भी करना पड़ा था। संयुक्त राष्ट्र द्वारा एकत्रित आंकड़ों से पता चला कि भेदभाव को कम करने के लिए महिलाओं की स्थिति और प्रासंगिक प्रयासों में होने वाले सुधारों ने कुछ खास महिला अल्पसंख्यकों को ही लाभान्वित किया था। विकासशील जगत में महिलाओं की स्थिति में होने वाले सुधार कुल मिलाकर कोई खास नहीं थे। संक्षेप में, संयुक्त राष्ट महिला दशक में अंतिम पाँच वर्षों के उद्देश्यों को पूरा नहीं किया गया था। इस सच्चाई ने अपनाने की दृष्टि से नये दृष्टिकोण की मांग की। नैरोबी सम्मेलन में दशक के समानता, विकास और शांति संबंधी लक्ष्यों की प्राप्ति की राह की अड़चनों को दूर करने के नए तरीकों को खोजने का संकल्प लिया गया।

वर्ष 2000 की नैरोबी भावी कार्यनीतियों के मद्देनज़र 157 सहभागी सरकारों द्वारा सर्वसम्मति से विकसित एवं अंगीकृत कार्यनीति, शताब्दी के अंत तक महिलाओं के भविष्य के लिए नवीनतम खाका तैयार करना था। इस कार्यनीति ने नये आधार की पेशकश की क्योंकि इसने अब सभी मुद्दों को महिला मुद्दों के रूप में घोषित कर दिया था। निर्णयन प्रक्रिया में महिला सहभागिता और सभी मानव संबंधी मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने को न सिर्फ महिलाओं के वैध अधिकारों के रूप में ही देखा गया बल्कि इसे ऐसी सामाजिक एवं राजनीतिक अनिवार्यता भी माना गया जिसे समाज के सभी सैद्धांतिक संस्थानों में सम्मिलित करना बेहद जरूरी था। दस्तावेज में मूल तौर पर राष्ट्रीय स्तर पर समानता की प्राप्ति के क्रमबद्ध उपायों का ब्यौरा शामिल था। लेकिन अपेक्षित सरकारों को अपनी विकास नीतियों और संसाधन संबंधी काबलियत के आधार पर अपनी प्राथमिकताओं का निर्धारण करना था।

इस संबंध में उल्लिखित उपायों की तीन बुनियादी श्रेणियों की पहचान की गई। ये हैं :

- सांविधानिक एवं कानूनी कदम;
- सामाजिक सहभागिता में समानता;
- राजनीतिक सहभागिता एवं निर्णयन प्रक्रिया में समानता

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सभी मुद्दें महिला मुद्दे थे, नैरोबी भावी कार्यनीतियों द्वारा सुझाए गए उपायों ने रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सेवाओं, उद्योग, विज्ञान, संचार और पर्यावरण जैसे विषयों की विस्तृत श्रेणियों पर ध्यान केंद्रित किया। इसके अलावा, तनाव की खास स्थितियों में महिलाओं को शांति और सहयोग देने के प्रयासों में महिला सहभागिता के महत्व को बेहतर बनाने के राष्ट्रीय उपायों के

दिशा–निर्देशों को प्रस्तावित किया गया। इसी तर्ज पर नैरोबी सम्मेलन ने सभी सरकारों को प्रेरित किया कि वे सभी संस्थागत कार्यालयों और कार्यक्रमों को महिला मुद्दों की जिम्मेदारियाँ सौंपे। इसके अलावा, सम्मेलन की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में आम सभा ने जहाँ फोकल बिंदु पहले से मौजूद नहीं थे, वहाँ संगठन के सभी कार्य क्षेत्रों में महिला मुद्दों पर ऐसे फोकल बिंदु सृजित करने की बात कहीं।

नैरोबी सम्मेलन ने महिला उन्नयन के प्रति विस्तृत दृष्टिकोण की पेशकश की थी। अब इस बात को स्वीकारा जाने लगा कि एकाकी मुद्दे के रूप में महिला समानता का मुद्दा मानव गतिविधि के हर क्षेत्र के इर्द–गिर्द घूमता है। इसलिए न सिर्फ महिला मुद्दों बल्कि सभी मुद्दों पर महिला परिप्रेक्ष्य और इनकी सक्रिय सहभागिता बेहद जरूरी है। महिला दशक के लक्ष्यों और उद्देश्यों को पूरा करने के लिए यह बेहद जरूरी है। 100 से अधिक सरकारों ने निर्णयन प्रक्रिया में महिला सहभागिता बढ़ाने, कानून को बदलने और शिक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए अतिरिक्त निधियों के आबंटन जैसी खास कार्रवाइयों को लागू करने के लिए औपचारिक वचनबद्धताओं को पूरा करने का वादा किया।

ckek i;'u 2

ukV : i) प्रश्नों के उत्तर नीचे दिए गए खाली स्थान में लिखिए।

ii) अपने उत्तर की तुलना इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए।

1. राष्ट्रीय स्तर पर कोपनहेगन सम्मेलन की कार्रवाई योजना को अपनाते समय सीमाओं की चर्चा संक्षेप में कीजिए।

....

....

....

....

1-4-4 chftx ½ lQyrk dh xkFkk ¼1995½

वर्श 1975 में आयोजित मेक्सिको सिटी सम्मेलन से आरंभ करते हुए पिछले दो दशकों के प्रयासों ने महिलाओं की दशाओं को सुधारने और संसाधनों तक इनकी पहुँच स्थापित करने में खासा योगदान दिया। लेकिन फिर भी ये महिलाओं और पुरुषों के संबंध में व्याप्त असमानता की बुनियादी संरचना को बदलने के योग्य नहीं थे। हर मनुष्य के जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णय अभी भी ज्यादातर पुरुषों द्वारा ही लिए जाते थे। महिलाओं को सशक्त करने के तरीकों को खोजने का प्रयास करना बेहद जरूरी हो गया था ताकि महिलाएं हर स्तर की निर्णयन–प्रक्रिया में पुरुषों के साथ एकसमान सहभागियों के रूप में अपनी प्राथमिकताओं एवं सक्षमता को उजागर कर सकें।

''पर्यावरण, मानव अधिकार, समष्टि और सामाजिक विकास'' जैसे विकास के विविध पहलुओं पर वर्ष 1990 के आरंभ में संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित वैश्विक सम्मेलन शृंखला क्रम के दौरान निर्णयन प्रक्रिया में महिलाओं को शामिल करने की आवश्यकता को स्वीकारना आरंभ हो गया था। सभी सम्मेलनों ने निर्णयन प्रक्रिया में महिला पूर्ण सहभागिता के महत्व पर जोर दिया था और इस संबंध में अंगीकृत सुविचारित चर्चाओं और दस्तावेजों में महिला परिप्रेक्ष्यों को सम्मिलित किया जाने लगा था। इसी तर्ज पर बीजिंग (1995) में आयोजित चौथा विश्व महिला सम्मेलन सम्मेलनों की वह अगली शृंखला थी जिसने स्त्री–पुरुष समानता के संघर्ष में नया अध्याय रचा था।

बीजिंग में जो मूलभूत बदलाव नजर आया था, वह इस बात को स्वीकारना था कि अब महिलाओं से ध्यान हटा कर जेंडर संकल्पना पर ध्यान केंद्रित कर इस बात को स्वीकारना जरूरी है कि न सिर्फ समाज की समग्र संरचना बल्कि इस संरचना में महिलाओं और पुरुषों के हर प्रकार के संबधों का अब पुनः मूल्यांकन करना जरूरी हो गया है। समाज और इसके सिद्धांतों को पुनः संरक्षित करके ही हम जीवन के सभी पहलुओं में पुरुषों की बराबरी के सहभागियों के रूप में अपनी सही जगह की प्राप्ति के लिए महिलाओं को पूरी तरह से सशक्त बनाने में इनकी सहायता कर सकते हैं। इस बदलाव ने इस बात की जोरदार तरीके से पुनः पुष्टि की कि महिला अधिकार मानव अधिकार हैं और यह कि स्त्री–पुरुष समानता का मामला वैश्विक ध्यान केंद्रित करने वाला और सभी को लाभान्वित करने वाला है।

बीजिंग सम्मेलन के वर्चस्व ने हर जगह महिला सशक्तीकरण के प्रति नयी वैश्विक वचनबद्धता की ज्योति जलाई और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हैरतअंगेज सोच को अपनी तरफ आकृष्ट किया। सम्मेलन ने सर्वसम्मति से महिला सशक्तीकरण के लिए एजेंडे द्वारा बीजिंग घोषणा और कार्रवाई के मंच को अंगीकृत किया और 21वीं शताब्दी में महिलाओं के उन्नयन के लिए एक बड़ी उपलब्धि के रूप में अपनी पहचान दर्ज की। कार्रवाई के लिए मंच ने महिला उन्नयन के प्रति मुख्य अड़चनों को दर्शाने के लिए 12 महत्वपूर्ण विचारणीय क्षेत्रों को स्पष्ट किया। ये ऐसे क्षेत्र थे जहाँ सरकारें और सिविल समाजों के लिए ठोस कार्रवाई करना बेहद आवश्यक था :

- महिलाएं और निर्धनता;
- शिक्षा और महिलाओं के लिए प्रशिक्षण;
- महिलाएं और स्वास्थ्य;
- महिलाओं के प्रति हिंसा;
- महिलाएं और सैन्य द्वंद्व;
- महिलाएं और अर्थव्यवस्था;
- शासन और निर्णयन में महिलाएं;
- महिला–उन्नयन का संस्थागत ढाँचा;
- महिलाओं के मानव अधिकार;
- महिलाएं और मीडिया;
- महिलाएं और पर्यावरण; और
- बालिकाएं।

बीजिंग प्लेटफार्म फॉर एक्शन को अंगीकृत कर, सरकारों ने अपने सभी संस्थानों, नीतियों, नियोजन और निर्णयन के क्षेत्रों में जेंडर आयाम को इन सभी का अभिन्न भाग बनाने के लिए अपनी वचनबद्धता दर्शाई। यहाँ तर्क यह था कि योजनाओं को लागू करने के सभी अहम् फैसले लेने से पहले महिलाओं और पुरुषों दोनों की जरूरतों और इन पर ऐसी योजनाओं के प्रभाव का विश्लेषण सदैव किया जाना चाहिए। उदाहरण के तौर पर वर्तमान शैक्षिक पद्धति तक महिलाओं की पहुँच को धीरे–धीरे आसान बनाने के प्रयास करने की बजाय जेंडर मेनस्ट्रिमिंग व्यवस्था के पुनःनिर्माण की मांग करती है ताकि ये महिलाओं और पुरुषों दोनों की आवश्यकताओं के संबंध में समान रूप से अनुकूल हो।

जेंडर मेनस्ट्रिमिंग की प्रस्तुति अपनी पूरी समग्रता और असमानता की इसकी बुनियादी संरचना के मद्देनजर समाज की पुनः जांच की मांग करती है। अभी केंद्र बिंदु समाज में महिलाओं और इनकी स्थिति तक ही सीमित नहीं था बल्कि यह संपूर्ण रूप से समाज में संस्थाओं और राजनीतिक एवं आर्थिक निर्णयन प्रक्रिया को पुनः संरचित करने के प्रति समर्पित था।

प्लेटफार्म फॉर एक्शन पर जोर देते हुए, संयुक्त राष्ट्र आम सभा ने अपने सभी राज्यों, संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों और साथ ही साथ गैर सरकारी संगठनों और निजी क्षेत्र को अपने सदस्य राज्यों में इसकी सिफारिशों को लागू करने के संबंध में उचित कार्रवाई करने को कहा। राष्ट्रीय तंत्र जो महिलाओं की स्थिति के महत्व को बढ़ाने के लिए स्थापित किए गए थे, अब इन्हें सभी संस्थानों और कार्यक्रमों में जेंडर परिप्रेक्ष्य की मेनस्ट्रिमिंग के लिए केंद्र नीति–समन्वयकारी इकाई के रूप में यह नया काम पूरा करने का जिम्मा सौंपा गया। संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था क दायरे में महासचिव ने वरिष्ठ अधिकारी को जेंडर मुद्दों पर अपने विशेष सलाहाकार की सहायता करने के लिए पदनामित किया। इस वरिष्ठ अधिकारी की भूमिका संयुक्त राष्ट्र कार्य के सभी पहलुओं में जेंडर परिप्रेक्ष्य का व्यवस्था–व्यापी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना था। संगठन को प्लेटफार्म पर निगरानी बनाये रखने में भी अहम भूमिका सौंपी गई।

बीजिंग सम्मेलन अपने आकार एवं परिणाम अर्थात् दोनों पहलुओं से बड़ी सफलता माना गया। सरकार और गैर सरकारी संगठन प्रतिनिधियों के 17000 सहभागियों और 189 सरकारों के प्रतिनिधियों समेत यह सम्मेलन अपने आप में सबसे अधिक सदस्यों वाले सम्मेलन के रूप में जाना गया। सम्मेलन के साथ–साथ आयोजित एनजीओ मंच ने विश्व भर से आमंत्रित 47,000 सहभागियों को आपस में जोड़ते हुए पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए।

वर्श 1975 में आयोजित मेक्सिको सिटी सम्मेलन के बाद से स्त्री–पुरुष समानता के मुद्दे पर गैर सरकारी संगठनों की मौजूदगी एवं प्रभाव धीरे–धीरे बढ़ने लगा। बीजिंग में, गैर सरकारी संगठनों ने प्लेटफार्म फॉर एक्शन की अंतर्वस्तु पर सीधे प्रभाव डाला और प्रासंगिक वचनबद्धताओं को पूरा करने में राष्ट्रीय नेताओं को ज़िम्मेदार ठहराने में इनकी बेहद अहम् भूमिका है। संयुक्त राष्ट्र ने लड़कियों की जरूरतों की तरफ अंतरराष्ट्रीय ध्यान आकृष्ट किया है क्योंकि इनमें से करोड़ों लड़कियों का पालन–पोषण ऐसे माहौल में होता है जहाँ इन्हें निरंतर नज़रअंदाज किया जाता है और इनसे दुर्व्यवहार किया जाता है। बाल अधिकार (1989) आधारित कन्वेंशन जो कि लड़कियों के अधिकारों की सुरक्षित करने की मांग करता है, अब इस कन्वेंशन को किसी भी अन्य अंतरराष्ट्रीय संधि की तुलना में 179 देशों ने समर्थन प्रदान किया है। बच्चों के लिए आयोजित वर्ष 1990 की विश्व शिखर वार्ता से प्रेरित होकर ऑर्गनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी ने बाल अधिकार एवं कल्याण आधारित अफ्रीकन चार्टर अंगीकृत किया, क्षेत्रीय दक्षिण एशियाई सहयोग संघ ने वर्ष 1991–2000 की समयावधि को ''बालिका दशक'' के रूप में घोषित किया और यूएसए ने विकासशील देशों में बालिकाओं के लिए पढ़ाई–लिखाई के महत्व को बढ़ाने के लिए 100 अमेरिकी मिलियन डालर की परियोजना को आरंभ किया।

1-4-5 ;-,u- vke lHkk leh{kk ¼2000½

बीजिंग प्लेटफार्म ऑफ एक्शन को अपनाने के बाद आम सभा ने पाँच वर्षों में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए विशेष सत्र का आयोजन किया। इस विशेष सत्र का आयोजन न्यूयार्क में 5 से 9 जून 2000 तक किया गया। सत्र का आयोजन इस शीर्षक के अंतर्गत किया गया – ^^foeu 2000 % tMj bDofyVh MoyieV ,M ihl Qkj nh

VoVh QLV lUp;jh**। विशेष सत्र ने सरकारों और सिविल समाज को बीजिंग प्लेटफार्म फॉर एक्शन के कार्यान्वयन के दौरान सम्मुख आने वाली मौजूदा चुनौतियों और अड़चनों की जांच करने और अच्छे व्यवहारों का आदान–प्रदान करने का अवसर प्रदान किया। इस सत्र ने महिला सशक्तीकरण और स्त्री–पुरुष समानता की प्राप्ति के लिए राजनीतिक वचनबद्धताओं को नया वेग प्रदान किया।

tUMj vkj fodkl gsrq lg;ksx

संयुक्त राष्ट्र अपने काम का लगभग 80% विकासपरक गतिविधियों को समर्पित करता है। महिलाओं को स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में सहायता की दृष्टि से अब निरंतर तेजी से मुख्य लाभार्थियों के रूप में देखा जा रहा है।

- महिलाओं के लिए उपलब्ध अवसरों के बारे में इनमें जागरूकता का अभाव।
- वर्ष 1990 में वर्ल्ड कान्फ्रेंस ऑन एडुकेशन फॉर ऑल के आयोजन के बाद से, 153 देशों ने बालिकाओं और महिलाओं की शिक्षा और सशक्तीकरण को मुख्य प्राथमिकता मानते हुए और शिक्षा में महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखने के व्यवहार को दूर करने के संयुक्त राष्ट्र आधारित प्रयासों को व्यावहारिक रूप देने में 153 देशों ने इस मुहिम में भाग लिया है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन की एड्स के संबंध में वैश्विक कार्रवाई ने महिलाओं और बालिकाओं पर एड्स के प्रभाव पर अंतरराष्ट्रीय ध्यान आकृष्ट किया है। लगभग 600,000 लोग रोज़ाना एचआईवी वायरस से उत्पन्न एड्स से संक्रमित होते हैं जिनमें से लगभग आधे मरीज़ महिलाएं हैं।
- संयुक्त राष्ट्र की अन्य पहचान नियोजन कार्यक्रमों के लिए प्रदत्त विश्व सहायता का एक चौथाई भाग खर्च करती है। वर्ष 1969 से इसने सभी विकासशील देशों को 3.1 विलियन डालर सहायता के रूप में प्रदान किए हैं।
- संयुक्त राष्ट्र महिला विकास निधि (यूनीफेम) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) की भागीदारी में विकासशील देशों में महिलाओं के लिए प्रत्यक्ष रूप से विकास परियोजनाओं को वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग प्रदान करता है।
- महिलाएं और बालिकाएं, संयुक्त राष्ट्र बाल निधि (यूनीसेफ), विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा प्रदत्त प्रत्यक्ष सहायता की मुख्य लाभार्थी हैं।
- अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधि (आईएफएडी) और विश्व बैंक द्वारा प्रदत्त निधियों और तकनीकी सहायता ने ग्रामीण महिलाओं को ऋण प्रदान करने के लिए कार्यक्रमों को समेकित किया है।
- ऐसे अंतरराष्ट्रीय प्रयासों के परिणाम पहले से ही साफतौर पर नज़र आ रहे हैं। जब हम निश्चित समयावधि के बाद यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट का विश्लेषण करते हैं तो हम निम्नलिखित परिणामों की प्राप्ति करते है;
- विकासशील देशों में महिलाओं की जीवन प्रत्याशा में बढोतरी;
- महिला जनन क्षमता दर में गिरावट
- प्राथमिक एवं द्वितीयक शिक्षा में संमिश्रित महिला नामांकन में तेजी से बढोतरी;
- निर्णयन संबंधी पदों में महिलाओं की संख्या में बढ़ोतरी।

1-5 fodkl vkèkkfjr vU; dUosa'ku@lEesyu

इस भाग में हम महिला विकास के लिए आयोजित अन्य विकास कन्वेंशनों और सम्मेलनों के बारे में अध्ययन करेंगे।

1-5-1 lef"V ,oa fodkl vkèkkfjr varjjk"Vªh; lEesyu ¼1994½

संयुक्त राष्ट्र द्वारा 5 से 13 सितम्बर 1994 तक कैरो, मिस्र में समष्टि और विकास पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन समन्वित किया गया। इस सम्मेलन में विविध सरकारों की तरफ से लगभग 20000 प्रतिनिधि मंडलों और संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, गैर सरकारी संगठनों और मीडिया ने भाग लिया। ये सभी आप्रवासन, शिशु मर्त्यता, जन्म नियंत्रण, परिवार नियोजन, महिला शिक्षा और असुरक्षित गर्भपात सेवाओं से महिलाओं को सुरक्षित करने समेत समष्टि संबंधी विविध प्रकार के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए थे। सम्मेलन में जनन अधिकारों के दावे के संबंध में उत्पन्न विवादों के कारण, मीडिया ने काफी रूचि दिखाई।

Ekq[; y{;

इस सम्मेलन के मुख्य लक्ष्यों को इस प्रकार सूचीबद्ध किया गया है :

- वर्ष 2015 तक सभी देशों में सर्वजनीन प्राथमिक शिक्षा;
- शिशु एवं बाल मृत्यु दर में गिरावट;
- मातृ मृत्यु दर में गिरावट; और
- परिवार नियोजन समेत जनन एवं यौन स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच

miyfCèk;k¡

आईसीपीडी समीक्षा रिपोर्टो के आधार पर कंट्री रिपोर्ट दर्शाती हैं कि आईसीपीडी लक्ष्य अभी भी वैध हैं और अफ्रीका के सभी देश खासतौर पर एमडीजी प्राप्ति और राष्ट्रीय निर्धनता निरावट कार्यनीतियों के संदर्भ में, इन लक्ष्यों को पूरा करने के प्रयास कर रहे हैं। रिपोर्टों में आगे दर्शाया गया है कि जहाँ खास विषयवस्तु (thematic) क्षेत्र में आईसीपीडी को लागू करने में कुछ हद तक प्रगति हुई है, वही अफ्रीकी देश निरंतर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं जो कि आईसीपीडी लक्ष्यों और वास्तव में एसडीजी के संबंध में इनकी उपलब्धि को प्रभावित करते हैं।

1-5-2 lgL=kfCn fodkl y{; ¼2000½

वर्श 2000 में संयुक्त राष्ट्र ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय, न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र सहस्राब्दि घोषणा पर हस्ताक्षर किए। इस घोषणा में वर्ष 2015 तक प्राप्ति वाले *आठ सहस्राब्दि विकास लक्ष्य* सम्मिलित हैं। लगभग 192 संयुक्त राष्ट्र सदस्य राज्यों और लगभग 23 अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने वर्ष 2015 तक एमडीजी लक्ष्यों की प्राप्ति पर अपनी सहमति व्यक्त की है। पहली बार इसने विश्व की विकासपरक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए साकल्यवादी कार्यनीति को दर्शाया हे। इसकी स्थापना परिणामात्मक लक्ष्यों और परिभाषित सूचकों को ध्यान में रख कर की गई है। एमडीजी में घोर निर्धनता उन्मूलन, बाल मृत्यु दर गिरावट, एड्स जैसी महामारियों से जूझना और विकास के लिए वैश्विक भागीदारी विकसित करना सम्मिलित है।

सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों (एमडीजी) के लक्ष्य हैं – विश्व के निर्धनतम देशों की सामाजिक एवं आर्थिक दशाओं को बेहतर बनाते हुए विकास को बढ़ावा देना। ये पिछले अंतरराष्ट्रीय विकास लक्ष्यों और वर्ष 2000 में आयोजित सहस्राब्दि शिखर वार्ता से व्युत्पन्न होते हैं, जहाँ मौजूद सभी विश्व लीडर, संयुक्त राष्ट्र सहस्राब्दि घोषणा को

अंगीकृत करते हैं।

एमडीजी में 21 लक्ष्यों वाले 8 उद्‌देश्य और हर लक्ष्य के लिए नज़र आने वाले सूचकों की शृंखला सम्मिलित है।

mn~ns';

1. घोर गरीबी और भुखमरी का उन्मूलन
2. सर्वजनीन प्राथमिक शिक्षा की प्राप्ति
3. स्त्री–पुरुष समानता के महत्व को बढ़ावा और महिलाओं को सशक्त करना
4. बाल मर्त्यता दर में गिरावट
5. मातृ स्वास्थ्य को बेहतर बनाना
6. एचआईवी/एड्स, मलेरिया और अन्य रोगों से जूझना
7. पर्यावरणीय स्थायित्व सुनिश्चित करना
8. विकास हेतु वैश्विक भागीदार विकसित करना

,eMhth miyfC/k;k¡ एमडीजी लक्ष्यों की प्राप्ति करने से जुड़ी प्रगति असमुचित रही है। कुछ देशों ने इनमें से बहुत से लक्ष्यों की प्राप्ति की जबकि कुछ ऐसे किसी एक लक्ष्य को भी पूरा नहीं कर सकें। इन लक्ष्यों की प्राप्ति करने वाले मुख्य देशों में चीन (जिनकी गरीब आबादी 452 मिलियन से घट कर 278 मिलियन हो गई है) और भारत समष्टि और आर्थिक विकास के स्पष्ट बाह्य एवं आंतरिक कारकों के कारण जो अपनी आधी निर्धनता को भी कम नहीं कर पाया, सम्मिलित हैं। हाँलाकि, उप–सहारा अफ्रीका जैसे क्षेत्र जहाँ व्याप्त गरीबी को घटाना बेहद जरूरी है, अर्थात् इन्हें अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण बदलाव लाने अभी बाकी हैं। साथ ही, चीन की भांति उप–सहारा अफ्रीका ने लगभग 1% अपनी गरीबी को कम किया है और वर्ष 2015 तक ये सभी एमडीजी लक्ष्यों की प्राप्ति करने की स्थिति में अभी नहीं हैं। एमडीजी की प्राप्ति अकेले आर्थिक वृद्धि और खर्चीले समाधानों पर ही निर्भर नहीं करती। बाल मृत्यु दर कम करने के मामले में बांग्लादेश जैसे कुछ विकासशील देशों ने दर्शाया है कि विस्तृत आधार पर खसरे के टीके लगाने आदि जैसे असरदार और किफायती अंतःक्षेपों से भी बाल मृत्यु दर में गिरावट लाना संभव है। विकास के लिए वैश्विक भागीदारी विकसित करना इस तरीके से अनूठा है कि यह विकासशील जगत की सफलताओं की बजाय दाता सरकार की वचनबद्धताओं और उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित करता है। सेंटर फॉर ग्लोबल डेवेलपमेंट द्वारा वार्षिक रूप से प्रकाशित दि कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इन्डेक्स को अक्सर 8वें एमडीजी के लिए संख्यात्मक लक्ष्यपरक सूचक के रूप में देखा जाता है। यह सूचक साधारण सरकारी विकास सहयोग का प्रतीक नहीं है बल्कि दाता प्रगति का अधिक विस्तृत पैमाना है क्योंकि यह व्यापार, प्रवसन और निवेश जैसे विकासशील देशों को प्रभावित करने वाले बहुत से सूचकों पर आधारित नीतियों पर ध्यान केंद्रित करता है। एमडीजी प्राप्ति की राह की उन्नति को वेग देने के लिए जून 2005 (लंदन) में जी 8 वित्त मंत्रियों की सभा का आयोजन किया गया। परिणामस्वरूप, विश्व बैंक, आईएमएफ, एशियाई विकास बैंक (एडीबी) को एचआईपीसी (बेहद ऋण ग्रस्त निर्धन देशों) को पर्याप्त निधियाँ प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की गई। तत्पश्चात् विश्व बैंक, आईएमएफ और एडीबी ने एचआईपीसी के लिए बहुपार्श्विक ऋण राहत पहल (एमडीआरआई) को लागू कर दिया।

अतः विकासशील देश एमडीजी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मुख्य रूप से विकसित देशों पर ही निर्भर थे। एमडीजी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए विश्व भर में संयुक्त राष्ट्र

सहस्राब्दि अभियान, मिश (Micah) चैलेंज इंटरनेशनल कम्पेन और डेवलपमेंट एडुकेशन यूनिट ऑफ फ्यूचर व्लड्र्स द्वारा आयोजित अभियान जैसे बहुत से अभियानों को चलाया गया। तत्पश्चात् एमएडजी के अछूते लक्ष्यों को पूरा करने के लिए विश्व भर में यूरोपियाई संघ, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, एडीबी जैसी बहुत सी परियोजनाओं को लागू किया गया।

ckèk iz'u 3

uksV : i) प्रश्नों के उत्तर नीचे दिए गए खाली स्थान में लिखिए।

ii) अपने उत्तर की तुलना इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए।

1. सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए।

....

....

....

1-6 lkjka'k

क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भिन्न–भिन्न सरकारों और संगठनों द्वारा महिलाओं के जीवन में बदलाव लाने के उद्देश्य से समय–समय पर बहुत से प्रयास किए गए। हमने इस इकाई में इन प्रयासों की चर्चा की है। अब ये लक्ष्य समेकित चिरस्थायी लक्ष्य की प्राप्ति पर टिके हैं ताकि महिलाओं और अन्य सुविधावंचित समुदायों को एकीकृत कर, इनकी विकास प्रक्रिया को लंबे समय तक कायम रखा जा सके।

1-7 'kCnkoyh

dUosa'ku (Connections) % भिन्न–भिन्न देशों के अलग–अलग भागों के सदस्यों, प्रतिनिधियों, प्रतिनिधि मंडलों, समुदायों, पेशेवरों और उद्योगपतियों के बीच आयोजित औपचारिक सभाएं। ये सभी समाज को प्रभावित करने वाले विविध मुद्दों पर चर्चा के लिए एक जगह पर एकत्र होते हैं। ऐसी सभाओं या परिषदों में भाग लेने वालों के निकायों को कन्वेंशन/सम्मेलन कहते हैं।

dkuwuh vfèkdkj (Legal rights) % महिला सशक्तीकरण के प्रति महिलाओं को एकसमान अवसर प्रदान करने हेतु सृजित अधिकार ये मूलभूत मानदंड आधारित ऐसे नियम हैं जो किसी खास कानूनी व्यवस्था, सामाजिक धारणा या नृजातीय सिद्धांत के मद्देनजर कुछ खास जन/जातियों आदि के अधिकार/कर्तव्यों को व्यक्त करते हैं।

lkoZtfud jk; (public Opinion) % महिला विकास के प्रति विश्व के विभिन्न देशों के भिन्न–भिन्न लोगों की आम राय की समेकित प्रस्तुति।

lgk;rk (Assistance) % कमजोर वर्गों विशेष रूप से महिलाओं को सहयोग एवं सहायता प्रदान करना। अंतरराष्ट्रीय और बहुपश्विक एजेंसियों सहयता के रूप में विकास के लिए धन आबंटित कर रहे हैं।

1-8 ckèk i:'uk d: mÙkj

Ckkèk i:'u 1

1. शिक्षा तक पहुँच और राष्ट्रीय स्तर पर संस्थानों के आपसी सहयोग को ध्यान में रखते हुए लक्ष्य मूलरूप से हर प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन और शिक्षा के अधिकार पर केंद्रित हैं।

Ckkèk i:'u 2

1. सीमाएं अधिक राजनीतिक और कानूनी किस्म की हैं। संस्थागत और निर्णयन स्तर पर महिलाओं और पुरुषों के बीच मौजूद असमानताएं जेंडर तटस्थ नीतियों को संकल्पनाबद्ध करने की मांग करती हैं। राजनीति में महिलाओं की गैर मौजूदगी और इनकी प्रतिनिधित्व का अभाव राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम की कार्य योजना अपनाने के संबंध में बुनियादी सीमाओं को उजागर करती हैं।

Ckkèk i:'u 3

1. लक्ष्य हैं – सर्वजनीन प्राथमिक शिक्षा, निर्धनता में गिरावट, जनन स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित करना, मातृ मृत्यु दर में गिरावट और पर्यावरणीय चिरस्थायित्व की प्राप्ति।

1-9 dN mi;kxh iLrd:

Human development Report 1995.

"Report of the International Conference on Population and Development", United Nation Population Fund,(UNFPA), 1995

Millennium development goal reports by United nations in www.un.org

United Nations action on Gender development reports in www.un.org

Maitrayee Mukhopadhyay and Shamim Meer, **Gender, rights and Development A Global Source Book,** Royal Tropical Institute (KTI) Publishers : The Netherlands, 2008.

B.R. Siwal**, Gender Policy – Gaps between intention and action in India,** available at http://www.scribd.com/doc/19166690/Gender-Policy

1-10 fpru ,o vH;kl gsrq i:'u

1. जेंडर आयामों से संबद्ध भिन्न–भिन्न कन्वेंशनों या औपचारिक सभाओं का पता लगाइए।
2. सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों की उपलब्धि की जांच कीजिए।
3. महिला विकास हेतु आयोजित चार सम्मेलनों की उपलब्धियों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।
4. भिन्न–भिन्न देशों में विकास कन्वेंशन के उद्देश्यों की प्राप्ति संबंधी समस्याओं का वर्णन कीजिए।
5. वैश्वीकृत जगत में जेंडर आयामों से संबंधित विकास कन्वेंशनों की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।

bdkb 2 f'k{kk] fodkl y{; vkj dk'ky mUu;u

bdkb dh :ijs[kk

2.1 प्रस्तावना

2.2 उद्देश्य

2.3 भारत में महिला साक्षरता एवं शैक्षिक स्थिति

2.4 शिक्षा में स्त्री–पुरुष समानता संबंधी नवीन पहल

2.5 शिक्षा : अवरोध

2.6 शिक्षा एवं विकास लक्ष्य

2.7 भारत के विकास लक्ष्य

2.8 स्त्री–पुरुष समता लाने से जुड़ी कार्यनीतियाँ

2.9 कौशल उन्नयन

2.9.1 भारत में कौशल विकास मिशन संबंधी कार्यनीतियाँ

2.9.2 भारत में कौशल उन्नयन कार्यक्रम

2.10 सारांश

2.11 बोध प्रश्नों के उत्तर

2.12 कुछ उपयोगी पुस्तकें

2.13 चिंतन एवं अभ्यास हेतु प्रश्न

2-1 iLrkouk

मानव संसाधन में शिक्षा को निवेश के रूप में सर्वाधिक महत्वपूर्ण निवेश माना जाता है क्योंकि इससे विकास के प्रति लक्षित कुषल मानवशक्ति की सुनिश्चित प्राप्ति होती है। शिक्षा वैयक्तिक एवं सामाजिक सुधार का एक अपरिहार्य साधन है। शिक्षा न सिर्फ व्यक्ति–विशेष के जीवन को ही बल्कि समूचे राष्ट्र को भी समृद्ध बनाती है। किसी भी राष्ट्र को तब तक विकसित नहीं माना जा सकता जब तक कि ऐसे राष्ट्र के कुछ गिने–चुने कुलीन समूह ही सिर्फ पढ़े–लिखे हों। राष्ट्र तभी विकसित माना जाएगा जब समाज के सभी भागों तक शिक्षा का प्रावधान हो। अतः शिक्षा को समाविष्ट (inclusive) बनाने के लिए समाज में मौजूद हर प्रकार के भेदभाव और संरचनागत असमानताओं को दूर करना होगा और समता एवं समानता के महत्व को बढ़ाना होगा। सभी असमानताओं में से स्त्री–पुरुष असमानता की जड़े भारत में काफी गहरी हैं। इसे एक मुख्य मुद्दा माना जाता है क्योंकि यह जाति, वर्ग, नृजातीयता, धर्म आदि जैसी अन्य सामाजिक असमानताओं से जुड़ा हुआ है। शिक्षा पद्धति को जेंडर के परिप्रेक्ष्य में देखना जरूरी है और महिलाओं और पुरुषों दोनों को शिक्षा से लाभान्वित होने और इसमें भाग लेने के एकसमान अवसर अवश्य प्रदान किए जाने चाहिए। शिक्षा तक पहुँच को बेहतर बनाने और समता के महत्व को बढ़ाने के लिए शिक्षा पद्धति की जेंडर मेनस्ट्रिमिंग अत्यावश्यक है और इसमें महिलाओं को अर्थपूर्ण तरीके से सम्मिलित करना बेहद जरूरी है।

2-2 mn~n~s';

इस इकाई के अध्ययन के बाद आप :

- भारत में महिला साक्षरता एवं इनकी शैक्षिक स्थिति का वर्णन कर सकेंगे;
- राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तरों पर महिला शिक्षा को बेहतर बनाने की नवीन पहलों का वर्णन कर सकेंगे;
- शिक्षा संबंधी अवरोधों की चर्चा कर सकेंगे; और
- शिक्षा तक महिलाओं की पहुँच को सुगम बनाने के लिए कौशल समेत विविध कार्यनीतियों का विश्लेषण कर सकेंगे।

2-3 Hkkjr esa efgyk lk{kjrk ,oa 'kSf{kd fLFkfr

विश्व में कुल निरक्षर आबादी का लगभग 30% भाग, भारत की देन है और ऐसी निरक्षर आबादी का 70% भाग महिलाओं से गठित है। 2001 की जनगणना के अनुसार, 46% महिलाएं अभी भी निरक्षर हैं। यद्यपि सामाजिक एवं मानव विकास के अन्य आयामों से सहसंबंध के रूप में महिला शिक्षा को काफी समय से अहम माना जा रहा है। पुरुष शिक्षा की तुलना में महिला शिक्षा के प्रति निवेश काफी कम है। महिला साक्षरता के निम्न स्तर का न सिर्फ महिलाओं के जीवन पर ही बल्कि लंबे समय में देश के विकास और महिलाओं के परिवार और इनके समाज पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हॉलाकि स्त्री और पुरुष की पहुँच के बीच के अंतर को कम करने में भारत के प्रयासों को अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। यद्यपि अंतरराष्ट्रीय मानकों की तुलना में भारत की महिला साक्षरता दर बेहद निम्न है, फिर भी पिछले कई दशकों से भारत में स्त्री और पुरुष दोनों की शैक्षिक उपलब्धि को बेहतर बनाने में प्रगति नजर आई है। वर्ष 1951 में महिला साक्षरता दर जहाँ 79% थी, वर्ष 2001 में बढ़ कर 54.2% हो गई। 1991–2001 के दशक ने आजादी के समय से अभी तक साक्षरता में उच्चतम दशक वाली बढ़ोतरी को दर्शाया है। पहली बार देश में महिला साक्षरता में भी तीव्र वृद्धि की अनुभूति की है जो कि इस दशक में पुरुष (64–75%) की तुलना में लगभग 15% बिंदु (39% से 54%) तक ही बढ़ी है।

तालिका 1 भारत में साक्षरता दर संबंधी प्रवृत्तियाँ (%)

Ok"kZ	vkdMk lzksr	lk{kj"k			Ekfgyk		
		'kgjh	Ukxjh;	dqy	'kgjh	Ukxjh;	dqy
1981	जनगणना	49.6	76.7	56.4	21.7	56.3	29.7
1987–8	एनएसएस (43वां)	48.4	72.3	–	25.9	55.9	–
1991	जनगणना	57.8	81.1	64.1	30.6	64.1	39.3
1992–3	एनएफएचएस-I	62.9	84.1	68.8	34.5	67.5	43.3
1993–4	जनगणना (50वाँ)	63.4	85.3	74.5	36.6	68.7	52.7

1998–99	एनएसएस–II	69.5	87.5	74.5	43.7	72.2	51.4
2001	जनणना (सभी आयु)	71.2	75.6	86.4	46.6	73.0	54.0
2001	जनणना (7+ और इससे बड़े)	–	–	75.9	–	–	54.2
2004–5	एनएसएस (61वाँ)	64	81	–	45	69	–
2004–5	एनएसएस (61वाँ) (7+ और इससे बड़े)	73	89	77	50.4	75.9	57

Lkzksr % भारत की जनगणना (1981); भारत की जनगणना (1991); भारत की जनगणना (2001); भारत सरकार (1992बी); भारत सरकार (1997ए); भारत सरकार (2006बी); आईआईपीएस (1995); आईआईपीएस (2000)

Lkzksr % बंधोपाध्याय और सुब्रहामणियम, 2008

साक्षरता में सुधारों के बावजूद, महिलाओं और पुरुषों के साक्षरता स्तरों में निरंतर बड़ा फासला कायम है। जहाँ पुरुष आबादी का 75% साक्षर है, वहीं महिला आबादी का लगभग आधा भाग अभी भी निरक्षर है। शहरी आबादी की तुलना में ग्रामीण आबादी में जेंडर अंतराल अपेक्षाकृत अधिक विस्तृत प्रतीत होता है। 1990 के दशक में साक्षरता स्तर में बढ़ोतरी का कारण प्राथमिक शिक्षा का विस्तार है। यद्यपि प्राथमिक शिक्षा में जेंडर अंतरालों को पर्याप्त रूप से कम किया गया है लेकिन माध्यमिक और उच्च शिक्षा में बालिकाओं के प्रति भेदभाव अभी भी मुख्य मुद्दा बना हुआ है।

शिक्षा में राज्य वार कार्यनिष्पादन भी शिक्षा में महत्वपूर्ण जेंडर अंतराल की ओर इशारा करता है और यह अंतराल काफी विषम किस्म का है। बालिकाओं के लिए अपनी शिक्षा तक पहुँच स्थापित करने की बात निर्धारित करने में shafe of domicile महत्वपूर्ण कारक बन जाता है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (एनएसएस) 2004–05 के अनुसार बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश राज्यों में बालिकाएं स्कूलों में कम जाती हैं जबकि केरल, हिमाचल प्रदेश, मिज़ोरम राज्यों की बालिकाओं का स्कूली नामांकन अपेक्षाकृत अधिक उच्च है। हँलाकि, गोवा, केरल, दिल्ली और मेघालय जैसे राज्यों में बालकों की तुलना में बालिकाएं अधिक संख्या में स्कूल जाती हैं। बालिकाओं के प्रति भेदभाव के लिए ऐतिहासिक दृष्टि से प्रचलित बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा जैसे राज्यों में शैक्षिक सहभागिता के संबंध में लड़के और लड़की होने के नाते, इनके बीच का फासला काफी अधिक है। यदि शिक्षा में जेंडर–संवेदनशील सुधार हो तो तभी इस बात के महत्व को बढ़ाया जा सकता है कि लड़का और लड़की के बीच कोई फर्क नहीं हैं। दोनों एकसमान है।

11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–2012) के अनुसार, यद्यपि प्रारंभिक स्तर पर स्कूल जाने के संबंध में लड़कों और लड़कियों के नामांकन में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हुई है, फिर भी प्रारंभिक चरण में पढ़ाई बीच में छोड़ने वालों का स्तर अभी भी 50.8% है। इस चरण पर लगभग 50.5% लड़के और 51.3% लड़कियाँ स्कूली पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं। माध्यमिक और उच्च शिक्षा की समीक्षा से भी नामांकन और स्कूल में बने रहने के संबंध

में लड़का और लड़की होने के कारण इनमें फर्क करने वाली बात साफतौर पर जाहिर होती है। माध्यमिक स्तर पर नामांकन दर 51.65% और उच्च माध्यमिक स्तर पर 27. 82%है। दोनों स्तरों का संयुक्त प्रतिशत सिर्फ 39.91% ही है। हाँलाकि 35.05% लड़कियों की तुलना में 44.26% लडकों के नामांकन को ध्यान में रखते हुए, इन चरणों में जेंडर अंतराल साफतौर पर जाहिर होता है। माध्यमिक और उच्च स्तरों में नामांकन और लड़कों एवं लड़कियों के स्कूल में बने रहने के मुद्दे को बेहतर बनाने के लिए जरूरी कदम उठाए गए हैं और हाल ही में 11वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 2017 तक हर जन की माध्यमिक शिक्षा की प्राप्ति करने के दृढ़ संकल्प के साथ उभरती है। जब सर्वजनीन माध्यमिक शिक्षा पर अधिक जोर दिया जाता है तो जेंडर संबंधी गंभीर मुद्दों को भी इसके दायरे में लाना चाहिए ताकि लड़कियाँ, प्रारंभिक चरणों से आगे बढ़ने और माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा तक पहुँच स्थापित करने के योग्य हों।

2-4 f'k{kk e: L=h&i#"k lekurk lcèkh uohu igy

शिक्षा में स्त्री–पुरुष समानता का मुद्दा बेहद दबाव में उठाया जाता रहा है और पुनः 1990 के दौर से अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर स्त्री–पुरुष समानता के प्रति प्रगति के लिए ठोस संदेश दिया जाता रहा है। वर्ष 1990 में जॉमटेन (Jomtien) में सभी के लिए शिक्षा पर विश्व घोषणा के आयोजन में सुझाया गया कि बुनियादी और प्रकार्यात्मक साक्षरता में जेंडर अंतराल का निराकरण किया जाना चाहिए। वर्ष 2000 में दकार (Dakar) में आयोजित विश्व शिक्षा मंच ने पुनः वर्ष 2005 तक प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में लड़का और लड़की होने के कारण, इनसे भेदभाव को दूर करने के प्रति वचनबद्धता पर जोर दिया और साथ ही, अच्छी किस्म की बुनियादी शिक्षा तक लड़कियों की पूरी पहुँच स्थापित करने और इस लक्ष्य की प्राप्ति करने की बात सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए वर्ष 2015 तक शिक्षा में लड़का या लड़की होने के कारण इन्हें बराबर मानने के संकल्प पर पुनः जोर दिया (यूनेस्को, 2000)। अपने सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों में वर्ष 2000 की सहस्राब्दि घोषणा ने खासतौर पर वर्ष 2005 और साथ ही, अधिकतम 2015 तक शिक्षा के सभी स्तरों पर प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में स्त्री–पुरुष के बीच की असमानता को दूर करते हुए स्त्री–पुरुष समानता के महत्व को बढ़ाने और महिलाओं को सशक्त करने पर ध्यान केंद्रित किया है।

बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन, (1995) के रूप में प्रचलित चौथे विश्व महिला सम्मेलन ने यह भी व्यक्त किया कि महिलाओं को शिक्षित करने से इनके परिवार के स्वास्थ्य, पोषण और इनके अपने स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाने में सहायता मिलेगी और इस तरह समाज की निर्णयन–प्रक्रिया में भाग लेने में भी महिलाओं को सशक्त करना संभव हुआ। दि बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन ने राजनीतिक इच्छाशक्ति और संसाधनों का अभाव और महिलाओं से भेदभाव करने वाले सांस्कृतिक व्यवहारों और आस्थाओं जैसे अवरोधों सहित शिक्षा तक लड़कियों की पहुँच स्थापित करने से जुड़े ढेर सारे अवरोधों को भी समझा। इस आधार पर इस प्लेटफॉर्म ने वर्ष 2005 तक प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में उत्पन्न जेंडर अंतराल के निराकरण के लक्ष्य को ध्यान में रखा और इसने शैक्षिक और प्रशिक्षण संबंधी एकसमान अवसर सुनिश्चित करने वाली जेंडर–संवेदनशील शैक्षिक पद्धतियाँ सृजित करने की आवश्यकता पर जोर दिया (संयुक्त राष्ट्र , 1996)।

भारतीय संदर्भ में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 (एनपीई) ''महिला समानता आधारित शिक्षा'' के महत्व को बढ़ाने की औपचारिक वचनबद्धता को दर्शाती है। एनपीई लागू करने के बाद तरह–तरह के सकारात्मक प्रोग्रामी अंतःक्षेपों की पेशकश की गई और शिक्षा में स्त्री और पुरुष संबंधी समानता आधारित परिणामों की प्राप्ति के लिए इन अंतःक्षेपों में जेंडर संबंधी गंभीर मुद्दों को सम्मिलित कर, इन पर ध्यान केंद्रित किया गया।

शैक्षिक प्रावधान एवं कार्यक्रम : इतिहास के परिप्रेक्ष्य में

भारत का संगठित शिक्षा का लंबा इतिहास है और इसका पता गुरुकुल शिक्षा की पारंपरिक पद्धति से नजर आता है जहाँ सिर्फ कुछ गिने–चुने कुलीन वर्ग से सरोकार रखने वालों को ही शिक्षा–दीक्षा देने का चलन था। भारत में फिलहाल प्रचलित पश्चिमी शैली वाली शिक्षा और इसकी अंतर्वस्तु, ब्रिटिश इंडिया की देन है। योजना युग के आरंभ के समय से स्वतंत्र भारत की शिक्षा पद्धति ने महत्वपूर्ण प्रगति की है और इसे 'शैक्षिक चमत्कार' के रूप में व्यक्त किया गया है। खासतौर पर शिक्षा का स्त्री–पुरुष समानता में योगदान देने का सामर्थ्य होता है और यह रूढ़िवादी जेंडर विचारधाराओं को चुनौती दे सकती है और प्रमाण पत्रों, शैक्षिक अहर्ताओं, कौशलों और सक्षमता के संबंध में महिलाओं और पुरुषों के बीच के फासले को खत्म कर, लंबे समय में महिलाओं को सशक्त कर सकती है (सेन, 1999)।

स्वतंत्र भारत की सरकार ने महिलाओं को सशक्त करने में शिक्षा के महत्व और शिक्षा की अहम् भूमिका को पहचाना। राज्य नीति के निदेशात्मक सिद्धांतों के अनुच्छेद 45 से इस बात का पता चलता है, जिसके अनुसार राज्य 14 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को निःषुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। वर्ष 2002 का 86वें संविधान संशोधन अधिनियम और हाल ही में सृजित शिक्षा प्राप्ति का अधिकार, (6 से 14 वर्ष) तक के आयु समूह के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा और मूलभूत अधिकार प्रदान करता है। महिलाओं को पुरुषों के बराबर मानने का विचार और इन्हें सामाजिक न्याय प्रदान करने की बात को भी संविधान में दर्शाया गया है और जो जाति, लिंग या धर्म को बिना विचार हरेक को समानता देने की गारंटी देता है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से शिक्षा, राज्यों की ज़िम्मेदारी बन गई। वर्ष 1976 तक शिक्षा, उच्च शिक्षा के अलावा, राज्य के विषय का भाग थी जहाँ तकनीकी और उच्च शिक्षा में समन्वय स्थापित करने और कुछ खास मानकों को बनाए रखने की जिम्मोरी केंद्र सरकार की थी। भारत के संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम के सृजन के बाद से, शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया। इसलिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों शिक्षा से संबंधित मुद्दों पर कानून बना सकते हैं। हाँलाकि राज्य सरकार की तुलना मे केंद्र सरकार द्वारा निर्मित कानूनों का अधिक महत्व माना जाता है।

यद्यपि शिक्षा पद्धति को स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही महत्व दिया गया है, लेकिन महिलाओं और पुरुषों के संबंध में शिक्षा के अलग–अलग नज़रिये को अपनाने की बात पर ध्यान नहीं दिया गया। कुछ खास आयोगों और समितियों की स्थापना और शिक्षा के जेंडर पहलू पर केंद्रित औपचारिक नीतियों के बनने के बाद से ही इस मुद्दे ने प्रचंड रूप धारण किया। जेंडर के आधार पर शिक्षा पर जोर देने वाली महत्वपूर्ण उपलब्धियों का वर्णन, निम्नलिखित भागों में किया गया है।

जेंडर संबंधी गंभीर मुद्दों के पक्ष में, स्वतंत्र भारत द्वारा निर्धारित पहली समिति, वर्ष 1958 में श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में सृजित राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति थी। समिति ने अपने मुख्य निष्कर्ष के रूप में यह बात सामने रखी कि गत वर्षों में लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा को बुरी तरह से उपेक्षित किया गया था और परिणामस्वरूप शिक्षा के हर स्तर और चरण पर महिलाओं और पुरुषों और लड़के और लड़कियों की शिक्षा में विस्तृत असमानता उभरने लगी। समिति की सिफारिशों के आधार पर वर्ष 1959 में सरकार ने सलाहकार समिति के रूप में राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद का गठन किया। इसका मुख्य कार्य बालिका शिक्षा की वृद्धि एवं इस संबंध में सुझाव देना था (पंचमुखी, 1989)।

शैक्षिक सुधारों पर आधारित कोठारी आयोग (1964–1966) ने शिक्षा के संबंध में गठित पद्धति को बेहतर बनाने, राज्य शिक्षा बोर्ड गठित करने, समानता के लिए संस्थानों को एकसमान महत्व देने और सांविधिक विद्यालयी शिक्षा आयोग का गठन करने जैसे मुद्दों पर जोर दिया। तत्पश्चात्, कमेटी ऑन द स्टेट्स ऑफ विमेन इन इंडिया (सीएसडब्ल्यूआई) (1975) ने महिलाओं की स्थिति से सरोकार रखने वाले सांविधानिक, कानूनी और प्रशासनिक प्रावधानों की जांच की। रिपोर्ट ने महिला शिक्षा के निराशाजनक परिदृश्य को उजागर किया और समानता के अवसरों के महत्व को बढ़ाने के लिए दीर्घकालिक नीति के रूप में लड़के और लड़कियों को एक साथ पढ़ाने (Co-education) का सुझाव दिया। तत्पश्चात् समिति ने दसवीं कक्षा की समाप्ति तक, लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए शिक्षा के सामान्य पाठ्यक्रम और दसवीं कक्षा के बाद दोनों के लिए किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश की अनुमति की सिफारिश की। प्राथमिक चरण पर समिति ने सुझाव दिया कि लड़कों और लड़कियों दोनों को सिलाई–कढ़ाई, संगीत और नृत्य की शिक्षा भी दी जानी चाहिए।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई), 1986 और इसके प्रोग्राम ऑफ एक्शन, 1992 ने सामान्य रूप में और खासतौर पर शिक्षा में महिलाओं की समानता के मुद्दे पर जोर दिया। 'एडुकेशन फॉर विमेन्स इक्वैलिटी' नामक अध्याय के अनुसार :

शिक्षा का प्रयोग महिलाओं की स्थिति बदलने में बुनियादी बदलाव लाने वाले एजेंट के रूप में किया जाएगा। गत वर्षों की संचयित अनियमितताओं को तटस्थ बनाये रखने के लिए महिलाओं के पक्ष में सुविचारित पद्धति होगी। राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति महिला सशक्तीकरण में सकारात्मक, अंतःक्षेपक की भूमिका निभायेगी। पद्धति पुनःनिर्मित पाठ्यचर्या, पाठ्यपुस्तकों, प्रशिक्षण और अध्यापकों, निर्णायकों और प्रशासकों के अभिविन्यास और शैक्षिक संस्थानों की सक्रिय सहभागिता के जरिए नये मूल्यों का विकास करेगी। यह आस्था और सामाजिक ताने–बाने की क्रिया होगी... प्रारंभिक शिक्षा तक महिलाओं की पहुँच बनाये रखने और इन्हें प्रारंभिक शिक्षा के स्तर पर स्कूल में बनाये रखने की राह को अवरुद्ध करने वाली अड़चनों और महिला निरक्षरता को दूर करने का लक्ष्य विशेष सहयोग सेवाओं, समयबद्ध लक्ष्यों के निर्धारण और प्रभावी निगरानी संबंधी प्रावधानों के माध्यम से सर्वोच्च प्राथमिकता की प्राप्ति करेगा... (भारत सरकार 1986)।

अतः शैक्षिक अवसरों को एकसमान बनाने और स्त्री–पुरुष असमानता को दूर करने को मुख्य मुद्दा माना गया और उन लोगों की खास जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर दिया गया जिन्हें लंबे समय तक समान अधिकार और अवसरों की प्राप्ति करने से वंचित रखा गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अंगीकृत करने के समय से शिक्षा के महत्व को बढ़ाने के लिए शैक्षिक क्षेत्र में विविध अंतःक्षेपों और योजनाओं एवं कार्यक्रमों को शुरू किया गया। जेंडर अंतरालों के मुद्दों पर केंद्रित कुछ कार्यक्रम इस प्रकार हैं:

सर्वशिक्षा अभियान (एसएसए) : इसकी शुरूआत वर्ष 2001 में 6 से 14 वर्ष तक के आयु समूह में शामिल सभी बच्चों को प्रासंगिक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय प्रायोगिक कार्यक्रम के रूप में की गई। इसे देश के सभी जिलों में लागू किया जा रहा है और इसका एक मुख्य लक्ष्य वर्ष 2010 तक प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर और वर्ष 2007 तक प्राथमिक चरण पर सभी जेंडर और सामाजिक श्रेणी अंतरालों को भरना है। कार्यक्रम, लड़कियों, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और कठिन परिस्थितियों से गुजरने वाले अन्य बच्चों की शैक्षिक जरूरतों पर खास ध्यान देते हुए समूचे देश तक अपनी पहुँच स्थापित करते हैं।

fodkl % igy ,o enn

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डीपीईपी) : वर्ष 1994 से प्रस्तुत कार्यक्रम प्रारंभिक शिक्षा को नया बल देने के अतिरिक्त संसाधन प्रदान करता है। कार्यक्रम ने नियोजन एवं कार्यान्वयन प्रक्रिया के पहलुओं में जेंडर परिप्रेक्ष्य को सम्मिलित करने का प्रयास किया है। जेंडर मेनस्ट्रिमिंग के महत्व की पहचान करते हुए और पहुँच, प्रतिधारण (retention) और उपलब्धि स्तरों की समस्याओं से जूझने की कार्यनीतियों में, इसे अहम् भाग बनाते हुए और सर्वाधिक सुविधावंचित समूहों/समुदायों के बच्चों तक पहुँचने में, कार्यक्रम ने जेंडर परिप्रेक्ष्य के महत्व को समझा/पहचाना है। ''नामांकन, प्रतिधारण और अधिगम उपलब्धियों के संबंध में स्त्री–पुरुष असमानताओं को कम करने और लड़कियों को अधिक संख्या में शामिल करने और इनकी शैक्षणिक उपलब्धियों को बेहतर बनाना'' परियोजना का लक्ष्य था।

महिला सामख्या (Samakhya) : एनपीई में उल्लिखित लक्ष्य को अनूदित करने के लिए वर्ष 1989 में महिला सामख्य योजना शुरू की गई। इसका मुख्य लक्ष्य समानता की प्राप्ति के लिए महिलाओं को सशक्त करने में पूरी तरह शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना था। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तीकरण और शिक्षा के संबंध में, यह बेहद ठोस कार्यक्रम है। महिलाओं की आकांक्षाओं और अवसरों पर, इस कार्यक्रम का जोरदार प्रभाव है और इससे महिलाएं अपनी प्राथमिकताओं को पहचानने के योग्य हैं और महिलाएं समुदाय द्वारा महिला शिक्षा पर थोपे गए अवरोधों से जूझने के लिए अन्य महिलाओं के साथ मिलजुल कर काम करती हैं।

महिला निरक्षरता समाप्ति हेतु विशेष अंतःक्षेप : जनगणना (2001) के अनुसार, 47 जिलों की पहचान 30% से कम वाले महिला साक्षरता जिलों के रूप में की गई। ऐसे अधिकतर जिलें बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड आदि में भारी संख्या में है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के भाग के रूप में निम्न महिला साक्षरता से जूझने को प्राथमिकता के रूप में माना गया और ऐसे जिलों में महिला साक्षरता के महत्व को बढ़ाने के लिए विशेष परियोजना को शुरू किया गया ताकि त्वरित महिला साक्षरता कार्यक्रम की शुरूआत हो। अन्य ऐसा अंतःक्षेप कुल साक्षरता अभियान (टीएलसी) था और यह जिला स्तरीय नियोजन और कार्यान्वयन के जरिए 15 से 35 वर्ष तक के आयु समूह में निरक्षरता उन्मूलन पर ध्यान केंद्रित करता है। साक्षरता अभियानों द्वारा जनित सामाजिक एकजुटता समता के महत्व को बढ़ाती है और जेंडर संबंधों को पुनः परिभाषित करने में योगदान देती हैं।

प्रारंभिक स्तर पर राष्ट्रीय बालिका शिक्षा कार्यक्रम (एनपीईजीईएल) : इसकी शुरूआत वर्ष 2003 में एसएसए के महत्वपूर्ण कार्यक्रम के तहत हुई और यह प्रारंभिक चरण पर अल्पसुविधा प्राप्त, सुविधावंचित लड़कियों की शिक्षा के लिए अतिरिक्त घटक प्रदान करता है। यह कार्यक्रम स्टेशनरी जैसे सामग्री प्रोत्साहनों की प्रस्तुति करता है और अवार्ड, उपचारात्मक शिक्षण और ब्रिज पाठ्यक्रमों जैसे अतिरिक्त अंतःक्षेपों की प्रस्तुति करता है।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) :

योजना, एसएसए के अंतर्गत भी लागू है और योजना का बुनियादी लक्ष्य बेहद पिछड़ी और सुविधावंचित ग्रामीण बालिकाएं जो पाँचवीं कक्षा तक या इससे परे नहीं पढ़ पाई अर्थात् इन्हें पढ़ाई करने का दूसरा मौका नहीं प्रदान करना है। योजना, बालिकाओं को अपनी उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के लिए छात्रावास संबंधी सुविधाएं प्रदान करती है। योजना, शैक्षिक रूप से पिछड़े ऐसे खंडों में लागू है जहाँ स्त्री या पुरुष होने के नाते, इनके बीच का फासला काफी विस्तृत है। योजना से लाभान्वित सामाजिक श्रेणियाँ हैं – अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, अन्य पिछड़े वर्ग (ओबीसी), धार्मिक

अल्पसंख्यक और बीपीएल (गरीबी रेखा से निचले) परिवार। केजीबीवी के घटक निजी विकास, संप्रेषण सक्षमता को बेहतर बनाना और स्वास्थ्य संबद्ध जागरूकता जैसी सशक्तीकरण पर टिकी कार्यनीतियों की प्रस्तुति करते हैं।

महिला शिक्षा के संघनित पाठ्यक्रम : ऐसे पाठ्यक्रमों को केंद्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड के माध्यम से लागू किया जाता है। पाठ्यक्रम – जनजातीय, पहाड़ी, पिछड़े क्षेत्रों की जरूरतमंद महिलाओं और मुख्यधारा शिक्षा पद्धति से वंचित या पढ़ाई बीच में छोड़ देने वाली 15 वर्ष की शहरी मलिन बस्तियों में रहने वाली लड़कियों को लाभ देने पर लक्षित है। पाठ्यक्रमों के जरिए इन्हें प्राथमिक, मिडिल/उच्च स्कूली शिक्षा जैसे भिन्न–भिन्न स्तरों की शिक्षा तक पहुँच बनाने का अवसर प्रदान किया जाता है। योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को शैक्षिक योग्यता और उचित कौशलों से संपन्न बनाना है ताकि ये काबलियत के आधार पर उचित मेहनताना प्राप्त करने की योग्यता में खरी उतर पायें और साथ ही, सशक्त करने के लिए इन्हें कार्य संबंधी उचित अवसरों की प्राप्ति हो।

इन उपायों या उचित कदमों को उठाने के अलावा बालिका शिक्षा के महत्व को बढ़ाने की दिशा में अभी तक अन्य कुछ नवीन पहल भी की गई। ये हैं – ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत कम से कम 50 फीसदी महिला अध्यापिकाओं की अनिवार्य भर्ती, शिक्षा गारंटी योजना (ईजीएस) स्कूल, ब्रिज पाठ्यक्रम, बैक टू स्कूल कैम्पस, विरत बालिकाओं के लिए छात्रावासीय कैंप और खासतौर पर शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े जिलों/खंडों की बालिकाओं को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक शिक्षा में उत्पन्न जेंडर अंतराल को भरने के लिए लोक जुंबिश (राजस्थान) कार्यक्रम आदि।

तालिका 2.1 शिक्षा में जेंडर मुद्दों पर केंद्रित अंतक्षेप (भारत से जुड़े)

vkr%{ki	mfpr dkjokbZ
बालिका नामांकन	• बालिका नामांकन के लिए समुदाय को एकजुट करना • डीपीईपी के अंतर्गत 30-50% महिला सदस्यों से गठित ग्राम शिक्षा समिति ताकि स्कूल में बालिकाएं पढ़ती रहें और स्कूल न छोड़े, अर्थात् इस बात पर निगरानी बनाना संभव हो • स्कूलों में माँ–अध्यापक संघ, बालिका सहभागिता को प्रोत्साहित करता है।
स्कूलों में बालिकाओं का निरंतर बने रहना	• मिड–डे मील, मुफ्त किताबें, वर्दियाँ और वज़ीफा आदि के रूप में प्रदत्त प्रोत्साहनपरक संसाधन
गुणवत्ता को बेहतर बनाना	• बालिकाओं के हित को ध्यान में रखते हुए पाठ्यचर्या और पाठ्यपुस्तकों की समीक्षा • बच्चों को आकर्षक अध्ययन–अध्यापन सामग्री देने का प्रावधान • स्कूलों में बालिकाओं को अनिवार्य बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने का प्रावधान

जेंडर और सामाजिक समता के मुद्‌दों के महत्व को बढ़ाना	• डीपीईपी के अंतर्गत प्रशिक्षण और वर्तमान सहयोग के लिए जेंडर एकक की स्थापना • स्कूलों में बालिका सहभागिता और उपलब्धियों पर नियमित निगरानी बनाये रखना • लोक जुंबिश के तहत जेंडर संयोजकों की नियुक्ति और पर्यवेक्षण की दृष्टि से लगभग 30 से 50% महिला स्टॉफ की नियुक्ति।
अध्यापक अभिप्रेरण	• गैर–औपचारिक पद्धति में बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा गारंटी योजना या वैकल्पिक शिक्षा के तहत परा–अध्यापकों की नियुक्ति; ऐसे अध्यापकों की मौजूदगी से स्कूली अध्यापकों का बोझा कम हो जाता है। • लोक जुंबिश के अंतर्गत महिला अध्यापकों के लिए मंच सृजित किया जाता है जहाँ वे अपने अनुभवों का आदान–प्रदान कर सकती हैं और एक–दूसरे के क्रियाकलापों को सहयोग प्रदान कर सकती हैं; मंच में ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत् महिला अध्यापकों के सम्मुख आने वाली ण्समस्याओं पर भी ध्यान केंद्रित किया जाता है।
बढ़ती उम्र की या स्कूली पढ़ाई बीच में छोड़ देने वाली बालिकाओं को पुनः स्कूल ले जाना	• महिला शिक्षण केंद्र, बालिका शिक्षण शिविर और महिला सामख्या कार्यक्रम के जरिए ब्रिज पाठ्यक्रमों, अल्पकालिक शिविरों, निर्धारित समय में आयोजित शिविरों, मुक्त शिक्षा पद्धति आदि के माध्यम से शिक्षा देने का प्रावधान।

Lkksr % विमल रामचंद्रन, 2003

ckèk i'u 1

ukV : i) प्रश्नों के उत्तर नीचे दिए गए खाली स्थान में लिखिए।

ii) अपने उत्तर की तुलना इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए।

1. कोठरी आयोग रिपोर्ट के घोषणा पत्र की संक्षेप में चर्चा कीजिए।

....

....

....

....

....

2-5 f'k{kk % vojkèk

शिक्षा तक महिलाओं की पहुँच की राह बहुत से सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारकों से अवरुद्ध होती हैं।

मानसिक सोच : बालिका शिक्षा को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक, बालिका शिक्षा के बारे में प्रौढ़ों के मस्तिष्क में बसी रूढ़िवादिताएं हैं। निर्णायक के रूपा में आर्थिक कार्य में भाग लेने में बालिकाओं की क्षमता और सामर्थ्य को लेकर, प्रौढ़ अपेक्षाकृत अधिक शंकाग्रस्त रहते हैं और इसलिए वे महिलाओं को सिर्फ पारंपरिक भूमिकाएं निभाने तक ही सीमित कर देते हैं और इनके लिए स्कूल में हल्के–फुल्के विषय लेने की ही बात पर जोर देते हैं। लड़कियाँ स्कूल में मानविकी, सामाजिक विज्ञान, गृह विज्ञान, भाषा आदि जैसे विषय ही चुनती हैं। गणित, भौतिक, जीव विज्ञान, प्रयोगशाला कार्य जैसे अन्य विकल्पों को लड़कों के सामर्थ्य की बात ही माना जाता है। मानविकी और सामाजिक विज्ञान में महिलाओं का जरूरत से अधिक उल्लेख किया जाता है जबकि विज्ञान, प्रौद्योगिकी और इंजीनियरी में इनके बारे में काफी कम दर्शाया जाता है। इस तरह महिलाएं स्वतः आत्मविश्वास की कमी को दर्शाने लगती हैं और अंततः अपनी छवि को निश्चित दायरे तक सीमित कर लेती हैं। लोगों के मस्तिष्क से यदि ऐसी सोच को हटाया जा सके तो तभी स्त्री और पुरुष के बीच की असमानता को दूर करना संभव होगा।

माता–पिता की उम्मीद और अभिवृत्ति (रवैया) : अक्सर माता–पिता अपने पुत्रों की तुलना में पुत्रियों से कोई ज्यादा उम्मीदें नहीं रखते। शिक्षा की प्रक्रिया के संबंध में माता–पिता की उम्मीदें अपने पुत्रों और पुत्रियों से अलग–अलग किस्म की होती हैं। इनकी पुत्रों से काफी ज्यादा उम्मीदे होती हैं जबकि पुत्रियों के लिए, वे चाहते हैं कि इनकी शादी अच्छे घराने में हो जाये। इसलिए स्कूली पाठ्यचर्या में निरंतर ''सशक्त बालिका'' को ध्यान में रख कर, इसकी क्षमता की पहचान कर, इस बात पर जोर देना होगा कि लड़कियाँ, हमारे समाज द्वारा इन पर थोपी गई पारंपरिक भूमिकाओं तक ही सीमित नहीं हैं (कुमार 2008)।

अपनी पुत्रियों की शिक्षा के प्रति माता–पिता का नकारात्मक रवैया भी बालिका शिक्षा की राह का अवरोध बन सकता है। जहाँ माता–पिता अपने पुत्रों की शिक्षा को निवेश मानते हैं वहीं वे पुत्रियों की शिक्षा को पैसे की बर्बादी मानते हैं।

निर्धनता : बच्चों खासतौर पर लड़कियों की शिक्षा में निर्धनता एक मुख्य अड़चन है। प्राथमिक स्कूल जाने की आयु वाली लड़कियों में बेहद समृद्ध परिवारों की तुलना में 60 फीसदी निर्धनतम परिवारों की ऐसी उम्र की लड़कियूं स्कूल पढ़ाई बीच में छोड़ देने के तीन गुणा अधिक मामलों को दर्शाती हैं। माध्यमिक शिक्षा प्राप्ति की ऐसे समूह में संभावना बेहद निम्न है और आमतौर पर बढ़ती उम्र की लड़कियों या किशोरियों की पढ़ाई बीच में छोड़ देने की उच्च संभावना होती है। पैसों की कमी के कारण यदि परिवार को तय करना हो कि लड़की को पढ़ाए या लड़के को तो लड़के का पढ़ाना ही स्वाभाविक पसंद माना जाता है। लड़कियों को पशु चारा, आग जलाने की लकड़ी, पानी भरने आदि जैसे रोज़ाना के संघर्षों की चक्की में पीस दिया जाता है और वे ऐसे कामकाजों से इतना थक जाती हैं कि पढ़ना–लिखना, उनके बस की बात नहीं रहती। इसके अलावा, लड़कियों को रोटी पकाना, साफ–सफाई करना और अपने छोटे भाई–बहिनों की देखभाल करने जैसे विविध घरेलू कामकाज भी करने पड़ते हैं और इनके अलावा देहाती लड़कियों को खेतों में भी कामकाज करना पड़ता है और घरेलू

पशुओं की भी देखभाल करनी पड़ती है। लड़कियों का घरेलू कामकाजों में काफी अधिक योगदान होता है।

अपर्याप्त स्कूली सुविधाएं : भारत में शिक्षा से जुड़ा अन्य अवरोध पर्याप्त स्कूली सुविधाओं का अभाव है। प्रोब (PROBE) सर्वेक्षण के अनुसार, 63 फीसदी स्कूलों की छत टपकती हैं, 52 फीसदी स्कूलों में खेल का मैदान नहीं हैं, 58 फीसदी में पीने के पानी का अभाव है, 89 फीसदी स्कूलों के शौचालय ठप्प रहते हैं और 27 फीसदी स्कूलों में ब्लैकबोर्डों का अभाव है। सिर्फ 2 फीसदी स्कूल सभी सुविधाओं से लैस हैं जबकि 8 फीसदी स्कूल हर सुविधा से वंचित हैं (फ्रेब, 1999)। देश भर के स्कूलों के बुनियादी ढांचे की ऐसी ही शोचनीय स्थिति है। लेकिन एसएसए की शुरूआत के समय से स्कूलों के बुनियादी ढांचों में जबर्दस्त बदलाव होता रहा है। हाँलाकि, इस दिशा में अभी और बहुत कुछ करना बाकी है। स्कूलों का लड़कियों की बुनियादी सुविधाओं के प्रति संवेदनशील होना खासतौर पर लड़कियों के लिए अच्छे शौचालय, पीने का पानी और बेहतर सुरक्षा आदि ऐसे मुद्दे हैं जिनकी तरफ ध्यान देना जरूरी है।

महिला अध्यापकों की कमी : बालिका शिक्षा की राह का अभाव है। यदि स्कूलों में महिला अध्यापक होंगे तो लड़कियों की स्कूल जाने और अच्छे अंकों से पास होने की संभावना भी उतनी उच्च होगी। इसलिए, महिला अध्यापकों की और अधिक भर्ती के प्रति खास ध्यान देना जरूरी है।

पाठ्यचर्या में महिलाओं के प्रति भेदभाव : पाठ्यपुस्तकों में महिलाओं और पुरुषों की रूढ़िवादी भूमिकाओं को निरंतर दर्शाया जाता है जबकि ऐसा न हो और इसके लिए निरंतर उपाय बरतने के बावजूद यह सिलसिला कायम है। अध्यायों में पुरुषों के मुख्य किरदार के रूप में दर्शाते हुए, इन्हें मज़बूत, होशियार और जोखिम उठाने में सक्षम के के रूप में बताया जाता है। जबकि महिलाओं को दुर्बल और मजबूर और अक्सर घरेलू कामकाजों में जुटे किरदारों के रूप में दर्शाया जाता है। ऐसी व्याख्या, समाज में महिलाओं की हैसियत को बेहतर बनाने की राह की ठोस अड़चन है।

किशोरियों की बदतर स्थिति : किशोरी बनने पर लड़कियों की स्थिति बद से बदतर हो जाती है और इन्हें शिक्षा के अवसर से वंचित कर दिया जाता है और किशोरावस्था के आरंभ होने पर औपचारिक स्कूलों से हटा लिया जाता है। कुछ को शादी के लिए बाध्य किया जाता है और इससे पहले कि अपने सामर्थ्य को समझ पायें, वे छोटी उम्र में ही माँ बन जाती हैं। गौरतलब है कि 12 से 14 वर्ष तक का आयु समूह ऐसा है जब लड़कियाँ अधिक तादाद में पढ़ाई बीच में छोड़ देती हैं। इसके अलावा, यौन उत्पीड़न और हिंसा निरंतर ऐसे मुख्य कारक हैं जो माता–पिता को अपनी पुत्रियों को स्कूल भेजने से रोकते हैं। सुविधावंचित परिवार अपनी लड़कियों को सुरक्षित तरीके से स्कूल भेजने खासतौर पर अपने घरों से दूर स्थापित माध्यमिक स्कूलों में भेजने में दिक्कत महसूस करते हैं।

ये सभी सामाजिक, वैयक्तिक और आर्थिक कारक अंतःसंबद्ध हैं और आपस में एक–दूसरे को प्रबलित करते हैं। यदि इन अवरोधों को बिना विचारे, लड़कियों को पढ़ाने और इन्हें स्कूल भेजने की बात की जाए तो यह सिर्फ मशीनी अभ्यास ही बन कर रह जाएगा और जीवित रहने के लिए इनका रोज़ाना का संघर्ष निरंतर जारी रहेगा। इन अवरोधों से बाहर निकलने के लिए महिलाओं को स्व–चालित और स्व–प्रेरित कार्यनीति में बेहद सक्रिय रूप से भाग लेना होगा।

2-6 f'k{kk ,oa fodkl y{;

विकास की हर संकल्पना मानव और सामाजिक आयामों पर अवश्य केंद्रित होनी चाहिए। अमर्त्य सेन (2002) का मानना है कि मानव क्षमता का विस्तार विकास प्रक्रिया की मुख्य विशेषता है। विकासात्मक प्रक्रिया के लक्ष्यों की प्राप्ति आसानी से संभव होती है जब मानव क्षमता को शिक्षा और स्त्री–पुरुष समता के आधार पर आगे बढ़ाया जाता है। सभी के लिए शिक्षा आधारित दकार (Dakar) ढाँचे में उल्लिखित लक्ष्य हैं : (क) सुनिश्चित करना कि कठिन परिस्थितियों और नृजातीय अल्पसंख्यकों से संबंधित सभी बच्चे खासतौर पर बालिकाओं की अच्छी किस्म की निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा तक पहुँच होगी और वे इसे पूरा भी कर पायेंगी। वर्ष 2015 तक खासतौर पर महिलाओं के लिए प्रौढ़ शिक्षा के स्तरों में 50% सुधार करना और सभी प्रौढ़ों की बुनियादी और सतत् शिक्षा तक समान पहुँच स्थापित करना; और (ग) वर्ष 2005 तक प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में जेंडर असमानताओं को समाप्त कर, वर्ष 2015 तक शिक्षा में स्त्री–पुरुष समानता के लक्ष्य की प्राप्ति करना और जहाँ यह सुनिश्चित करना कि अच्छी किस्म की बुनियादी शिक्षा में लड़कियों की पूर्ण और समान पहुँच हो (यूनेस्को, 2000)। सर्वजनीन प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति और स्त्री–पुरुष समानता के महत्व को बढ़ाना और महिला सशक्तीकरण की प्राप्ति के समान लक्ष्यों को भी सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों (एमडीजी) में उभारा गया है।

सहस्राब्दि विकास लक्ष्य (एमडीजी) : ये लक्ष्य विकास संबंधी प्रयासों को सर्वाधिक विस्तृत स्वीकृत पैमाने बन गए हैं। ये मानव विकास में मुख्य उपलब्धियों से संबद्ध समयबद्ध लक्ष्य हैं। संयुक्त राष्ट्र सहस्राब्दि शिखर वार्ता (2000) के दौरान विविध राज्यों के लगभग 147 मुख्याध्यक्षों ने इस वार्ता में भाग लिया और एमडीजी को अंगीकृत किया। क्या आपको इनका स्मरण है? इनकी पुनः सूचीबद्ध प्रस्तुति इस प्रकार है :

1. 1990 के दौर की अति गरीबी और भुखमरी की तुलना में इसे आधा करना
2. सर्वजनीन प्राथमिक शिक्षा की प्राप्ति
3. स्त्री–पुरुष समानता और महिला सशक्तीकरण के महत्व को बढ़ाना
4. 1990 के दौर की बाल मृत्यु दर की तुलना में इसे दो–तिहाई भाग तक घटाना
5. 1990 के दौर में मातृ मृत्यु दर को घटाना और मातृ स्वास्थ्य को इसकी तुलना में तीन–चौथाई तक बेहतर बनाना
6. एचआईवी/एड्स, मलेरिया और अन्य रोगों के फैलाव को रोकना
7. पर्यावरणीय चिरस्थायित्व सुनिश्चित करना
8. विकास के लिए वैश्विक सहभागिता विकसित करना

जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी, शिक्षा तक समान पहुँच, अन्य सभी विकास लक्ष्यों की प्राप्ति का आधारिक बिंदु हैं। हाल ही के आंकड़े दर्शाते हैं कि हर 100 विरत छात्रों की तुलना में अभी भी समान स्थिति में 117 विरत छात्राएं हैं। स्कूल में छात्रों और छात्राओं के एकसमान संख्या तक पहुँचने से ऐसे ज्ञान का निर्माण संभव होगा जो गरीबी, भुखमरी और रोगों से जूझने के लिए अनिवार्य है और जिससे पर्यावरणीय स्थायित्व सुनिश्चित करना संभव होगा।

2-7 Hkkjr ds fodkl y{;

एमडीजी के लक्ष्यों के अनुरूप प्रत्येक देश ने अपने विकास लक्ष्यों और योजनाओं को विकसित किया है। भारत के विकासात्मक लक्ष्य सामान्यतौर पर जन के सर्वांगीण विकास और मानव विकास की प्राप्ति में सहायक अन्य लक्ष्यों पर केंद्रित हैं। शिक्षा के संबंध में भारत के विविध दस्तावेजों जैसे कि भारत सरकार की पंचवर्शीय योजना विजन इंडिया 2020 (योजना आयोग), राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उल्लिखित विकासात्मक लक्ष्य इस प्रकार हैं :

- जन की शैक्षिक आकांक्षाओं को पूरा करना;
- गरीबी को एकसाथ मिल कर दूर करना और सभी को सर्वजनीन प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना;
- माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना;
- उच्च शिक्षा में गुणवत्ता और प्रासंगिकता को बेहतर बनाना; और
- जेंडर, जाति और सामाजिक–आर्थिक समूहों द्वारा शिक्षा में समाता लाना और हर प्रकार की शिक्षा में असमानताओं को कम करना।

कार्यनीतियों और दृष्टिकोणों में हल्के परिवर्तन के साथ, भारत में शिक्षा के विकास लक्ष्य, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से समान ही हैं। विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में नये दृष्टिकोण, नयी विधियाँ और नये लक्ष्यों पर जोर दिया जाता हैं हाँलाकि, लक्ष्यों की प्राप्ति में ऐसे प्रयास सकल रूप से अपर्याप्त हैं।

fodkl ,tsaMk esa L=h&iq#"k lekurk ij è;ku dsfUnzr djus dh vko';drk

विश्व बैंक (2001) की रिपोर्ट के अनुसार, शिक्षा में स्त्री–पुरुष होने के नाते भेदभाव दक्षिण एशिया में सबसे अधिक है। यहाँ पुरुषों की तुलना में शिक्षा में वर्षों से महिलाएं औसतन इनकी। 50% ही साक्षर हैं और माध्यमिक स्तर पर महिला नामांकन दर, पुरुष दरों का मात्र दो–तिहाई ही है।

विकास के स्वप्न को हकीकत में बदलने के लिए महिला शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना अत्यावश्यक है क्योंकि इससे गरीबी उन्मूलन, शिशु मृत्यु दर, स्वास्थ्य और स्वच्छता, बाल श्रम, आय असमानता आदि जैसे विकास संबंधी विविध मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने में सहायता मिलेगी। इस संबंध में शिक्षा और मानव विकास के महत्व को बढ़ाने में केरल की उपलब्धि प्रमाण साबित होती है। विकासात्मक लक्ष्यों की ओर अग्रसर होने में केरल में जन साक्षरता, समाज के सुविधावंचित वर्गों की राजनीतिक सक्रियता और समाज में महिलाओं की संतोशजनक स्थिति ने बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शिक्षा में स्त्री–पुरुष समानता पर ध्यान केंद्रित करने में निम्नलिखित फायदे, उचित कारण की भूमिका निभाते हैं :

- जब महिलाओं को शिक्षा के अधिकार से सशक्त किया जाता है तो स्वास्थ्य का अधिकार और उपयुक्त कामकाज करने जैसे अन्य सामाजिक अधिकारों की प्राप्ति, उन्हें सहज रूप से हो जाती है और ये सभी परस्पर रूप से महिलाओं को सशक्त करते हैं। अतः शिक्षा से आमदनी और स्वास्थ्य, पारिवारिक संरचना आदि पर सकारात्मक प्रभाव बनता है और जीवन की गुणवत्ता और अवसरों के निर्धारण में, ये महिलाओं के लिए सहायक होती हैं।

- शिक्षा के जरिए प्राप्त अध्ययनपरक अवसर महिला को अपनी अस्मिता को सही रूप देने, उसमें क्षमता और सामर्थ्य विकसित करने और तरह–तरह के क्रियाकलापों में भाग लेने में उसे हिम्मत देने में सहायता करते हैं।
- शिक्षा में स्त्री–पुरुष समानता बहुत तरह के प्रभाव लाती है। शिक्षित लड़कियाँ पूरी तरह से परिपक्व होने के बाद ही शादी करने का मन बनाती हैं और इनकी एक या दो संतान होती हैं और अच्छी परवरिश और अच्छा परिवेश मिलने से ऐसी माताओं के बच्चों की जीवन जीने की संभावना अपेक्षाकृत उच्च होती है और इनका पालन–पोषण और शिक्षा भी बेहतर किस्म की होती है। शिक्षित लड़कियाँ अपने घर में अपेक्षाकृत अधिक उत्पादनशील होती हैं और नौकरी में अच्छी तनख्वाह की भी प्राप्ति करती हैं और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक निर्णयन प्रक्रिया में अपेक्षाकृत बेहतर तरीके से भाग लेने के योग्य होती हैं। शिक्षा में समानता, बाल मृत्यु दर में घटोतरी, प्रजनन क्षमता और अल्पपोषण जैसे मुद्दों को संतुलित करने में सहायक होती है और इससे अगली पीढ़ी के शैक्षिक प्रतिफलों में बढ़ोतरी की संभावना उच्च हो जाती है।

अतः शिक्षा में स्त्री–पुरुष समानता, अन्य ऐसे विकासात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होती है जो कि किसी न किसी तरीके से अंतः संबद्ध होते हैं।

ckèk iz'u 2

ukV : i) प्रश्नों के उत्तर नीचे दिए गए खाली स्थान में लिखिए।

ii) अपने उत्तर की तुलना इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए।

1. भारत के विविध विकास लक्ष्यों की चर्चा, शिक्षा को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए कीजिए।

....

....

....

....

2-8 L=h&iq#"k lerk ykus ls tqM+h dk;Zuhfr;k¡

विश्व आबादी का लगभग 1/6 भाग भारत की आबादी से बनता है। इसलिए एमडीजी की प्राप्ति में भारत द्वारा की गई तरक्की निश्चित तौर पर लक्ष्य के संबंध में भारी संख्या में प्रजनन को लाभान्वित करेगी। भारत ने विविध समयबद्ध कार्यक्रमों और योजनाओं के जरिए लक्ष्यों तक पहुँचने में कुछ हद तक प्रगति की है। हाँलाकि ऐसी प्रगति असमुचित किस्म की रही है और भारत लक्ष्यों की प्राप्ति की दृष्टि से पिछड़ा नज़र आता है। यद्यपि साक्षरता के प्रसार में काफी नये प्रयास किए गए हैं और 2001 की जनगणना के अनुसार निरक्षरों की संख्या वास्तव में घटी है लेकिन पुरुषों और महिलाओं की शिक्षा के बीच का फासला अभी–भी गंभीर मुद्दा बना हुआ है। यद्यपि 2001 में साक्षरता दरों में बढ़ोतरी हुई है फिर भी महिला साक्षरता दर 22% के आधार पर पुरुष साक्षरता दर से पिछड़ी हुई है। मानव विकास के पथ के साथ आगे बढ़ते हुए भारत को, जैसा कि निम्नलिखित चर्चा में उल्लिखित है, सर्वांगीण विकास के प्रति अग्रसर होने के लिए असरदार कार्यनीतियों और योजनाओं को अपनाना होगा।

- **l:lkèkuksa ij è;ku dsafnzr djuk %** शिक्षा बजट का महत्वपूर्ण भाग, महिला शिक्षा के प्रति समर्पित करना होगा। अच्छे किस्म के स्कूल और इनकी आंतरिक क्षमता को बेहतर बनाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों को एकत्र करना होगा ताकि लड़कियों की जरूरतों पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। गैर–औपचारिक शैक्षिक संस्थानों के वित्तयन एवं प्रबंधन में समुदाय की सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। इसके अलावा निजी उद्यमियों, मुनाफा जनन सेक्टरों, गैर सरकारी संगठनों, पंचायती राज संस्थानों आदि जैसे बहुविध सहभागी संस्थानों से विचारों का आदान–प्रदान कर, शिक्षा की नयीं भागीदारी विकसित की जानी चाहिए ताकि जेंडर लक्षित शैक्षिक अंतःक्षेपों को सुगम बनाने में संसाधन संबंधी अवरोधों को दूर करना संभव हो। संक्षेप में, जेंडर समता के महत्व को बढ़ाने वाली शिक्षा की कार्यपद्धतियाँ और संबद्ध संरचनाओं के किफायती डिज़ाइनों को शिक्षा में समानता लाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

- **vo#)dkjh dkjdksa ij è;ku dsafnzr djuk %** बालिकाओं के शैक्षिक परिवेश को अवरुद्ध करने वाली स्थानीय समस्याओं की सजगता से छानबीन की जानी चाहिए। ऐसी अवरुद्धकारी समस्याओं को तकनीकी, प्रशासनिक, सामाजिक–आर्थिक और राजनीतिक आदि जैसी श्रेणियों में इनकी प्रकृति के आधार पर विभाजित किया जाना चाहिए। इससे किसी खास कारक पर ध्यान केंद्रित करने में सहायता मिलेगी। साथ ही, मांग और पूर्ति अर्थात् दोनों पक्षों में उत्पन्न होने वाले अवरुद्धकारी कारकों का विश्लेषण करने में सजगता बरती जानी चाहिए। ऐसे सभी कारकों पर विचार कर, लक्ष्य तक पहुँचने के संबंध में नये अंतःक्षेपी कार्यक्रमों की प्रस्तुति करने में सहायता मिलेगी।

- **oSdfYid forj.k i)fr;k¡ %** शैक्षिक पद्धति को अपने रूढ़िवादी ढांचे के दायरे से बाहर निकलने का प्रयास कर स्वयं को परिचालन के लचीले माध्यमों के अनुकूल ढालना चाहिए। अंशकालिक औपचारिक या गैर–औपचारिक शिक्षा, प्रवासी श्रमिकों के बच्चों के लिए कुछ खास महीनों में अध्ययन केंद्रों की व्यवस्था, गैर सरकारी संगठनों द्वारा स्थापित स्वैच्छिक स्कूल, उत्तर–प्राथमिक मुक्त शिक्षा, किशोरियों के लिए शिविर आदि जैसी कार्रवाइयों के महत्व को क्रमबद्ध तरीके से बढ़ाना चाहिए। पढ़ाई बीच में छोड़ने वाली बढ़ती उम्र की लड़कियों को मुख्य धारा वाली औपचारिक शिक्षा से जोड़ने के प्रयासों को भी महत्व दिया जाना चाहिए (शिक्षा के विकास पर आधारित राष्ट्रीय रिपोर्ट 2004)।

- **xq.koÙkk esa lq/kkj %** इनका न सिर्फ बालिकाओं के तात्कालिक नामांकन और प्रतिधारण (retention) पर ही बल्कि बालिकाओं की आगामी शिक्षा और इनके विकास पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। शिक्षा की प्रक्रिया और अंतर्वस्तु में गुणात्मक सुधार होना चाहिए और संस्थागत प्रबंधन प्रक्रमों को सुदृढ़ बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। पूर्व–सेवा प्रशिक्षण और सेवारत् प्रशिक्षण जैसे तरीकों से अध्यापक शिक्षा को सुदृढ़ और इसका पुनः अभिविन्यास किया जाना चाहिए और बालिकाओं की शिक्षा के बारे में अध्यापकों की धारणा को विस्तृत किया जाना चाहिए। लड़कियों की जरूरतों को पूरा करने वाली उपयुक्त बुनियादी सुविधाओं का शैक्षिक ढांचे में प्रदान किया जाना चाहिए।

लड़के और लड़की को समान मानने की बात को भारत के संविधान के अंतर्गत मूलभूत अधिकार के रूप में स्थापित किया गया है। इस बात को हकीकत में बदलने के लिए जेंडर–समावेषी और जेंडर–संवेदनशील, चक्रीय कार्यनीतियों को विकसित एवं लागू किया जाना चाहिए। लड़के और लड़की दोनों की परवरिश ऐसे माहौल में की जानी चाहिए जहाँ वे दोनों स्वयं को दूसरे के बराबर मानें और जहाँ लड़कियों से कोई भेदभाव न हो और दोनों स्वयं को एक–दूसरे का प्रतिद्वंदी न समझें।

2-9 dk'ky mUu;u

कौशल और ज्ञान, आर्थिक संवृद्धि और सामाजिक विकास के प्रेरक बल हैं। उच्च और बेहतर कौशलों से संपन्न व्यक्ति अधिक असरदार तरीके से चुनौतियों का मुकाबला करने के योग्य होते हैं। इसलिए शिक्षा अपने लक्ष्यों की प्राप्ति तभी कर सकती है यदि वे उचित और रोजी रोटी कमाने वाले कौशलों से जन को सशक्त कर सके। विशेष रूप से महिलाओं को उचित किस्म का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और इनके कौशलों को इनकी शिक्षा कार्यक्रम के भाग के रूप में बेहतर बनाया जाना चाहिए। शिक्षा महिलाओं के लिए तभी सार्थक सिद्ध होगी जब वे शिक्षा द्वारा प्रदत्त पर्याप्त कौशलों और ज्ञान के जोर पर असल जगत से तोलमोल करने के योग्य बन पायें। व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए शैक्षिक पद्धति में शैक्षणिक और व्यावसायिक विषय–क्षेत्रों का समावेशन किया जाना चाहिए।

भारत में हाल ही के वर्षों में कौशल उन्नयन निरंतर प्रचंड रूप धारण कर रहा है और इस बात का पता 11वी पंचवर्षीय योजना (2007–2010) से साफतौर पर चलता है। जिसमें कौशल विकास को मुख्य प्राथमिकता दी गई है। तीस नये केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना, पाँच नये भारतीय विज्ञान शिक्षा और शोध संस्थान (आईआईएसईआर), आठ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), सात भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) और बीस भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) जैसी नवीन पहल, कौशल विकास की चुनौतियों से निपटने पर लक्षित हैं। तत्पश्चात्, 11वी योजना ने माध्यमिक स्तर (कक्षा IX और X) और शायद प्रारंभिक स्तर (कक्षा VI से VIII) पर व्यावसायिक शिक्षा आरंभ करने का प्रस्ताव रखा है।

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (एनएसएस) के 61वे चक्र के अनुसार 15 से 19 वर्ष की आयु के व्यक्तियों में से लगभग 2% ने ही औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण और अन्य 8% ने गैर–औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण की प्राप्ति की है। लगभग 90% युवा बिना कौशल उन्नयन के लिए कार्य जगत में प्रवेश करते हैं। भारत में कौशल विकास पद्धति से जुड़ी बुनियादी समस्या है कि पद्धति, समाज की जरूरतों के प्रति गैर–प्रतिक्रियात्मक है और अक्सर अपेक्षित कौशल और प्रदत्त कौशलों के बीच बेमेलपन बना रहता है। और इसके अलावा भारत में लम्बी अवधि वाले कुछ गिने–चुने प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की ही प्रस्तुति की जाती है। भारत में कौशलों की प्राप्ति दो संरचनागत विषय–क्षेत्रों के माध्यम से संभव है। ये हैं : लघु औपचारिक और विस्तृत औपचारिक। औपचारिक संरचना में सम्मिलित हैं : (i) व्यावसायिक कालेजों के माध्यम से प्रदत्त उच्च तकनीकी शिक्षा; (ii) उच्चतर माध्यमिक चरण पर स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा; (iii) विशिष्ट संस्थानों में तकनीकी प्रशिक्षण; और (iv) प्रशिक्षुता प्रशिक्षण। चीन में दूसरी तरफ लगभग ऐसे 4000 लघु–अवधि मॉड्यूलर पाठ्यक्रम हैं जो रोजगार संबंधी अनिवार्यताओं के लिए जरूरत के मुताबिक अनिवार्य कौशल प्रदान करते हैं।

2-9-1 Hkkjr e: dk'ky fodkl fe'ku lcèkh dk;uhfr;k

सरकार ने कौशल विकास के महत्व को बढ़ाने के लिए विविध कार्यनीतियों को अपनाया है और इनमें से सर्वोच्च महत्व वाली कार्यनीति राष्ट्रीय कौशल विकास नीति की सृजना और कौशल विकास मिशन की आरंभता है और जिनसे तीन संस्थानों – प्रधानमंत्री कौशल विकास परिषद, कौशल विकास बोर्ड और कौशल विकास निगम की स्थापना हुई। इस संबंध में अंगीकृत कार्यनीतियाँ हैं :

- वर्तमान स्तर से कौशल संरचना की कवरेज को विस्तृत बनाने पर ध्यान केंद्रित करना। कौशल विकास कार्यक्रम छह से बारह हफ्तों के मॉडयूलों में आयोजित किए जाते हैं और जिनका अंत मॉड्यूल परीक्षा/प्रमाणन पद्धति से होता है।

- सभी व्यावसायिक शिक्षा स्कूलों को संकाय/प्रशिक्षक, इंटर्नशिप, पाठ्यचर्या व्यवस्था पर परामर्श और कौशल टेस्टिंग और प्रमाणन के लिए नियोक्ताओं से भागीदारी करने के लिए प्रेरित किया जाता है।

मृदु कौशलों के महत्व को बढ़ाने पर जोर दिया जाता है जैसे अंग्रेजी भाषा कौशल, परिमाणात्मक कौशल, कंप्यूटर साक्षरता, स्प्रेडशीट स्किल, वर्ड प्रोसेसिंग, कंप्यूटर ग्राफिक्स, प्रस्तुति कौशल और व्यवहारगत एवं अंतःव्यैक्तिक कौशल।

2-9-2 Hkkjr esa dkS'ky mUu;u dk;ZØe

महिला कौशलों के उन्नयन के लिए अंगीकृत उपाय, रोजगार के मुद्दे से परे तक विस्तृत होने चाहिए और इनमें सशक्तीकरण के मूलतत्व और आत्मविश्वास निर्माण का मुद्दा सम्मिलित होना चाहिए। कौशल विकास कार्यक्रम ऐसे होने चाहिए जो महिलाओं को विश्व की आवश्यकताओं के अनुकूल शिक्षा, ज्ञान, कौशल प्राप्ति करने की दृष्टि से महिलाओं को योग्य बना सकें। कौशल बेहतर बनाने के लिए भारत में महिलाओं के लिए उपलब्ध कार्यक्रमों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

Tku f'k{k.k laLFkku ¼tsa,l,l½

योजना बहुपक्षीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम है जो कि लाभार्थियों के व्यावसायिक कौशल और इनके जीवन–स्तर को बेहतर बनाने पर लक्षित है। जेएसएस का उद्देश्य, सामाजिक–आर्थिक दृष्टि से पिछड़े और विशेष रूप से नव साक्षरों, अर्द्ध–साक्षरों (ग्रामीण और शहरी आबादी) के शैक्षिक दृष्टि से अल्पसुविधाप्राप्त समूहों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं और बालिकाओं, मलिन बस्तियों में रहने वालों, प्रवासी कामगारों आदि का शैक्षिक, व्यावसायिक और पेशेवर विकास करना है। जन शिक्षण संस्थान अलग–अलग समयावधि वाले भिन्न–भिन्न कौशलों से जुड़े ढेर सारे व्यावसायिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति करता है। इन संस्थानों द्वारा 250 से अधिक किस्म के पाठ्यक्रमों और क्रियाकलापों की प्रस्तुति की जाती है। इन संस्थानों के प्रशिक्षण आधारित पाठ्यक्रमों में कपड़ों की कटाई, सिलाई, पोषाक तैयार करना, बुनाई और कढ़ाई, सौन्दर्यपरक शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, शिल्पकला, कला, चित्र बनाना और रंग भरना और बिजली के यंत्रों आदि की मरम्मत करना आदि सम्मिलित हैं।

Ikf'k{k.k vkSj jkstxkj dk;ZØe dks lg;ksx ¼LVsi½ %

केंद्रीय सेक्टर योजना के रूप में इस कार्यक्रम की शुरूआत वर्ष 1987 में की गई। ऋण तक पहुँच और सहयोग सेवाओं के प्रावधान और विपणन कड़ियों की व्यवस्था और महिलाओं के कौशलों को बेहतर बनाते हुए और स्थायी समूहों में एकजुट कर परियोजना आधार पर इन्हें रोजगार प्रदान करके कार्यक्रम का पारंपरिक क्षेत्र की महिलाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। योजना – कृषि, पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, मछली पालन, हथकरघा, शिल्पकला, खादी एवं ग्रामोद्योग और रेशम उत्पादन जैसे रोजगार के पारंपरिक क्षेत्रों को लाभान्वित करती है। योजना को सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों, राज्य निगमों, जिला ग्राम विकास एजेंसियाँ (डीआरडीए), सहकारी समितियाँ, परिसंघ और पंजीकृत स्वैच्छिक संगठन जो कि न्यूनतम तीन वर्षों से अस्तित्व में हैं अर्थात् इनके माध्यम से लागू किया जा रहा है।

fd'kksjh 'kfDr ;kstuk ¼dsa,lokbZ½

इस योजना को समेकित बाल विकास योजना की अवसंरचना के प्रयोग से लागू किया जा रहा है, योजना, 11 से 18 वर्ष की आयु समूह में किशोरियों की आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करती है और इनकी आत्म विकास की आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित

करती है और साथ ही, इनकी पोषण और स्वास्थ्य स्थिति, साक्षरता और अंकीय एवं व्यावसायिक कौशलों को बेहतर बनाती है।

vkj,ld: dh _.k lgk;rk

राष्ट्रीय महिला कोश के रूप में प्रचलित राष्ट्रीय महिला ऋण निधि की स्थापना, वर्ष 1993 में अनौपचारिक क्षेत्र की निर्धन और परिसंपत्तिविहीन महिलाओं की ऋण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए की गई थी। आरएमके की नवीन पहल महिलाओं को व्यावसायिक एवं कौशल विकास कार्यक्रम और क्षमता निर्माण प्रदान करने के कार्य में संलग्न सरकारी संगठनों, गैर सरकारी संगठनों और शोध संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इसके अलावा, आरएमके महिला कौशल को बेहतर बनाने पर लक्षित ज्युलरी डिज़ाइनिंग, कपड़ों की सिलाई और डेरी प्रबंधन में प्रशिक्षण जैसे अल्पकालिक कौशल विकास पाठ्यक्रमों के लिए वित्तीय सहयोग भी प्रदान करता है।

केंद्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड, राष्ट्रीय सार्वजनिक निगम और बाल विकास संस्थान (एनआईपीसीसीडी) आदि जैसे सरकारी संगठन, स्वैच्छिक संगठनों के कार्यक्रमों को सहयोग प्रदान करते हैं और गृह–आधारित एवं व्यावसायिक कौशलों को बेहतर बनाने के लिए महिलाओं और किशोरियों को प्रशिक्षण प्रदान करता है। महिलाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम की प्रस्तुति के लिए बहुत से गैर सरकारी संगठनों की तादाद तेजी से बढ़ी है। इसके अलावा, कौशल उन्नयन कार्यक्रमों के जरिये महिलाओं को सशक्त करने के लिए बहुत से अन्य प्रयास भी किए जा रहे हैं।

ckèk iz'u 3

ukV : i) प्रश्नों के उत्तर नीचे दिए गए खाली स्थान में लिखिए।

ii) अपने उत्तर की तुलना इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए।

1. भारत के कौशल विकास कार्यक्रमों की चर्चा, महिला शिक्षा और विकास के संबंध में कीजिए।

....

....

....

2-10 lkjka'k

शिक्षा का लक्ष्य, बालिकाओं को औपचारिक स्कूलों में लाने और इन्हें ऐसे स्कूलों में बनाये रखने तक ही सीमित नहीं है। लोकतंत्र में शिक्षा का लक्ष्य, सभी बच्चों को इनकी असल क्षमता की अनुभूति कराना है ताकि ये सभी जिम्मेदार नागरिकों के रूप में हमारे देश में विकास में सक्रिय रूप से भाग ले सकें। प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा और शिक्षा के अन्य गैर–औपचारिक तरीकों से सरकार और अन्य अभिनायकों को आगे आकर समानता के महत्व को बढ़ाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, जेंडर मुद्दों के अनुरूप अच्छे किस्म के व्यावसायिक और जीवन कौशल शैक्षिक अवसरों की उपलब्धता, अनिवार्य वेग जनित कर विकासात्मक लक्ष्यों को पूरा करने में योगदान प्रदान करते हैं। महिला शिक्षा में निश्चित निवेश के बहुविध प्रभाव पड़ते हैं जिनसे भविष्य में अतिरिक्त लाभ की प्राप्ति होती है। संक्षेप में शिक्षा, स्त्री–पुरुष समानता के महत्व को बढ़ाने का सशक्त साधन है जिससे निर्धनता, बेरोजगारी और असमानता को घटाने और स्वास्थ्य एवं पोषण को बेहतर बनाने में मदद मिलती है और अंततः मानव विकास के महत्व को बढ़ाने पर जोर देना संभव होता है।

2-11 ckèk i'uksa dk mÙkj

Ckkèk i'u 1

1. कोठारी आयोग रिपोर्ट के लक्ष्यों की चर्चा के लिए पुस्तकालय, सरकारी कार्यालय और जन सूचना एकक से इसकी प्रति की प्राप्ति कीजिए।

Ckkèk i'u 2

1. विकासात्मक लक्ष्य – जाति, सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि और क्षेत्रीय असमानताओं से संबद्ध अवरोधों को दूर करते हुए शिक्षा में समानता लाने पर ध्यान केंद्रित करने में सहायक हैं; सर्वजनीन प्रारंभिक शिक्षा के महत्व को बढ़ाते हैं; उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हैं और महिलाओं के लिए व्यावसायिक शिक्षा के महत्व को बढ़ाते हैं।

Ckkèk i'u 3

1. जन शिक्षण संस्थान, प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम को सहयोग, आरएमके का ऋण सहयोग, किषोरी शक्ति योजना।

2-12 dN mi;ksxh iLrdsa

Abu-Ghaida, Dina and Stephan Klasen. 2004. 'The Costs of Missing the Millennium Development Goal on Gender Equity', *World Development*, Vol. 32, No. 7, pp. 1075–1107.

Bajpai, Nirupam. 2003. *India: Towards the Millennium Development Goals, Background Paper for Human Development Report 2003*, United Nations Development Programme.

Bandyopadhyay, Madhumita and Ramya Subrahmanian. 2008. *Gender Equity in Education: A Review of Trends and Factors,* Create Pathways to Access: Research Monograph No 18, New Delhi: National University of Educational Planning and Administration.

Census of India. 2001. *C Series Data: Social and Cultural Tables.* New Delhi: Office of the Registrar General & Census Commissioner.

Chatterji, Monojit. 2008. *Education and Economic Development in India, Working Paper No. 210,* Dundee Discussion Papers in Economics, Dundee: University of Dundee.

Government of India. 2010. *India 2010: A Reference Annual,* New Delhi: Ministry of Information and Broadcasting.

Government of India. 2009. *National Skill Development Policy 2009*, New Delhi: Government of India.

Government of India. 2008. *Eleventh Five Year Plan (2007-2010): Social Sector, Volume II*, New Delhi: Planning Commission.

Government of India. 2006. *Status of Education and Vocational Training in India 2004-05. NSS 61st Round (July 2004-June 2005), Report No. 517 (16/10/3).* New Delhi: Ministry of Statistics and Programme Implementation.

Government of India. 1986. *National Policy on Education 1986*. New Delhi: Ministry of Human Resource Development.

Gupta, Rajan. Speech delivered on *Education, the Key to Development: Lessons from India,* at Theoretical Division Los Alamos National Lab LAUR-03-6215.

International Conference on Education. 2004. *India: National Report on the Development of Education,* Paper prepared for the Forty-Seventh Session of the International Conference on Education, Geneva, 8-11th September 2004.

Jasuja, Luv and Prashant Kashyap. 2009. 'Vocational Education in India: Key Challenges and New Directions', *Technopak Perspective*, Vol. 03.

Kumar, Krishna and Latika Gupta, 'What is missing in Girls' Empowerment?' *Economic and Political Weekly*, June 2008, 19-24.

Mehrotra, Santosh. 2009. *The International Market for Public Policies on Skills Development: The Special Case of India*, Paper prepared for the NORRAG Conference on Policy Transfer or Policy Learning: Interactions between International and National Skills Development Approaches for Policy Making, Graduate Institute of International and Development Studies, Geneva, 25-26 June 2009.

Narayana, M.R. 2006. 'Measurement of Education Achievement in Human Development: Evidence from India', *International Education Journal*, 2006, vol.7 (1), 85-97.

Overseas Development Institute (ODI). 2003. 'Can we attain the Millennium Development Goals in Education and Health through Public Expenditure and Aid?' ODI Briefing Paper, April 2003.

Pajankar, Vishal D. and Pranali V. Pajankar. 2010. 'Development of School Education Status in India', *Journal of Social Science,* vol. 22(1): 15-23.

Panchamukhi, P.R. (ed.) 1989. *Studies in Educational Reform in India: Vol.III - Reforms Towards Equality and Relevance,* Indian Institute of Education, Pune, Bombay: Himalaya Publishing House.

Pradhan, Rudra Prakash. 2009. 'Education and Economic Growth in India: Using Error Correction Modelling', *International Research Journal of Finance and Economics*, Issue 25 (2009).

PROBE Team. 1999. *Public Report on Basic Education in India,* New Delhi: Oxford

University Press.Rajagopal, S. 2010. *Towards Gender Equitable Education: Challenges and Opportunities in Secondary Schooling in India.* Paper Prepared for the e-Conference Engendering Empowerment: Education and Equality, 12 April – 14 May. United Nations Girls' Education Initiative, New York. Available from URL: http://www.e4conference.org/e4e

Ramachandran, Vimala. 2003. *Gender Equality in Education in India, Background Paper prepared for the Education for All Global Monitoring Report 2003/4 - Gender and Education for All: The Leap to Equality*, Paris: UNESCO.

Sachs, J.D. and J.W.McArthur. 2005. 'The Millennium Project: A Plan for Meeting the Millennium Development Goals', *Lancet,* vol. 365: 347–53.

Swaminathan, Padmini. 2008. ‘Exclusions From and Inclusions in ‘Development’: Implications for ‘Engendering Development’, October 25, 2008, *Economic & Political Weekly*, pp. 48-56.

Sen, Amartya. 2002. *India: Participation and Development,* New Delhi: Oxford University Press.

Sen, P. 1999. ‘Enhancing Women’s Choices in Responding to Domestic Violence in Calcutta: A Comparison of Employment and Education’. *The European Journal of Development Research*, vol. 11(2): pp. 65-86.

Tilak, Jandhyala, B.G. 2005. *Working Paper on Post Basic Education and Training: Post Elementary Education, Poverty and Development in India*, Edinburgh: Centre for African Studies, University of Edinburgh.

UNESCO. 2000. *World Education Forum: Final Report*, Paris: UNESCO.

UNESCO. 2006. *Chapter III, Education as a Pillar of Human Development in The Millennium Development Goals: A Latin American and Caribbean Perspective,* Santiago: UNESCO.

United Nations. 1996. *Report of the Fourth World Conference on Women (Beijing Declaration and Platform for Action),* New York: United Nations.

United Nations. 2000. Millennium Declaration, New York: United Nations.

United Nations. 2010. *The Millennium Development Goals Report 2010*, New York: United Nations.

United Nations, 2010. Draft resolution referred to the High-level Plenary Meeting of the General Assembly by the General Assembly at its sixty-fourth session, Follow-up to the outcome of the Millennium Summit, Keeping the promise: united to achieve the Millennium Development Goals, 17 September 2010

Vivek, Gayatri and Vandita Dar, 2006. *Working Paper 02/06 on Millennium Development Goals: A Preview of the Progress Status in India*, SIES College of Management Studies. available at www.siescoms.edu.

Velkoff, V.A. 1998. *Women’s Education in India*. Washington, DC: US Department of Commerce, Bureau of The Census. Available from: www.census.gov/ipc/prod/wid-9801.pdf

What UNICEF is doing? avl. at www.unicef.org.mdg

World Bank. 2001. *Engendering Development*. Washington, DC: The World Bank.

2-13 fpraru ,oa vH;kl gsrq iz'u

1. शिक्षा में स्त्री–पुरुष समता को सुदृढ़ करने के लिए किन कार्यनीतियों को अपनाया गया है? जांच कीजिए।
2. शिक्षा के महत्व को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रयासों का विश्लेषण, जेंडर के परिप्रेक्ष्य में कीजिए।

bdkb 3 vkfFkd l:lkèkuk dk c<kuk vkj ,l,pth vknkyu

bdkb dh :ijs[kk

3.1 प्रस्तावना

3.2 उद्देश्य

3.3 महिला सशक्तीकरण

- 3.3.1 आर्थिक संसाधनों तक महिलाओं की पहुँच

3.4 महिला सशक्तीकरण हेतु कार्यनीतियाँ

- 3.4.1 स्व सहायता समूह क्या है?
- 3.4.2 भारत में लघुवित्त और स्व सहायता समूहों की शुरुआत
- 3.4.3 एसएचजी के महत्व को बढ़ाने हेतु सरकारी कार्यक्रम
- 3.4.4 भारत में एसएचजी – बैंक कड़ी कार्यक्रम
- 3.4.5 सूक्ष्म ऋण : आवश्यकता एवं महत्व
- 3.4.6 एसएचजी – बैंक कड़ी कार्यक्रम (एसबीएलपी) का प्रभाव

3.5 सफल स्व सहायता समूह – अच्छे व्यवहार

- 3.5.1 स्व सहायता समूहों की प्रभाविता

3.6 सारांश

3.7 शब्दावली

3.8 बोध प्रश्नों के उत्तर

3.9 कुछ उपयोगी पुस्तकें

3.10 चिंतन एवं अभ्यास हेतु प्रश्न

3-1 iLrkouk

सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों का पहला और संभवतया सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य वर्ष 2015 तक भुखमरी और घोर गरीबी की मौजूदा स्थिति को आधा करना है। विश्व भर में सामाजिक समावेशन और समता, मानव अधिकार और महिला सशक्तीकरण के महत्व पर जोर देते हुए मानव निर्धनता को घटाने के विविध दृष्टिकोणों के महत्व को बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इकाई में हम इन पहलुओं पर गौर करेंगे कि महिला सशक्तीकरण ने किस प्रकार भारत में व्यक्ति–विशेष और समूह आधारित बचत, ऋण और अन्य पहलों पर जोर देने वाले स्व सहायता समूह आंदोलन के जरिए भी आर्थिक संसाधनों की वृद्धि कर, गरीबी उन्मूलन में योगदान दिया है।

3-2 mn~ns';

इस इकाई के अध्ययन के बाद, आप :

- महिला सशक्तीकरण को परिभाषित कर सकेंगे;

- आर्थिक संसाधनों तक महिलाओं की पहुँच के महत्व को व्यक्त कर सकेंगे;
- महिला सशक्तीकरण की कार्यनीतियों का विश्लेषण कर सकेंगे; और
- महिला आर्थिक संसाधनों की वृद्धि करने में एसएचजी द्वारा सृजित प्रभाव का मूल्यांकन कर सकेंगे।

3-3 efgyk l'kDrhdj.k

नैला (Naila) कबीर ने सशक्तीकरण को ऐसे प्रक्रमों के रूप में परिभाषित किया है जिससे महिलाएं अपनी पसंद के आधार पर अपने जीवन को नियंत्रित कर सकती हैं। यह ऐसी योग्यता अर्जित करने की प्रक्रिया है ताकि किसी ऐसे खास संदर्भ में नीतिगत जीवन संबंधी विकल्पों को अपनाया जा सके जहाँ पहले ऐसी योग्यता के प्रयोग की मनाही थी। सशक्तीकरण के कोर मूलतत्वों को आत्मसम्मान और आत्मविश्वास, जेंडर आधारित शक्ति संरचनाओं के प्रति जागरूकता और अपने लक्ष्यों को परिभाषित करने और इन पर जरूरी कार्रवाई करने के रूप में परिभाषित किया गया है। सशक्तीकरण, सोपानक्रम के विभिन्न स्तरों – वैयक्तिक, घरेलू, समुदाय और समाजकीय स्तर पर पनपता है और प्रेरणादायक कारकों को प्रदान कर, इसे सुगम बनाया जाता है (जैसे कि सक्षमता निर्माण वाली नयीं गतिविधियों से रूबरू होना) और अवरुद्धकारी कारकों को दूर करना (जैसे कि संसाधनों और कौशलों की कमी)।

3-3-1 vkfFkd l lkèkuk rd efgykvk dh igp

प्रारंभिक स्तर पर, आइए घरेलू परिदृश्य पर नज़र डाले। परिवार बहुविध काम करने वाले ऐसे लोगों का गठन है जिनकी अलग–अलग पसंद और रूचियाँ होती हैं और इन रूचियों को पूरा करने में, इनकी क्षमताएं भी भिन्न–भिन्न किस्म की होती हैं इन विविधताओं के मद्देनज़र पुरुष और महिलाओं द्वारा आर्थिक गतिविधियों के विविध क्षेत्रों में निर्णय लेना अनिवार्य होता है। अग्रवाल (1996) ''सौदा करने'' (bargaining) के किसी रूप में कुटुंब में निर्णयन को दर्शाने वाले सौदाकारी सिद्धांत दृष्टिकोण को अग्रेषित करता है। अग्रवाल के अनुसार ''परिवार में ग्रामीण व्यक्ति की सौदा करने की क्षमता, परिसंपत्ति और उनके स्वामित्व एवं नियंत्रण, रोज़गार और अन्य आय जनन साधनों तक पहुँच, गाँव के सामान्य संसाधनों और वन जैसे समुदाय संसाधनों तक इनकी पहुँच, पारंपरिक सामाजिक सहयोग पद्धतियों तक पहुँच जैसे कि नातेदारी, जाति समूहन आदि, गैर सरकारी संगठनों से सहयोग, राज्य से सहयोग, आवश्यकताओं, योगदानों और सामाजिक मानदंडों के अन्य निर्धारक तत्वों के बारे में सामाजिक सोच आदि पर निर्भर करती है। अतः व्यक्ति का आर्थिक सशक्तीकरण मुख्य रूप से आर्थिक संसाधनों के संबंध में इसके स्वामित्व पर निर्भर करता है। यह – संपत्ति पर स्वामित्व एवं नियंत्रण (भू, घर), बैंक खाते, शेयर, ज्युलरी, लघु उद्यम आदि के रूप में हो सकता है।

जीवन के विविध भागों में इनकी सहभागिता और योगदान के बावजूद व्यक्ति–विशेष, घरेलू और समुदाय स्तर पर भूमि, संपत्ति और अन्य आर्थिक संसाधनों के संबंध में महिलाओं के अधिकार छीनने की दिशा में, अनेकों तंत्र अपना–अपना काम करते हैं। नीचे तालिका 3.1 मानव संसाधनों तक पहुँच स्थापित करने की राह के अवरोधों/अड़चनों का ब्यौरा प्रदान करती है :

rkfydk l- 3-1 vkfFkZd lalkèkuksa rd igqp LFkkfir djus esa efgykvksa gkus ds ukrs bldk lEeq[k vkus okyh ckèkk,¡

	0;fDr fo'k"k	?kjsyw	foLr`r lkeqnkf;d jk"Vªh; lanHkZ
foÙkh;	अपने निजी अधिकार के रूप में महिलाओं की बैंक/वित्तीय सेवाओं तक पहुँच का होता है।	नकदी आय एवं व्यय पैटर्नों पर पुरुषों का नियंत्रण	धन/ऋण के नियंत्रकों के रूप में पुरुषों का दृष्टिकोण
vkfFkZd की पहुँच का अभाव	महिलाएं निम्न प्रतिफल देने वाले कार्यकलापों को अपनाती हैं। महिलाओं पर घरेलू कामकाज का भारी बोझ होता है।	श्रम का स्त्री–पुरुष आधारित विभाजन भूमि, श्रम और संसाधनों पर असमान पहुँच एवं असमान नियंत्रण परिवार में संयुक्त रूप से उत्पादित माल पर असमान नियंत्रण और ऐसे ही कामकाजों से अर्जित आमदनी पर भी असमान नियंत्रण बाजार तक महिलाओं	महिलाओं को समान कार्य के लिए अपेक्षाकृत कम पैसे दिए जाते हैं। महिलाएं निम्न मजदूरी वाले रोजगार में ही बंध कर रह जाती है। अर्थव्यवस्था में महिलाओं के लिए रूढ़िवादिता के आधार पर उपयुक्त भूमिकाएं सौंपना यदि सामाजिक मानदंडों के कारण एकजुटता अवरुद्ध हो तो संसाधनों एवं उत्पादन के लिए
lkekftd@ lkLdfrd	महिलाएं पढ़ी–लिखी एवं शिक्षित नहीं होती और बालिका शिक्षा को प्राथमिकता नहीं दी जाती	घरेलू निर्णयन–प्रक्रिया में महिलाओं के लिए सीमित भूमिका	बहु विवाह रीति के कारण
jktuhfrd@ dkuwuh	महिलाओं में राजनीतिक/कानूनी अधिकार का दावा करने का आत्मविश्वास नहीं होता।	संयुक्त स्वामित्व वाली घरेलू परिसंपत्तियों के प्रति महिलाओं को कानूनी अधिकार नहीं दिए जाते	संपार्श्विक प्रतिभूति की दृष्टि से या कानून में घरेलू परिसंपत्त के संबंध में महिलाओं के कानूनी अधिकार परिभाषित नहीं है। महिलाएं ऐसे राजनीतिक पदों पर आसीन नहीं हो पाती कि वे उपयुक्त कानूनों का सर्जन करने के योग्य हो परंपरागत और औपचारिक दोनों नज़रियों से भूमि पर महिलाओं के कानूनी अधिकार नहीं है।

ckèk iz'u 1

ukV : i) प्रश्नों के उत्तर नीचे दिए गए खाली स्थान में लिखिए।

ii) अपने उत्तर की तुलना इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए।

1. क्या सशक्तीकरण, प्रक्रिया या राजनीति का गठन करती हैं? वर्णन कीजिए।

....

....

....

....

3-4 efgyk l'kDrhdj.k grq dk;uhfr;k

महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण की राह की बाधाओं के उपर्युक्त संक्षिप्त ब्यौरों के मद्देनज़र यह समझना जरूरी हो गया है कि आर्थिक संसाधनों तक महिलाओं की पहुँच को बेहतर बनाने की दृष्टि से महिलाओं को सशक्त करने के लिए किन कार्यनीतियों का प्रयोग असरदार तरीके से किया जा सकता है।

अनुभव ने दर्शाया है कि महिलाओं में आय जनन संबंधी गतिविधियों और उद्यम सृजित करने के गुणों को बेहतर बना कर महिलाओं को ''आत्मसम्मान से जीवनयापन'' करने वाली महिला का दर्जा मिल सकता है अन्यथा जहाँ महिलाओं को सिर्फ महिला होने के नाते ''जीवन जीने वाली महिला'' ही माना जाता है। महिला समूहों का विकास आर्थिक संसाधनों तक महिलाओं की पहुँच को विस्तरित करने की अंगीकृत कार्यनीति है। यूएनडीपी (2001) ने इस संदर्भ में महिला सशक्तीकरण के लिए दो महत्वपूर्ण प्रक्रमों पर प्रकाश डाला है। पहला है– सामाजिक एकजुटता और सहयोगपरक एजेंसी (क्योंकि निर्धन महिलाओं में मौजूदा असमानताओं से जूझने और इन्हें चुनौती देने और अपने सम्मुख आने वाले अवरोधों का सामना करने की बुनियादी सक्षमताओं और आत्म विश्वास की अक्सर कमी होती है)। अक्सर सामाजिक गतिशीलता को सजग रूप से उत्प्रेरित करने के लिए बदलावकारी एजेंटों की जरूरत पड़ती है। दूसरा, सामाजिक एकजुटता की प्रक्रिया के लिए आर्थिक सुरक्षा को साथ ही, ध्यान में रखना और इसे साकार करना जरूरी होता है। जब तक सुविधावंचित आर्थिक लाभ से वंचित बने रहेंगे और रोजी–रोटी कमाने की दृष्टि से असुरक्षित रहेंगे, वे कभी भी एकजुट होने की स्थिति में नहीं होंगे। अतः स्व सहायता समूहों की संकल्पना सामाजिक गतिशीलता की प्रक्रिया से विकसित होती है, जिससे निर्धनों को संगठित किया जाता है और निर्धनता को कम करने के लिए महत्वपूर्ण माने जाने वाले विविध मुद्दों से जूझने के लिए इनके सामर्थ्य को बेहतर बनाया जाता है।

3-4-1 Lo lgk;rk leg D;k g\

स्व–सहायता समूह (एसएचजी) 10 से 20 स्थानीय महिला उद्यमियों का पंजीकृत या अपंजीकृत समूह है। इनकी सामाजिक एवं अर्थिक पृष्ठभूमि एक जैसी ही होती है और इनकी जोखिम उठाने की योग्यता बेहद निम्न किस्म की होती है। बैंक से ऋण लेने के लिए इनके पास जमानत के तौर पर रखने को कुछ नहीं होता और इनके पैसे कमाने के अवसर बेहद सीमित होते हैं। ये एक साथ मिल कर नियमित आधार पर बेहद सूक्ष्म

राशि जमा करती हैं और पारस्परिक सहायता के आधार पर अपनी तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सामान्य निधि का गठन करने के लिए आपसी सहमति से योगदान देती है और इस उद्देश्य के लिए नियमित रूप से सूक्ष्म राशि जमा करती हैं। समूह सदस्य ऋण के उचित अंतिम प्रयोग और समयबद्ध चुकौती सुनिश्चित करने के लिए आपसी सूझबूझ का प्रयोग कर, सदस्यों पर जोर डालते हैं। यह व्यवस्था जमानत के तौर पर कोई कीमती चीज़ आदि रखने की आवश्यकता का निराकरण करती है और यह व्यवस्था घनिष्ठ रूप से एकतात्मक रूप से ऋण देने से संबद्ध है। अतः एसएचजी की विशेषताएं हैं :

- सजातीयता : इससे आशय् एकसमान समानताओं का होना है अर्थात् एकसमान पृष्ठभूमि या समान जाति वाली महिलाओं आदि का समूह। अधिकतर मामलों में ऐसे समूह महिला समूह ही होते हैं लेकिन कभी कभार किसी खास वर्ग, शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के समूह भी हो सकते हैं।

- नियमित बचत (मितव्ययिता) : समूह की दूसरी विशेषताओं, समूह सदस्यों द्वारा नियमित बचत करना और इस बचत राशि को नियंत्रित करने के दिशा–निर्देशों का निर्धारण करना है। इन नियमों में समूह में प्रवेश और समूह छोड़ने की नीति संबंधी नियम सम्मिलित हैं। प्रवेश के लिए सदस्य का 18 वर्ष से अधिक का होना और आमतौर पर आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग का होना जरूरी है (लेकिन यह अनिवार्य शर्त नहीं है)।

- बैंक कड़ी (ऋण) : तीसरी सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता ऋण देने वाले संस्थानों से कड़ी स्थापित करना है। औपचारिक बैंकिंग तंत्र ऐसी नीति को नहीं अपनाते जबकि स्व सहायता समूहों को ऋण देने के लिए बैंक जमानत के तौर पर कोई ठोस सामान जमा कराने के लिए नहीं कहते।

- नियमित सभा : स्व सहायता समूहों के नियम एवं विनियम, सदस्यों की अभिरूचि और समूह गठन को सुगम बनाने वालों की पसंद के आधार पर अलग–अलग होते हैं। ऐसे समूहों की सामान्य विशेषता है कि ऐसे समूहों में नियमित रूप से सभाओं का आयोजन किया जाता है (खासतौर पर हफ्ते या पंद्रह दिन में एक बार) ताकि सदस्यों से बचत एकत्र की जा सके और किस सदस्य को ऋण दिया जाना है अर्थात् इस बारे में सलाह–मशवरा किया जा सके और अपेक्षित व्यक्तियों को ऋण दिया जा सके और (प्रशिक्षण, समुदाय व्यवसाय चलाने आदि जैसी) संयुक्त गतिविधियों की चर्चा की जा सके और यदि किसी वजह से समूह में टकराव की गुंजाइश पैदा होती हो तो उसे दूर किया जा सके। अधिकतर स्व सहायता समूहों में चयनित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, खजांची और कई बार अन्य पदाधिकारियों की भी व्यवस्था होती है।

स्व सहायता समूह भी बृहद् संगठनों में परिसंघ का रूप धारण कर चुके हैं। लगभग 15 से 50 स्व सहायता समूह प्रत्येक स्व सहायता समूह के एक या दो प्रतिनिधियों के साथ समूहन/स्वैच्छिक संगठन का निर्माण करते हैं। भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर विविध समूहों या स्वैच्छिक संगठन मिल कर शीर्षस्थ निकाय या एसएचजी परिसंघ का गठन करते हैं। समूहन और परिसंघ स्तर पर समूह आपस में उधार लेने, विचारों का आदान–प्रदान करने और सामान्य हितों की चर्चा करने और लागत संबंधी खर्च को मिल कर उठाते हैं। ऐसी बहुत सी विविध उप–समितियाँ होती हैं जो कि ऋण संग्रहण, लेखाकरण और सामाजिक मुद्दों सहित विविध प्रकार के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करती हैं।

fodkl % igy ,o enn

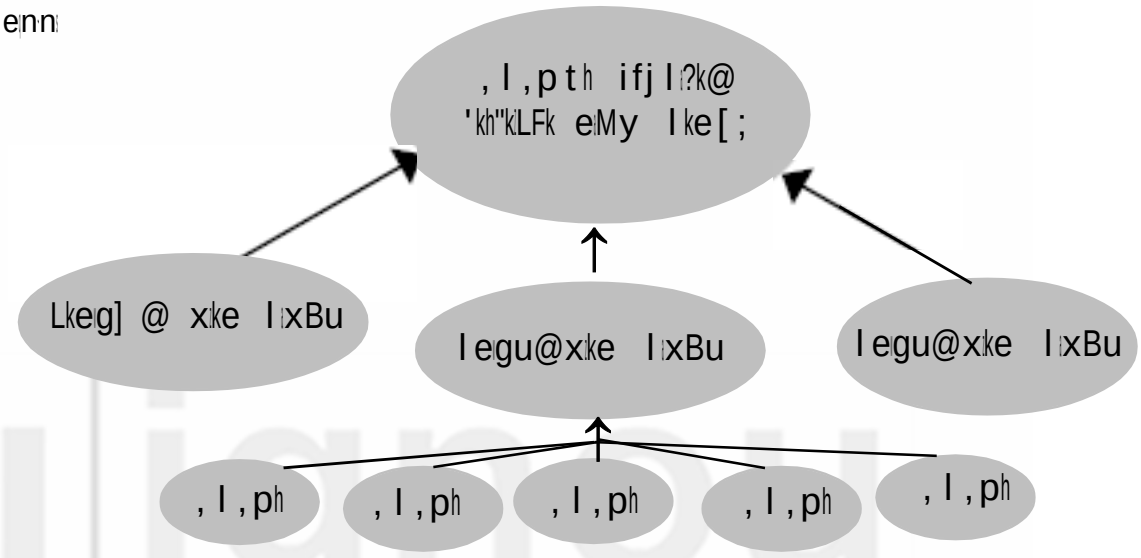

Rkkfydk 3-1 % ,l,pth ifjl?k

एसएचजी परिसंघ औपचारिक संस्थान हैं जबकि स्व सहायता समूह अनौपचारिक किस्म के होते हैं। ऐसे बहुत से एसएचजी परिसंघ सोसायटियों, पारस्परिक लाभ वाले ट्रस्टों और पारस्परिक सहायता प्राप्त सहकारी समितियों के रूप में पंजीकृत होते हैं। एसएचजी परिसंघ निर्माण से इसके सदस्यों को ढेर सारे फायदे पहुँचे, जिनमें सम्मिलित हैं :

- राजनीतिक एवं पक्ष समर्थन संबंधी अधिक सुदृढ़ सक्षमताएं;
- सूझबूझ एवं अनुभवों का आदान–प्रदान;
- पैमाना अर्थशास्त्र; और
- अधिक पूंजी तक पहुँच

अनौपचारिक स्व सहायता समूहों के आयोजन से भारत में ग्रामीण महिलाओं को विविध उत्पादन–उन्मुख आय जनन गतिविधियों के लिए ऋण और विस्तार सहयोग प्रदान किया जाता है। ऐसी गतिविधियों में आमतौर पर वस्त्र निर्माण, कढ़ाई, खाद्य प्रसंस्करण, मधुमक्खी पालन, टोकरी बनाना, मणि–कर्तन, कताई एवं बुनाई सम्मिलित हैं। स्व सहायता समूह स्व नियंत्रित हैं और इनमें उत्पादन एवं विपणन संबंधी निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते हैं, यद्यपि संभावी विपणन केंद्रों और उपभोक्ताओं की पहचान करने की जिम्मेदारी समूह की अगुआई करने वाले की ही होती है। ये समूह ग्राम विकास में परंपरागत नौकरशाही तंत्र और सोपानक्रम आधारित प्रबंधन को ध्वस्त करते हुए नयी संस्कृति को दर्शाते हैं। अनौपचारिक समूह ग्राम उद्योगों को चलाने के लिए महिलाओं को सशक्त करते हैं और इनके सामान्य आर्थिक हितों के लिए मिलजुल कर जरूरी निर्णय लेते हैं। ये महिलाओं को सशक्त करने में भी मददगार होते हैं और ऋण के प्रावधान के लिए आधार प्रदान करते हैं और विविध उत्पादन एवं आय–जनन गतिविधियों के लिए सहयोग भी प्रदान करते हैं। स्वयं को संगठित कर, स्व सहायता समूह अपनी बचत के जरिए पूंजी निर्माण कर अपेक्षित ज्ञान तक पहुँच स्थापित करते हैं और अपनी रोजी–रोटी कमाने के साधनों को बेहतर बनाने के लिए अपनी सामाजिक पूंजी का निर्माण करते हैं और सभी मानव विकास अंतःक्षेपों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। लंबे समय में उम्मीद है कि स्व सहायता समूह आत्म–निर्भर और अपना चिरस्थायी अस्तित्व कायम कर सकेंगे और समुदाय द्वारा नियंत्रित संस्थाओं के रूप में अपनी छवि

सुनिश्चित करेंगे ताकि बड़े पैमाने पर गरीबों की रहन–सहन संबंधी दशाओं में सुविचारित बदलाव लाना संभव हो।

3-4-2 Hkkjr esa y?kqfoÙk vkSj Lo lgk;rk lewgksa dh 'kq#vkr

स्व सहायता समूहों की संकल्पना को वास्तविक रूप देने और इनकी संवृद्धि के लिए किन्हीं सुनिश्चित आंकड़ों का निर्धारण अभी तक नहीं किया गया है। ग्रामीण और शहरी दोनों किस्म के सदस्यों द्वारा लघु समूहों का बचत एवं ऋण की दृष्टि से गठन का चलन, भारत में भलीभांति स्थापित है। प्रारंभिक चरणों में, गैर सरकारी संगठनों ने सहायता समूह मॉउल को नवीन रूप देने और इस प्रक्रिया को पूर्ण रूप से विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1980 के दौर में नीति निर्माताओं ने इस बात पर गौर किया और विकासपरक संगठनों और बैंकरों के साथ इन बचत एवं ऋण समूहों के महत्व को बढ़ाने की संभावना के बारे में चर्चा करने के लिए मिलजुल कर काम किया। इनके प्रयासों और स्व सहायता समूहों की सादगी की वजह से यह अभियान पूरे देश में चला। राज्य सरकारों ने परिक्रामी ऋण निधियों को स्थापित किया जिनका प्रयोग स्व सहायता समूहों को आर्थिक मदद लेने के लिए किया गया।

1990 के दौर में स्व सहायता समूह, राज्य सरकारों के दायरे में आ गए और अब गैर सरकारी संगठन मात्र वित्तीय मध्यस्थ ही नहीं थे बल्कि अब ये ऐसे सामान्य हित समूह थे जो अन्य मुद्दों पर भी अपना ध्यान केंद्रित कर रहे थे।

1970 के दौर के आरंभ से बहुत से देशों के महिला आंदोलनों ने पैसा कमाने की दृष्टि से ऋण की पहचान महिला योग्यता के संबंध में एक बड़ी बाधा के रूप में की। उपभोग एवं उत्पादन दोनों पहलुओं से ऋण की जबर्दस्त जरूरत ने निर्धनों में जीवन जीने और निर्धनता के हाथों दम तोड़ने के बीच गिरती रेखा खींच दी। अतः विकास के साधन के रूप में स्व सहायता समूहों की सफलता सूक्ष्मवित्त की उपलब्धता पर निर्भर करती है।

परंपरागत बैंकिंग क्षेत्र ऐसे करोड़ों निर्धन व्यक्तियों तक अपनी पहुँच नहीं बना सकता जिनके लिए छोटा सा ऋण भी उनके जीवन में भारी परिवर्तन ला सकता है। अधिकतर निर्धन शिक्षित नहीं होते और बैंक में जमानत के रूप में जमा कराने के लिए उनके पास कोई परिसंपत्ति भी नहीं होती। परिणामस्वरूप निर्धनों को उधार लेने के लिए भारी ब्याज दर पर सिर्फ और सिर्फ साहूकारों के आसरे ही रहना पड़ता है। सूक्ष्म ऋण या अधिक विस्तृत रूप में सूक्ष्मवित्त ऐसी सिद्ध की हुई निर्धनता उन्मूलन कार्यनीति है जो बेहद निर्धन व्यक्तियों आमतौर पर महिलाओं को सूक्ष्म ऋण प्रदान करती है ताकि वे पशुपालन, खाद्य प्रसंस्करण, कपड़े सीने और अन्य किस्म के सैकड़ों उद्यमों जैसे ''सूक्ष्म व्यवसायों'' के विस्तार या किसी इकाई में निवेश कर अतिरिक्त आमदनी कमाने के योग्य बन सकें।

वर्ष 1976 में प्रो. मोहम्मद युनुस (बांग्लादेश) ने बांग्लादेश में महिला समूहों की शुरूआत की और निर्धनतम वर्ग में बचत करने की आदत विकसित की। अब ये समूह बांग्लादेश ग्रामीण बैंक (बीजीबी) के नाम से विकसित हो चुके हैं। फरवरी 1998 में इसकी रिपोर्ट के अनुसार बैंक की 1138 शाखाएं हैं और ये 39572 ग्रामों तक विस्तारित हैं। इसके 2367503 सदस्य हैं और जिनमें से सिर्फ 124571 पुरुष हैं। बैंक ने 2714.61 मिलियन अमेरिकी डालर की राशि वितरित की है जबकि सदस्यों की बचत 202.73 मिलियन अमेरिकी डालर तक पहुँच चुकी है। बीजीबी और अन्य देशों में ऐसे ही संगठनों की सफलता के फलस्वरूप सूक्ष्मऋण की संकल्पना ने भारत में संवेग पकड़ा है। इस सफलता के आधार पर हमारे देश के गैर सरकारी संगठन एसएचजी के संगठन में सम्मिलित हैं और बैंक और निर्धन के बीच एजेंट का काम करते हैं।

नाबार्ड की पहल पर वर्ष 1986–87 के दौरान भारत में अनौपचारिक समूह को उधार देने में पहली बार सरकार ने रूचि दिखाई। इसके भाग के रूप में नाबार्ड ने 1980 के दौर के अंत में सूक्ष्मवित्त के वितरण के लिए चैनल के रूप में स्व सहायता समूहों पर कुछ खास शोध परियोजनाओं की शुरूआत की। इनमें से एक मैसूर पुनर्वास एवं विकास एजेंसी (MYRADA) है जिसने वर्ष 1986–87 में नाबार्ड द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त कार्य शोध परियोजना को प्रायोजित किया था। वर्ष 1988–89 में एशिया–प्रशांत ग्रामीण एवं कृषि ऋण संघ (एपीआरएसीए) के कुछ सदस्य संस्थानों के सहयोग में, नाबार्ड ने सूक्ष्मवित्त स्व सहायता समूहों की कार्यप्रणाली का अध्ययन करने और औपचारिक बैंकिंग पद्धति के साथ इनकी सहयोगपरक संभावनाओं का अध्ययन करने के लिए भारत के 11 राज्यों में 43 गैर सरकारी संगठनों का अध्ययन किया। इन दोनों शोध परियोजनाओं ने प्रेरणादायक संभावनाओं को उजागर किया और नाबार्ड ने एसएचजी कड़ी परियोजना नामक प्रायोगिक परियोजना की शुरूआत की। लेकिन तब तक गैर–औपचारिक वित्तीय संगठनों द्वारा सूक्ष्म वित्त देने के व्यवहार की शुरूआत पहले से ही हो चुकी थी। असंगठित क्षेत्र में लघु व्यापार महिला समूहों के स्व रोजगार प्राप्त महिला संघ (सेवा) को गुजरात में वर्ष 1974 में सहकारी समिति सिद्धांतों के अनुरूप स्थापित कर दिया गया था।

सरकार ने बहुत बाद में राष्ट्रीय महिला कोश, इंदिरा महिला योजना, स्टेप और नाबार्ड के जरिए इस क्षेत्र में कदम रखा। हाल में, 'स्वशक्ति' के रूप में प्रचलित ग्रामीण महिला विकास एवं सशक्तीकरण परियोजना गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से नौ राज्यों में उड़ान भरने के चरण में पहुँच चुकी है ताकि परियोजना के विविध घटकों के वितरण और राज्य सरकारी विभागों, बैंकों और लाभार्थियों के साथ–साथ इन्हें भी सहभागी बनाते हुए महिला साकल्यवादी सशक्तीकरण संभव हो।

माइक्रो–क्रेडिट रेटिंग इंटरनेशनल लि. (एम–क्रिल) ने अपने एक अध्ययन में पाया कि सूक्ष्म वित्त ने पूर्णतया दाता द्वारा प्रदत्त वित्तीय सहायता आधारित सोच से ध्यान हटाते हुए कर्जो के ज़रिए वित्त की संकल्पना पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया था। धीरे–धीरे शीर्षस्थ स्तरीय गैर सरकारी संगठनों और नाबार्ड एवं सिडबी जैसे विकासात्मक बैंकों और सेवा जैसे सहकारी बैंकों और यहाँ तक कि वाणिज्य बैंकों ने भी ऋण संबंधी निधियाँ देने शुरू कर दिया। भारतीय रिजर्व बैंक, उदाहरण के तौर पर, सक्रिय रूप से अंतःक्षेप कर रहा है ताकि सुनिश्चित हो कि विकास बैंक और वाणिज्यिक बैंक बिना किसी जमानत की मांग करते हुए महिला समूहों को बैंकिंग ऋणों के व्यवहार और अन्य ऐसे नौकरशाही लालफीताशाहियों से बचाते हुए स्व सहायता समहों और लघु सूक्ष्म–उद्यमों को वित्त देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।

3-4-3 ,l,pth dk egRo dk c<kuk gqr ljdkjh dk;Øe

सरकार ने एसएचजी आंदोलन को सुदृढ़ करने के लिए भारत के विविध भागों में विविध कार्यक्रमों के जरिए एसएचजी के महत्व को बढ़ाया है :

क) स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) : यह समूह दृष्टिकोण पर केंद्रित और आरडीपी का संशोधित रूपांतरण है। समूह गठन और विकास संबंधी लागत को 3–4 वर्ष की समयावधि में रु.10000 प्रति समूह के आधार पर एसजीएसवाई निधियों से पूरा किया जाता है। समूहों की ग्रेडिंग छह महीने में एक बार की जाती है ताकि सुनिश्चित हो कि इनके कार्य–निष्पादन और सही क्षमता निर्माण की स्थिति पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। आर्थिक गतिविधियों के लिए समूहों और समूहों में व्यक्ति–विशेषों को बैंक ऋण एवं योजना सहायिका के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जाता है।

ख) आँगनबाड़ी समूह : महिलाओं के लिए स्वास्थ्य, पोषण और साक्षरता कार्यक्रमों को लागू करने के लिए रहने की जगह के स्तर पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के आईसीडीएस कार्यक्रम के रूप में इन समूहों का गठन किया जाता है। व्यक्ति–विशेष या समूह उद्यमों के रूप में आय जनन गतिविधियों को पूरा करने के लिए सदस्यों तक, सूक्ष्मवित्त का विस्तार किया जाता है।

ग) संयुक्त वन प्रबंधन समूह : अधिसूचित वन क्षेत्रों के ग्राम समुदायों का गठन, वन संपदा को संरक्षित करने के उद्देश्य से वीएसएस (वन संरक्षण समितियों) में किया जाता है। एसएचजी मार्ग से सामाजिक एकजुटता की प्राप्ति, इस कार्यक्रम के तहत की जाती है। ग्राम समुदायों को वैकल्पिक आय जनन गतिविधियाँ शुरू करने के लिए प्रेरित किया जाता है।

घ) जलसंभर प्रबंधन समूह : जलसंभर क्षेत्रों के किसानों को समूहों में गठित किया जाता है ताकि सामान्यतौर पर गैर सरकारी संगठन जैसी सुगमकारी एजेंसी के अंतःक्षेप से जलसंभर विकास की सवंर्धित तकनीकों को लागू करना संभव हो। जहाँ एक ओर अनुदान सहयोग से खेतों में विकासपरक गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, वहीं इन समूहों को प्रवेश बिंदु गतिविधि के रूप में मितव्ययिता (थ्रीफ्ट) पर ध्यान केंद्रित करते हुए सूक्ष्म वित्त अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता है।

च) राष्ट्रीय महिला कोष समूह (आरएमके समूह) : इन समूहों का गठन, गैर सरकारी संगठनों द्वारा किया जाता है और इन्हें वित्तीय सहायता की प्राप्ति आर एम के द्वारा दी जाती है। आरएमके आय जनित गतिविधियों को करने में महिलाओं को इनके साथ जोड़ने के संबंध में भारत सरकार द्वारा गठित निधि है। किन्हीं खास महिलाओं तक समूह के रूप में ऋण का विस्तार किया जाता है।

छ) स्व–शक्ति परियोजना (आईएफएडी और विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त) : यह ग्रामीण महिला विकास एवं सशक्तीकरण परियोजना है जो कि बिहार, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे छह महत्वपूर्ण राज्यों में लागू हैं और यह कार्यान्वयन को सुगम बनाने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग (भारत सरकार) में यह केंद्रीय परियोजना सहयोग इकाई है।

ज) कुटुंबश्री परियोजना : परियोजना की शुरूआत भारत सरकार और नाबार्ड के सक्रिय सहयोग से केरल सरकार द्वारा आरंभ की गई। परियोजना का लक्ष्य 10 वर्षों की समयावधि में राज्य से गरीबी का पूरी तरह से सफाया करना था और गरीबी के लक्षणों को उभरने और इसके बहुविध आयामों से संपूर्ण रूप से निपटने के लिए उपलब्ध सेवाओं और संसाधनों के मांग–साधित अभिसरण और स्व सहायता समूह दृष्टिकोण को आपस में जोड़ना था। परियोजना को समुदाय आधारित संगठनों के माध्यम से लागू किया गया।

झ) जिला निर्धनता उन्मूलन संबंधी पहल आधारित परियोजना (तेलुगू): परियोजना को विश्व बैंक द्वारा प्रदत्त आर्थिक सहायता से आंध्र प्रदेश में लागू किया जा रहा है। परियोजना का लक्ष्य संसाधनों के अभिसरण के माध्यम से चुनिंदा जिलों में निर्धनतम वर्ग को संगठित करना है। परियोजना संगठनात्मक क्षमता निर्माण, कड़ियों और पूंजी सहयोग के घटकों पर आधारित है। परियोजना निर्धनता उन्मूलन में त्वरित प्रगति पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ''सामान्य हित समूहों'' के गठन पर विचार करती है। सीआईजी सदस्य जो कि अधिकतर मामलों में मौजूदा समूहों से सरोकार रखने वाले होते हैं, इन्हें सामान्य निवेश निधि नामक

(रु.20,000) तक की परिक्रामी निधि के प्रावधान के जरिए आर्थिक गतिविधियों और समुदाय कल्याणकारी कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए प्रेरित किया जाता है।

ट) एसजेएसआरवाई (स्वर्ण जयंती शहरी रोज़गार योजना) : शहरी क्षेत्रों से पूर्ण रूप से गरीबी दूर करने के लिए भारत सरकार द्वारा आरंभ गरीबी हटाओ कार्यक्रम है। समुदाय विकास संरचना, योजना की वितरण पद्धति के लिए चैनल प्रदान करती है। योजना के दो उप–घटक हैं – शहरी स्व रोजगार कार्यक्रम (यूएसईपी) और शहरी क्षेत्र में महिला एवं बाल विकास (डी डब्ल्यू सीयूए)। कार्यक्रम, समूह गतिविधि के जरिए लाभप्रद रोज़गार स्थापित करने में शहरी निर्धन महिलाओं के लिए सहायक है।

3-4-4 Hkkjr e ,l,pth & cd dMh dk;Øe

सूक्ष्मवित्त कार्यक्रम छोटे पैमाने के स्व सहायता समूहों से लेकर बड़े पैमाने के निर्धनता–लक्षित बैंकों के रूप में विभाजित हैं। भारत में एसएचजी – बैंक अनुबंधन कार्यक्रम अपनी शुरूआत के समय से ही आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक जैसे दक्षिणी क्षेत्र में स्थानिक पसंदों को दर्शाते हुए ऐसे कुछ खास राज्यों में प्रबल रहा है। इन राज्यों ने वित्त वर्ष 2005–2006 के दौरान एसएचजी क्रेडिट अनुबंधन पर आधारित कुल कार्यक्रमों के 57% भाग का गठन किया है।

भारत में एसएचजी मॉडल तीन प्रकार के हैं :

- पहले मॉडल में बैंक, स्व–सहायता समूह उन्नयन संस्थान की भूमिका स्वयं निभाता है। इस मॉडल के अंतर्गत एसएचजी कड़ियों को स्व–सहायता उन्नयन संस्थानों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को परिवर्तित करने की नाबार्ड नीति के जरिए सुगम बनाया जाता है।

,l,pth cd vuca/ku ekMy -I

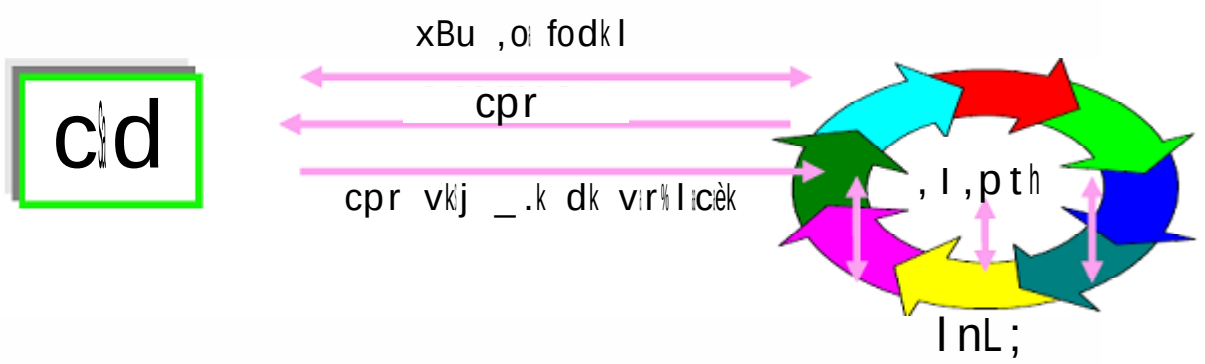

- दूसरे मॉडल के अंतर्गत बैंकों ने बचत खाते खोले और तत्पश्चात् स्व सहायता समूहों को सीधे तौर पर ऋण प्रदान किया जबकि गैर सरकारी संगठनों ने सहायताकर्ता की भूमिका निभाई थी। इस दृष्टिकोण को विस्तृत रूप से स्वीकारा क्योंकि जिला राज्य विकास एजेंसी (डीआरडीए), जिला महिला विकास एजेंसी (डीडब्ल्यूडीए) और कुछ केंद्रीय प्रायोजित सामाजिक क्षेत्र मिशनों और नाबार्ड की कुछ खास पहलों के कारण भी, राज्य सरकारों ने बड़े पैमाने पर अपनी सहभागिता को दर्शाया था।

, l ,p th cSd vuqcèku ekWMy -II

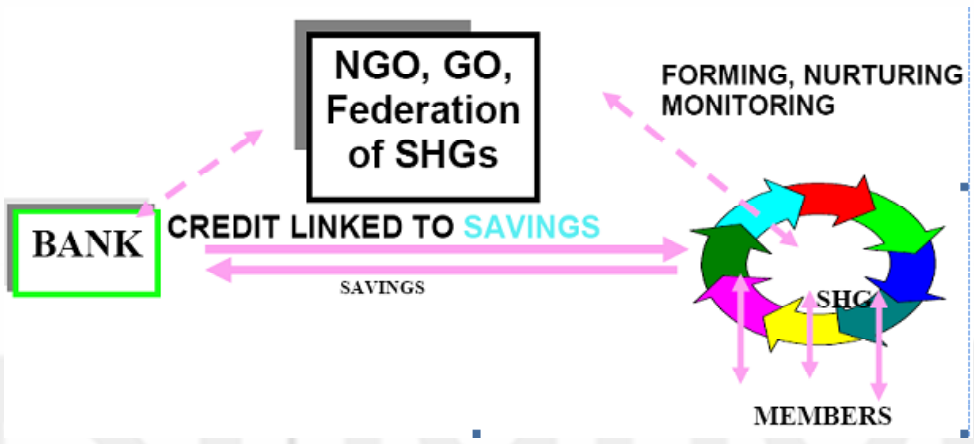

- तीसरे मॉडल के अंतर्गत गैर सरकारी संगठन सहायताकर्ता और सूक्ष्म वित्त मध्यस्थों दोनों की भूमिका निभाते हैं। सर्वप्रथम ये समूहों के महत्व को बढ़ाते हैं इन्हें विकसित कर प्रशिक्षित करते हैं और तत्पश्चात् ये बैंक से संपर्क साधते हैं ताकि बैंक स्व सहायता समूहों को ऋण देने के लिए बृहद् ऋण की व्यवस्था करने के योग्य हों। इस मॉडल के अंतर्गत एनजीओ, एसएचजी परिसंघों का गठन कर, इन्हें इस योग्य बनाते हैं कि ये एमएफआई की भूमिका निभा सकें। इस मॉडल से आशा है कि बड़े पैमाने पर स्व सहायता समूहों को वित्त देने का जोखिम उठाने वाले छोटे बैंकों को मान्यता मिलती है।

, l ,p th cSd vuqcèku ekWMy -III

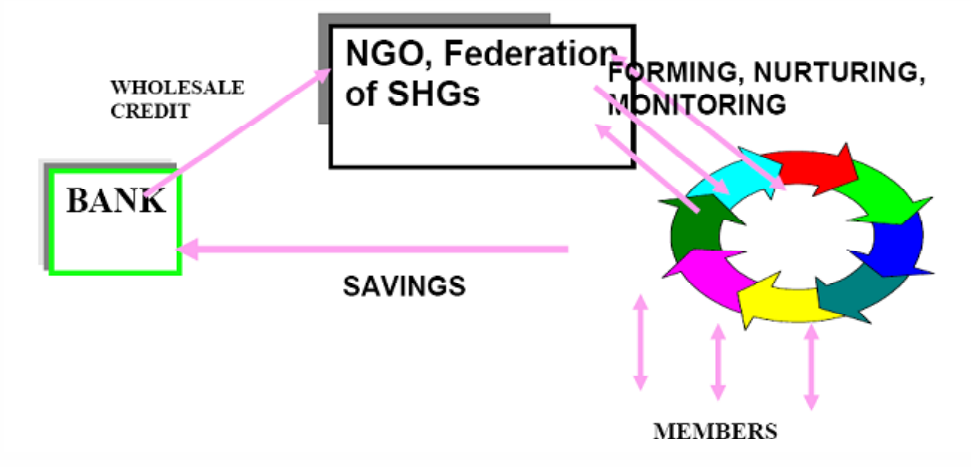

वर्ष 1992–93 में सिर्फ 255 स्व सहायता समूह ऋण–संबद्ध थे लेकिन समय के साथ ये तेजी से पनपे और वर्ष 2003–04 में इनकी संख्या 1,079,091 हो गई। एक मिलियन से अधिक स्व सहायता समूहों के जरिए सूक्ष्म ऋण के प्रावधान सहित बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच बनाने वाले 16.7 मिलियन से अधिक निर्धन परिवारों को लाभान्वित करते हुए नाबार्ड का एसएचजी बैंक अनुबंधन कार्यक्रम, अपने प्रसार की दृष्टि से संभवतया विश्व का सबसे बड़ा और तेजी से वृद्धि करने वाला सूक्ष्म ऋण कार्यक्रम है। वर्तमान समय में, 3024 से अधिक गैर सरकारी संगठनों और 560 बैंकों की 35,294 शाखाएं, इसे सर्वाधिक लागत प्रभावी सूक्ष्म ऋण पहल बनाते हुए सूक्ष्म ऋण प्रदान कर रहे हैं। नाबार्ड को बैंकरों का बैंक कहते हैं। नाबार्ड लाभार्थियों को सीधे तौर पर सूक्ष्म ऋण प्रदान नहीं करता। नाबार्ड–बैंकों के जरिए सूक्ष्म ऋण को चैनलबद्ध करता है। ये पहले स्व सहायता समूहों को ऋण देते हैं और तत्पश्चात्, नाबार्ड से इसकी ''पुनर्वित'' (refinance)

के रूप में मांग करते हैं। बैंक सापेक्षिक रूप से निम्न ब्याज दर पर ''पुनर्वित'' की प्राप्ति कर, नाबार्ड द्वारा निर्धारित मानदंडों के मद्देनज़र स्व सहायता समूहों को हल्के से उच्च दर पर ऋण के रूप में यह राशि देते हैं। भिन्न–भिन्न (difterential) ब्याज दर, एमएफआई को लेन–देन संबंधी लागत को सम्मिलित करने और मुनाफा कमाने के योग्य बनाते हैं। नाबार्ड (2008–09) की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार सभी बैंकों के साथ औसतन बचत प्रति एसएचजी, रु.7556 से बढ़ कर 31 मार्च 2008 तक रु.9060 (31 मार्च 2009 को) हो गई। यह आरआरबी से संबद्ध रु.12,218 (प्रति एसएचजी) जितना उच्च और वाणिज्य बैंकों से संबद्ध रु.7812 (प्रति एसएचजी) जितना निम्न से भिन्न है। 31 मार्च 2009 को बचत बैंक खातों वाले कुल स्व सहायता समूहों में महिला स्व सहायता समूहों का अंश, पिछले वर्ष के 79.56% के अंश की तुलना से 79.46% था।

वर्ष 2008–09 के दौरान, बैंकों ने 1609,586 स्व सहायता समूहों को वित्त प्रदान किए। कुल वितरित ऋणों में से वर्ष 2008–09 के दौरान एसजीएसवाई के अंतर्गत स्व सहायता समूहों ने रु.2,64,653 (24.6%) की राशि वित्त की जहाँ रु.2015.22 करोड़ (28.2%) का बैंक ऋण था। वर्ष 2008–09 के दौरान प्रति एसएचजी के आधार पर वितरित बैंक ऋण, वर्ष 2007–08 के दौरान रु.72060 की तुलना में रु.76,128 थे। प्रति एसएचजी औसतन ऋण, वाणिज्य बैंकों द्वारा प्रति एसएचजी रु.80,237 जितना उच्च और सहकारी बैंकों द्वारा प्रति एसएचजी रु.50,117 जितना निम्न था। 31 मार्च 2009 को कुल 42,24338 स्व सहायता समूहों ने 16999.90 करोड़ के बैंक ऋणों वाले 36,25,941 स्व सहायता समूहों की तुलना में, 22679,83 करोड़ के देय बैंक ऋणों को दर्शाया था।

ckèk i:'u 1

ukV : i) प्रश्नों के उत्तर नीचे दिए गए खाली स्थान में लिखिए।

ii) अपने उत्तर की तुलना इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए।

1. स्व सहायता समूहों के महत्व को बढ़ाने के प्रति किसी एक सरकारी कार्यक्रम की चर्चा कीजिए।

....

....

....

....

3-4-5 l{e _.k% vko';drk ,o egRo

चौथे विश्व महिला सम्मेलन (1995) बीजिंग में अंतरराष्ट्रीय एजेंडा के रूप में ऋण तक महिलाओं की पहुँच स्थापित करने के मुद्दे को प्राथमिकता दी गई। तभी से सूक्ष्म वित्त प्राप्ति करने वाली महिलाओं की तादाद में जबर्दस्त इज़ाफा हुआ है। अंतरराष्ट्रीय सूक्ष्म ऋण वर्ष (2005) की खुशी मनाते हुए सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों की प्राप्ति करने में सूक्ष्म वित्त की भूमिका के महत्व को बढ़ाने का प्रयास किया गया।

महिला आजीविका अर्जन की स्थिति में भारी बदलाव सूक्ष्म वित्त की व्यवस्था और स्थानीय बाजारों में महिला सहभागिता के जरिए आया है। महिलाओं की वर्धित आर्थिक गतिविधि और आमदनी पर नियंत्रण का कारण महिलाओं के कौशलों और एकजुटता में सुधार के साथ सूक्ष्म वित्त तक इनकी पहुँच और ज्ञान एवं सहायता नेटवर्क तक इनकी पहुँच होना है। नेटवर्कों और बाज़ारों तक पहुँच स्थापित होने से घर बाहर के संसार

का विस्तृत अनुभव मिलता है और सूचना तक पहुँच स्थापित होती है और अन्य सामाजिक एवं राजनीतिक भूमिकाओं के निकास की संभावनाएं बढ़ती हैं और घरेलू आमदनी और परिवार कल्याण में महिला योगदान आधारित दृष्टिकोण अधिक सुदृढ़ बनने लगते हैं। समुदाय में हैसियत भी बढ़ जाती है। समूह संगठनों द्वारा इन बदलावों पर जोर डाला जाता है और इससे सामाजिक एवं राजनीतिक परिवर्तन के लिए विस्तृत आंदोलन होने लगते हैं। निर्धन महिलाओं के लिए सूक्ष्म–ऋण या सूक्ष्म वित्त ने इस तरह निर्धनता घटाने और आर्थिक सशक्तीकरण` लिए कार्यनीति के रूप में विस्तृत मान्यता की प्राप्ति की है।

विशिष्ट ग्रामीण महिला स्व सहायता समूह संभावी उद्यमियों के लिए सक्षमता निमार्ण का एक अच्छा उदाहरण है। इसके लक्ष्यों में सम्मिलित है – औद्योगिक या उद्यमशीलता या शैक्षिक दृष्टि से निरक्षर पृष्ठभूमि वाले सदस्यों को आत्म निर्भर बनने के योग्य बनाना और इसके लिए सदस्यों की निर्णय लेने की क्षमता को विकसित एवं सवंर्धित करना और अपनी समस्याओं को हल करने के लिए इनमें आत्म विश्वास एवं सामर्थ्य विकसित करना। ये निर्धन महिलाओं को ऐसा मंच प्रदान करते हैं जहाँ वे मिल जुल कर काम करना सीख सकते हैं और धन एवं अन्य मुद्दों को संचालित करने के कौशल अर्जित करते हैं। उद्यमशीलता के लिए महिला सक्षमता निर्माण पर लक्षित कुछ सरकारी योजनाओं में सम्मिलित हैं – डेरी सहकारी क्षेत्र (मध्य प्रदेश) में आयोजित 'स्त्री शक्ति' कार्यक्रम स्व शक्ति एवं राष्ट्रीय महिला कोश परियोजना नामक महिलाओं के लिए निर्मित प्रशिक्षण एवम् रोज़गार कार्यक्रम (विश्व बैंक द्वारा समर्थित) और अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास फंड (आईएफएडी)।

कुछ खास विशिष्ट समुदायों एवं क्षेत्रों को छोड़कर बाजार ऐसा सार्वजनिक अखाड़ा था जहाँ पर अधिकतर महिलाओं के लिए पहुँच स्थापित करना आसान काम नहीं था। महिलाएं घर–घर जाकर अंडे या सब्जी जैसे छिटपुट सामान बेचती थी या इनके बच्चे बिक्री योग्य समान को बाज़ार ले कर जाते थे। लेकिन जब से महिलाओं ने बाजार के लिए उत्पादन करना शुरू किया, इनकी आर्थिक भूमिका ने इन्हें बाज़ार से जोड़ना शुरू कर दिया जहाँ से उत्पादन अब अधिक वाणिज्यिक रूप धारण करने लगा। लाओस (Laos) में जो महिलाएं अपने निजी उपयोग और उपहार देने की दृष्टि से बनाती थी, नये एवं अधिक नवीनपरक पैटर्नों को सीखने में अधिक फर्ती दर्शाते हुए वे बाजार के लिए उस्दाद तैयार करने लगी। इसी तरह, घरेलू उपभाग के लिए कुक्कुटपालन करने वाली बांग्लादेशी महिलाओं ने बिक्री की दृष्टि से इनका पालन करना शुरू कर दिया।

सूक्ष्य वित्त शिखरवार्ता अभियान रिपोर्ट (2007) के अनुसार, सूक्ष्म ऋण का वैश्विक प्रसार सिद्ध करता है कि 92.9 मिलियन निर्धनतमों में से 2006 के अंत तक 85.2% या 79.1 मिलियन महिलाएं हैं। उचित निर्धन महिला लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि वर्ष 1999 के अंत तक 10.3 मिलियन से वर्ष 2006 के अंत तक 79.1 मिलियन तक पहुँच गई। 31 दिसम्बर 1999 से 31 दिसम्बर 2006 तक निर्धनतम महिलाओं की संख्या में यह 668% बढ़ोतरी को दर्शाते हैं।

3-4-6 ,l,pth & cid dMh dk;Øe ¼,lch,yih½ dk iHkko

नाबार्ड (2008–09) के अनुसार एसएचजी बैंक अनुबंधन कार्यक्रम ने पूर्व–एसएचजी अवधियों की तुलना में घरेलू स्तर पर महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं।

- प्रि–एसएचजी और पोस्ट–एसएचजी के बीच की निवल घरेलू आमदनी ने प्रति वर्ष 6.1% की दर की शानदार वृद्धि को दर्शाया है।

- खाद्य एवं गैर–खाद्य मदों पर प्रति परिवार उपभाग व्यय की वार्षिक वृद्धि दर क्रमशः 5.1% और 5.4% थी।
- शिक्षा और स्वास्थ्य पर प्रति परिवार वार्षिक आय ने क्रमशः 5.6% और 5.5% वृद्धि को दर्शाया था।
- प्रति परिवार उपभोक्ता टिकाऊ परिसंपत्तियों के मूल्य में निवल बढ़ोतरी प्रि–एसएचजी और पोस्ट एसएचजी अवधियों में रु.4329 थी और परिसंपत्तियों की वार्षिक वृद्धि ने दोनों समयावधियों के बीच 9.9% की उच्च वृद्धि को दर्शाया।
- प्रि–एसएचजी और पोस्ट एसएचजी समयावधियों के बीच प्रति परिवार औसत ऋण राशि 20.5% की वार्षिक दर पर बढ़ी।
- लगभग 93% परिवारों ने बताया कि प्रि–एसएचजी के दौरान 46.5% की तुलना में ऋण, पोस्ट एसएचजी स्थिति में लिए गए थे।
- एसएचजी सदस्यों द्वारा ऋण चुकौती के मुद्दे पर परिणाम दर्शाते हैं कि 96.4% परिवारों ने ऋण चुकौती नियमित रूप से की थी।
- पोस्ट–एसएचजी स्थिति में 33% की तुलना में प्रि–एसएचजी स्थिति में गरीबी रेखा से निचले परिवारों का अंश 58.3% तक घटा था। औसतन वार्षिक निर्धनता न्यूनीकरण दर 10% थी।
- लगभग 92% परिवारों ने दर्शाया था कि समय के साथ स्व सहायता समूहों में सदस्यता लेने के बाद महिला सामाजिक सशक्तीकरण का स्तर बढ़ गया था।
- 60% से अधिक परिवारों ने दर्शाया कि प्रि–एसएचजी स्थिति की तुलना में पोस्ट–एसएचजी स्थिति में उत्पादनपरक परिसंपत्तियों के स्वामित्व में बढ़ोतरी हुई थी।
- परिणाम दर्शाते हैं कि बच्चों की शिक्षा के संबंध में प्रि–एसएचजी काल के 9.1% की तुलना में पोस्ट–एसएचजी काल में 22.5% महिला एसएचजी सदस्यों ने अपने परिवारों के निर्णय स्वयं लिए थे।

3-5 lQy Lo lgk;rk leg & vPNh 0;ogkj

एसएचजी और एसएचजी परिसंघों दोनों के लिए श्रेष्ठ व्यवहारों का अनुसरण करने के लिए मानकों की प्राप्ति करना जरूरी है। चूंकि एसएचजी परिसंघ, समुदाय स्वामित्व वाले सूक्ष्मवित्त संस्थानों के रूप में उभर रहे हैं, इसलिए संस्थान निर्माण सहयोग प्रदान करने में महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता है। ऐसे बहुत से सफल महिला संघ एवं संगठन हैं जो कि विकासपरक कार्यों के लिए ग्रामीण महिलाओं को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ खास देशों में स्व सहायता समूह, स्वयं को समूह के रूप में गठित कर, जमीन खरीदने और (जैसा कि नेपाल के उदाहरण में) समुदाय वानिकी के लिए अपनी जमीने पट्टे पर भी देने के योग्य थे और (जैसा कि बांग्लादेश के उदाहरण में), अपनी रोजी–रोटी कायम रखने के लिए संयुक्त रूप से मछली पालन संबंधी पोखरों के लिए उपयोगकर्ता अधिकार अर्जित कर पाए थे। सूक्ष्म ऋण कार्यक्रमों का विश्लेषण इस बात को उजागर करता है कि आनंद मिल्क यूनियन लि. (अमूल) भारत, (डेरी महिला सहकारी समिति) जो गाएं पालन कर दुग्ध उत्पादन करती हैं और मुनाफे पर दुग्ध–आधारित उत्पादों की बिक्री करती है, ऐसा रोचक उदाहरण भी है जिससे निर्धन

महिलाएं अपना उद्यम बना कर इसे चला पाती है और अपने उत्पादों का मूल्य संवर्धन करती हैं।

vkfFkd l l k/kuk dk c<kuk vkj ,l,pth vknkyu

अनौपचारिक कामकाज के बढ़ते महत्व और अनौपचारिक कामगारों की अनगिनत समस्याओं के फलस्वरूप पिछले कुछ दशकों में इनके संगठनों का आविर्भाव संभव हुआ है। अब हम कुछ ऐसे सफल स्व सहायता समूहों पर गौर करेंगे जिन्हें अच्छे व्यवहारों के लिए ध्यान में रखा जा सकता है।

दि पमबनसग टगापग – उग्नय नग मगा मंगगागवा सा बाहाय (पीएटीएएमबीए), जिसका अर्थ है फिलिपिन्स में गठित नेषनल नेटवर्क ऑफ होम वर्कर्स। यह बुनियादी स्तर की उन महिलाओं द्वारा गठित जन संगठन है जिन्होंने स्वयं को सशक्त करने की इच्छा जताई है। होम वर्कर्स के अलावा, इसमें बिक्रीकर्ता, छोटे वाहन चालक, निर्माण संबंधी कामगार और युवा कामगार भी सम्मिलित हैं। इसमें वस्त्र निर्माण, हस्तशिल्प, बैग, सजावटी गेंदें, फैशन संबंधी सहायक सामग्री और कढ़ाई से सुसज्जित उत्पाद निर्माण में जुटे उप–संवीदा पर नियुक्त कामगार सम्मिलित हैं। स्व रोजगार प्राप्त सदस्यों को पशुधन, कृषि काठकला और बुने हुए उत्पादों के निर्माण में शामिल किया जाता है। इनकी मुख्य कार्यनीति में सम्मिलित है – शासन में सहभागिता और व्यवस्थापन के जरिए संस्थान–निर्माण, गठबंधन निर्माण, राष्ट्रीय, स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय निकायों में प्रतिनिधित्व और अनौपचारिक क्षेत्रके लिए कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं का संस्थापन, कौशल प्रशिक्षण एवं सक्षमता निर्माण प्रदान करना, जेंडर जागरूकता, स्वास्थ्य एवं जनन अधिकारों पर प्रशिक्षण, कंप्यूटर साक्षरता और कनैक्टिविटी; सामाजिक–आर्थिक सहयोग जैसा कि इसके ऋण सुविधा कार्यक्रम और व्यापार मेलों और बाज़ारों में सहभागिता और शोरूम के जरिए घरेलू उत्पादों की बिक्री (ऑफरेनियो, 2008)।

gke uV FkkbyM % यह भी उन अनौपचारिक कामगारों के समूहों तक पहुँच स्थापित कर रहा है जो घरेलू उत्पादों, शिल्पकला, खाद्य संसाधन, हर्बल उत्पादों आदि जैसे कामकाजों में मुख्य रूप से संलग्न हैं और जो वस्त निर्माण, कृत्रिम फूल निर्माण, ज्युलरी, चमड़ा और अन्य उत्पादों में उप–संवीदा के आधार पर संलग्न हैं; और कृषि श्रमिक विशेषकर संवीदा पर कामकाज करने वाले किसान। होम नेट थाइलैंड द्वारा लागू कार्यनीतियों में सम्मिलित है – कौशल प्रशिक्षण और अन्य विकासपरक गतिविधियों के जरिए उत्पादन एवं प्रबंधन में होम वर्कर क्षमताओं का सुदृढ़ करना और अच्छे नेटवर्क और संगठनात्मक पद्धति का रखरखाव एवं इनमें समन्वय स्थापित कर होम वर्कर आर्गनाइजेशन का संवर्धन और पेशे से जुड़े स्वास्थ्य और सुरक्षा और साथ ही मजदूरी एवं सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्रों में होम वर्कर कल्याण हेतु अभियान चला कर होम वर्करों और होम प्रोड्यूसरों में श्रम संबंधी मानक एवं सामाजिक सुरक्षा के महत्व को बढ़ाना और होम वर्करों की कानूनी एवं सामाजिक सुरक्षा के संबंध में सरकारी नीतियों पर वर्चस्व कायम करना (ऑफरेनियो, 2008)।

Lo&jkst xkj ikIr efgyk l ?k ¼ l ok½ % भारत में यह संघ, एशिया में गृह–आधारित कामगारों के लिए गठित संगठन का ठेठ उदाहरण है और इसे अंतरराष्ट्रीय मजदूर संघ परिसंघ (आईयूसी) के सबसे बड़े सामूहिक परिरोध (conglomeration) ने मान्यता प्रदान की है। बीढ़ी (कामगारों), उत्पादन एवं सेवा सहकारी समिति के गठन, ऐसे बैंक की स्थापना जहाँ यहाँ तक कि निरक्षर महिलाएं भी उधार ले सकती हैं, बीमा और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का प्रावधान, व्यापार सुगमीकरण में संलग्नता, अंतरराष्ट्रीय पक्ष समर्थन और नेटवर्किंग आदि के मामलों में औद्योगिक मानदंडों के साथ–साथ जन एकजुटता और समझौते की बातचीत के जरिए महिला सशक्तीकरण के संबंध में बहु–आयामी दृष्टिकोण को भी आईटीयू ने स्वीकारा है। सेवा द्वारा प्रदत्त बीमा योजना,

ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत 100000 निर्धन स्व रोजगार प्राप्त महिलाओं के लिए रोजी–रोटी कमाने के साधनों की कमी, संपति का नुकसान, मृत्यु और मेडीक्लेम आदि सम्मिलित हैं। सेवा बैंक से सूक्ष्मऋण प्राप्त करने वाले उधारियों के लिए जोखिम कवरेज के विस्तार के रूप में सेवा द्वारा सृजित योजना है। अनौपचारिक क्षेत्र में गृह–आधारित कामगारों को सुदृढ़ कर ये इनके आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों को हकीकत में बदलते हैं; इनकी कामकाजी और जीवन जीने की दशाओं को बेहतर बनाते हैं; सुरक्षा समेत आय एवं रोज़गार सुरक्षा का लाभ उठाने का अवसर प्रदान करते हैं; और होमवर्करों और अनौपचारिक वर्करों के गंभीर मुद्दों से संबद्ध शासन में सहभागी बनने के योग्य बनाते हैं (ऑफरेनियो, 2008)।

श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़, या लिज्जत, पिछले चार दशकों से देश की निर्धन शहरी महिलाओं को सशक्त करने में उत्प्रेरक की भूमिका निभाने वाल संगठन। संगठन के 17 भारतीय राज्यों में 62 शाखाओं में 40,000 से अधिक सदस्य हैं। सिर्फ महिलाओं को ही संगठन की सदस्यता की प्राप्ति हो सकती है और इसके सभी सदस्यों को ''बहिने'' (Sisters) कह कर पुकारा जाता है। संगठन का स्वामित्व भी महिलाओं के ही हाथों में हैं। लिज्जत का मुख्य उत्पाद पतला, गोल, जायकेदार पापड़ है। ''सदस्य बहिनें'' मुख्य रूप से पापड़ बेलने का काम करती हैं और सदस्यों बहिनों को मुनाफा और हानि समान रूप से बॉटना पड़ता है इसलिए परिसंपत्ति निर्माण और संपति बनाने की संभावना नहीं होती।

efgyk feyu \ मुंबई में सड़क किनारे बसी झुग्गी–झोपड़ियों की महिलाओं का परिसंघ है। स्पार्स (SPARC) अर्थात् (क्षेत्र संसाधन केंद्रों के संवर्धन हेतु समिति) के सहयोग से गठित सहकारी समिति, मिलन नगर में स्थित है। यह समिति अपने घरों के लिए वैकल्पिक जमीन की जगह प्राप्त करने की इच्छुक है; समिति नये घरों के लिए पैसे की बचत करने की शुरुआत करने के उद्देश्य से बैंक में खाते खोल रही है। समिति, संकट से जूझते हर परिवार को अनिवार्य खाद्यान्य एवं पहनने के लिए वस्त्र प्रदान कर रही है, उदाहरण के तौर पर आपातकालिक ऋण प्रदान करना और पुलिस से संबद्ध समस्याओं को हल करने में मदद करना।

3-5-1 Lo lgk;rk lewg dh izxfr

कार्यकारी समूह (आरबीआई, 1996) ने भारत में स्व सहायता समूहों की प्रगति पर टिप्पणी की है, जो कि इस प्रकार है

- स्व सहायता समूहों ने विविध वर्गों के ऐसे लोगों की छोटी–छोटी आमदनी से जनित बचत को एकत्र करने में सहायता की है जो अभी तक बचत करने के योग्य नहीं थे। बचत और कम खर्च (थ्रिफ्ट) का मुख्य अंतर है कि थ्रिफ्ट, आस्थगित उपभाग से जनित होती है जबकि बचत, अधिशेष से जनित होती है।
- स्व सहायता समूहों ने अपनी तात्कालिक उपभोग आवश्यकताओं और साथ ही लघु उत्पादन संबंधी अनिवार्ययताओं से जुड़ी ऋण संबंधी जरूरतों को पूरा करने में ग्रामीण निर्धनों की राह को सुगम बनाया है।
- स्व सहायता समूह, ग्रामीण निर्धनों की जरूरतों के मुताबिक उनकी ऋण संबंधी अनिवार्यताओं को पूरा करने के योग्य रहे हैं, यह व्यवहार औपचारिक ऋण संस्थानों के अन्य कार्यक्रमों के अंतर्गत उधार लेने वाले के मामले से भिन्न है।
- ग्रामीण ऋण के अंतर्गत विविध गतिविधियों के संबंध में बैंकों की खराब वसूली व्यवहार की तुलना में स्व सहायता समूहों के उच्च वसूली दर एकदम भिन्न हैं।

चूंकि ऋण/वित्त को सहभागियों की निजी निधियों और उद्यम प्रबंधन के रूप में देखा जाता है। इस व्यवहार से स्वामित्व एवं जिम्मेदारी की भावना जनित की गई।

- आवश्यकता निर्धारण, वितरण, वसूली, अनुवीक्षण और पर्यवेक्षण का समूचा चक्र, स्व सहायता समूहों के तहत् कार्यवाई पर टिका है और इसलिए ऋणों के लेन–देन संबंधी लागत सापेक्षिक रूप से निम्न थी।

ckèk i'u 3

ukV : i) प्रश्नों के उत्तर नीचे दिए गए खाली स्थान में लिखिए।

ii) अपने उत्तर की तुलना इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए।

1. अपने इलाके के किसी एक स्व सहायता समूह की पहचान कीजिए और इसकी मुख्य गतिविधियों की संक्षेप में चर्चा कीजिए।

....

....

....

....

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

3-6 lkjka'k

घोर गरीबी की दशाओं में स्व सहायता समूह और लघु उद्यम का गठन न सिर्फ व्यक्ति–विशेषों को बल्कि इनके परिवारों को भी सहयोग देने का साधन प्रदान करता है। राज्य एवं गैर–राज्य संबंधी महारथी महिला सूक्ष्म उद्यमियों को सहयोग प्रदान कर सकते हैं ताकि ये चिरस्थायी आजीविका अर्जित कर, अपनी उद्यमशीलता संबंधी गतिविधियों से परिसंपत्तियाँ एकत्र कर, स्वयं को छोटे से स्थानीय आधारित समुदायों में एकीकृत कर, आगे विस्तृत नेटवर्कों से जुडत्र कर अपने अवसरों को बेहतर बना पायें। हाँलाकि, यद्यपि बहुत से लघु उद्यम स्थापित करते हैं लेकिन कुछ चुनिंदा ही रोजी–रोटी कमाने में सफल हो पाते हैं। लघुवित्त, परिसंपत्तियों को उन्नत और संचित करने के संबंध में स्व सहायता समूह आधारित लघु उद्यम की ओर बढ़ने का तरीका है। लेकिन क्या ऐसे व्यवसाय भी महिलाओं को चिरस्थायी आजीविकाएं प्रदान कर सकते हैं या नहीं, यह बात समुदाय से बाहर स्थित संघों और नेटवर्कों में इनकी संलग्नता और इनकी पारिवारिक जिम्मेदारियों पर निर्भर करती है। देशों से प्राप्त साक्ष्य मुख्य रूप से वित्तीय, पहलुओं पर जोर देते हैं ताकि मौजूदा 'श्रेष्ठ व्यवहार' पर पुनः ध्यान केंद्रित करना संभव हो ताकि सुनिश्चित हो कि महिलाओं की हर किस्म की वित्तीय सेवाओं तक एक समान पहुँच स्थापित हो। यह नवीन पहल करना भी जरूरी है ताकि सुनिश्चित हो कि ऐसी पहुँच का महिला सशक्तीकरण में महत्वपूर्ण एवं चिरस्थायी योगदान है। महिलाओं की जरूरतें भिन्न–भिन्न किस्म की होती हैं चाहे उन्हें अक्सर एक जैसे भेदभाव और पक्षपात का ही सामना करना पड़ता है। कुछ बेहद सफल महिला व्यवसायी हैं जबकि कुछ ऐसी मजदूरी करने वाली महिलाएं हैं जो अपने बूते पर परिवार को पालने के लिए मेहनत–मशकत करती हैं लेकिन उपयुक्त बचत और ऋण की मदद से अपनी स्थिति को बेहतर बनाने के योग्य भी हैं। इसलिए यह कहना कि *''एक साइज़ सभी के लिए फिट है''* अर्थात् इस संकल्पना पर पुनः ध्यान केंद्रित कर इसे बदलना जरूरी है।

3-7 'kCnkoyh

Lkikf'odrk (Collateral) % उधार देने सभी करारनामों में उधार लेने वाले को यह विश्वास दिलाने के लिए कि उधार की राशि आसानी से चुकता कर दी जाएगी, उतनी कीमत की कोई अचल संपत्ति या कीमती सामान जमानत के तौर पर उधार देने वाले के पास जमानत के तौर पर रखना पड़ता है। इससे उधार देने वाला सुनिश्चित हो जाता है कि यदि ऋण ने उधार नहीं चुकाया तो वह जमानत के तौर पर रखे सामान को बेच कर अपना उधार वसूल कर सकता है।

vijdk (APRACA) % इसका पूरा नाम एशिया–प्रशांत ग्रामीण एवं कृषि ऋण संघ है। ग्रामीण वित्त के क्षेत्र में सूचना एवं विशेषज्ञता के पारस्परिक आदान–प्रदान को सुगम बनाने और सहयोग के महत्व को बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय संघ की स्थापना के लिए अक्तूबर 1974 में एशिया के छोटे किसानों के लिए कृषि ऋण पर आयोजित क्षेत्रीय सेमीनार में इसका प्रस्ताव रखा गया। तत्पश्चात्, क्षेत्र के कृषि ऋण संस्थानों और ग्रामीण वित्त संबंधी संस्थानों ने औपचारिक रूप से 10 से 14 अक्तूबर, 1977 के दौरान भारत में नई दिल्ली में अपरेका का गठन किया गया। इसका आयोजन कृषि ऋण और सहकारी समितियों पर आयोजित तृतीय एशियाई सम्मेलन के साथ किया गया था। सभा के दौरान इसके पहले संविधान और उप–नियमों को भी अंगीकृत किया गया।

3-8 ckèk i'uk d mÙkj

Ckkèk i'u 1

1. सशक्तीकरण वह प्रक्रिया है जिसके जरिए महिलाएं संसाधनों एवं अपने जीवन पर पहुँच एवं नियंत्रण स्थापित कर अपनी इच्छाशक्तियों को लोकतांत्रिक रूप से व्यावहारिक रूप दे सकती हैं।

Ckkèk i'u 2

1. कार्यक्रमों में एसजेएसआरवाई, तेलुगु, आरएमके, स्व–शक्ति परियोजना आदि सम्मिलित हैं।

Ckkèk i'u 3

1. अपने कार्य–क्षेत्र का दौरा करें और स्व सहायता समूह के संबंध में प्रयुक्त श्रेष्ठ व्यवहार का अध्ययन करें।

3-9 dN mi;kxh iLrd

Agarwal, Bina, *A Field of One's Own: Gender and Land Rights in South Asia*, New Delhi: Cambridge University Press, 1996.

Ofreneo, Pineda Rosalinda, "Bridging the Gender and Formal/Informal Divide in Labour Movements within a Globalizing ASEAN", Paper Presented at ASEAN Inter-university conference on Social Development, The Philippines: HomeNet South Asia, 2008.

UNDP, "Participatory Governance, People's Empowerment and Poverty Reduction", UNDP Conference Paper Series, 2001.

http://www.gdrc.org/icm/wind/gendersjonson.html

3-10 fpru ,o vH;kl gr i'u

1. महिला सशक्तीकरण को परिभाषित कीजिए। इसकी चर्चा, स्व सहायता समूह क्रांति को ध्यान में रख कर कीजिए।
2. महिला सशक्तीकरण की विविध कार्यनीतियों की चर्चा कीजिए। उचित उदाहरणों के प्रयोग से समझाइए।
3. सरकारी कार्यक्रमों की चर्चा, भारतीय संदर्भ में स्व सहायता समूहों को प्रोन्नत करने के संबंध में कीजिए।

ignou THE PEOPLE'S UNIVERSITY

bdkbl 4 Lo lgk;rk lewg] l{e_.k vk/kkfjr vkthfodk vtlu % fogaxkoykdu

bdkbl dh :ijs[kk

4.1 प्रस्तावना

4.2 उद्‌देश्य

4.3 सेवा सूक्ष्मऋण मॉडल / सूक्ष्म बीमा अंतःक्षेप

4.4 नवीनतम सूक्ष्मऋण वितरण मॉडल एवं सूचक

4.5 सूक्ष्म ऋण परियोजनाएं : विदेश निवेश

4.6 भारत में सूक्ष्मऋण प्रबंधकों के प्रकार

4.7 स्व सहायता समूह (एसएचजी)

4.7.1 भारत में रोजगार स्थिति

4.7.2 सशक्तीकरण में स्व सहायता समूहों की भूमिका

4.7.3 वैश्वीकरण के संदर्भ में स्व सहायता समूह

4.8 भारत में स्व सहायता समूहों का विश्लेषण

4.9 भारत में विविध राज्यों में स्व सहायता समूह

4.9.1 आंध्र प्रदेश और कर्नाटक

4.9.2 महाराष्ट्र और गुजरात

4.9.3 पूर्वोत्तर

4.10 स्व सहायता समूह एवं महिलाएं

4.10.1 नीति निहितार्थ

4.10.2 भारत में एसएचजी आंदोलन की वृद्धि संबंधी कारक

4.10.3 सदस्यों को लाभ

4.10.4 दाताओं और सरकारों को लाभ

4.10.5 सरकार और निधिदा प्रबंधकों की भूमिका

4.11 सारांश

4.12 शब्दावली

4.13 बोध प्रश्नों के उत्तर

4.14 कुछ उपयोगी पुस्तकें

4.15 चिंतन एवं अभ्यास हेतु प्रश्न

4-1 iLrkouk

ग्रामीण, अर्ध–शहरी एवं शहरी क्षेत्रों के निर्धनों को बेहद सूक्ष्म राशि के उत्पाद और ऋण और मितव्यायी एवं अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान करने का प्रावधान ताकि वे अपने आय स्तरों और जीवन–यापन संबंधी मानकों को बेहतर बनाने के योग्य हों, सूक्ष्म ऋण

कहलाता है। सूक्ष्म ऋण संस्थान ऐसी सुविधाएं प्रदान करने वाले संस्थान हैं। हमारे देश में वर्ष 1991 के आरंभ में वित्तीय क्षेत्र संबंधी सुधारों के लिए महत्वपूर्ण माने जाने वाले मुद्दे में सम्मिलित हैं – ब्याज दर संबंधी सुधार/बैंकों द्वारा सूक्ष्म ऋण संगठनों को दिए जाने वाले ऋणों पर लागू ब्याज दरें या इसी तरह, इस सुधार प्रक्रिया के अनुरूप सूक्ष्म ऋण संगठनों द्वारा स्व–सहायता समूहों/सदस्य–लाभार्थियों से वसूला जाने वाला ब्याज पूरी तरह से उनकी अपने विवके पर ही निर्भर करता है। बैंकों द्वारा व्यक्ति–विशेष ऋणियों को दिए जाने वाले प्रत्यक्ष लघु ऋणों पर लागू ब्याज दर ceiling, हांलाकि, अभी भी लागू है। व्यावहारिक सच्चाइयों को ध्यान में रखते हुए बैंकों को उधार देने संबंधी निजी मानदंड गठित करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ऋण की राशि, इकाई लागत, इकाई आकार, परिपक्वता अवधि, छूट अवधि, मार्जिन आदि समेत उपयुक्त ऋण एवं बचत उत्पादों और संबद्ध शर्तों को सूत्रबद्ध करने के लिए, इन्हें निदेशित किया गया है। ऐसे ऋण में आवासीय और बसेरों संबंधी सुधारों के लिए निर्धनों की ऋण संबंधी जरूरतों और निर्धनों की विविध कृषि एवं गैर–कृषि गतिविधियों के लिए उपभोग एवं उत्पादनपरक ऋण को सम्मिलित किया गया है।

4-2 mn~n~s';

इस इकाई के अध्ययन के बाद आप :

- सूक्ष्मऋण एवं सूक्ष्मबीमा अंतःक्षेप की आवश्यकता की चर्चा कर सकेंगे;
- भारत में सूक्ष्म ऋण प्रबंधकों के प्रकारों का वर्णन कर सकेंगे; और
- भारत में स्व सहायता समूहों की कार्यप्रणाली का विश्लेषण कर सकेंगे।

4-3 lsok l{e _.k ekWMy@l{e chek vrj{ki

संगठित और असंगठित क्षेत्र के बीच के बड़े फासले ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के विविध प्रयासों को संभव बनाया है। इन दृष्टिकोणों में से पहला और सर्वाधिक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण सेवा मॉडल है। दूसरा असंगठित क्षेत्र में कार्यरत् मजदूर संघ, सहकारी समितियों और गैर सरकारी संगठनों के अनुभव हैं (झाबावाला 2000)। इस संबंध में उठने वाला एक प्रासंगिक प्रश्न है, किसके लिए सामाजिक सुरक्षा? सामाजिक सुरक्षा पर प्रकाशित नवीनतम जानकारी निम्नलिखित प्रवृत्तियों का खुलासा करती है। आईएलओ ने सामाजिक सुरक्षा की अपनी परिभाषा में लक्ष्य समूह को, समाज के सदस्यों के रूप मेंव्यक्त किया है (आईएलओ, 1993:3), ड्रेज़ और सेन (1991), सामाजिक सुरक्षा की मानवता हेतु'' के रूप में चर्चा करते हैं। तर्क है कि सामाजिक सुरक्षा में उपर्युक्त सभी पहलुओं का समावेश होना चाहिए।

सेवा असंगठित क्षेत्र की महिलाओं का श्रमजीवी संघ है। सेवा ने अपना बैंक विकसित किया है जहाँ महिलाएं अपनी बचत राशि को जमा करवा सकती हैं और ऐसे बैंक से लघु ऋण की प्राप्ति कर सकती हैं। सेवा ने बीमा योजना की भी प्रस्तुति की है। यह योजना एक किस्म का सूक्ष्म ऋण आधारित अंतःक्षेप है ताकि इसके सदस्य बीमारी, शिशु जन्म और सूखा या बाढ़ जैसी आपदाओं से प्रभावित होने की स्थिति में ऐसे सभी कारणों के लिए सामाजिक सुरक्षा की प्राप्ति कर सकें। सेवा ने ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की 75 से अधिक सहकारी समितियों को प्रायोजित किया है।

योजना का सर्वाधिक निश्चित फायदा था कि योजना ने अपने सदस्यों को बेहद खराब स्थितियों में ठोस आर्थिक लाभ प्रदान कर, इन्हें ऐसी स्थितियों से जूझने के योग्य बनाया। अपने जीवन में पहली बार महिलाओं को स्वास्थ्य, जीवन और दुर्घटना संबंधी

फायदों के रूप में इस किस्म की सामाजिक सुरक्षा सेवा का लाभ उठाने का मौका मिला था। स्व रोज़गार प्राप्त महिलाओं के लिए स्वास्थ्य बीमा के लिए नामांकन में समुचित बढोतरी से सेवा संगठनकारी क्रियाकलापों को जबर्दस्त सहयोग की प्राप्ति हुई। बड़ी संख्या में महिलाएं, कार्य सुरक्षा के अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा प्राप्त करने के भी योग्य हैं। बीमा योजना की आरंभता ने महिलाओं को अपनी दैनिक योजना बनाने से ऊपर उठाते हुए अपने भविष्य की योजना बनाने के योग्य बना दिया। बीमा कार्यक्रम का एक रोचक परिणाम यह रहा था कि स्थानीय चिकित्सकों और साथ ही, नगर निगम अस्पतालों के साथ घनिश्ठ संबंध बन गए और इस तरह सेवा सदस्यों के लिए रेफरेल सेवाएं भी सुदृढ़ हो गई। वर्षों से सेवा ने सीखा है कि निर्धन महिलाएं न सिर्फ अच्छी बचतकर्ताएं ही होती हैं बल्कि अपनी मेहनत की कमाई से सेवाओं के लिए तुरंत योगदान भी करती हैं। अंत में, विचारणीय बिंदु यह है कि काम और आय सुरक्षा के अलावा, सामाजिक सुरक्षा महिलाओं की अनिवार्य आवश्यकता है। जब महिलाएं, गर्भावस्था, शिशु जन्म, बीमारी अक्षमता, आर्थिक संकट या आपदाओं जैसी जैविक परिस्थितियों के कारण काम नहीं कर पातीं तो सामाजिक सुरक्षा संबंधी उपायों को तुरंत लागू करना अनिवार्य हो जाता है।

यूपीए सरकार की प्राथमिकताओं को गिनाते हुए, देश की राष्ट्र पति महामहिम प्रतिभा पाटिल ने संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए बताया कि केंद्र सरकार की नौकरियों में महिला प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए संयुक्त प्रयास किए जायेंगे और मिशन मोड में महिला–केंद्रित कार्यक्रम सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण मिशन की आरंभता की जायेगी। महामहिम ने इस बात पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जहाँ पिछली जनगणना में पुरुष साक्षरता 75% से अधिक का आँकड़ा दर्शाती है और जिसके अब अधिक उच्च होने की उम्मीद है वहीं महिला साक्षरता सिर्फ 54% तक ही सिमटी रही। महामहिम ने कहा, कि हमारी सरकार राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को अगले पाँच वर्षों में हर महिला को साक्षर बनाने के लिए, राष्ट्रीय महिला साक्षरता मिशन के रूप में इसकी पुनः शुरूआत करेगी। वर्धित महिला साक्षरता से उम्मीद है कि यह सभी सामाजिक मिशन कार्यक्रमों के लिए बल गुणक सिद्ध होगी।

4-4 uohure l{e _.k forj.k ekMy ,o lpd

निर्धन वर्ग के साथ और अधिक समुचित एवं सार्थक बैंकिंग प्रक्रिया को सुगम बनाने की बात को ध्यान में रखते हुए, वर्ष 1991–92 में नाबार्ड ने स्व सहायता समूहों को बैंकों से जोड़ कर सूक्ष्म ऋण प्रबंधन के लिए प्रायोगिक परियोजना की शुरूआत की। भारतीय रिजर्व बैंक ने तब वाणिज्यिक बैंकों को इस अनुबंधन कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। तब से योजना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों तक विस्तारित की गई है। 31 मार्च, 2002 तक बैंकों से जुड़े स्व सहायता समूहों की संख्या कुल मिलाकर 4,61,478 थी। ये आंकड़ें, बेहद निर्धन अनुमानित 7,87 मिलियन परिवारों को 31 मार्च, 2002 तक औपचारिक बैंकिंग सेवाओं के दायरे में लाने की बात को हकीकत में दर्शाते हैं। बैंकों से जुड़े 90 फीसदी से अधिक समूह पूर्णतया महिला सदस्यों से गठित हैं। 31 मार्च, 2002 तक इन स्व सहायता समूहों को वितरित बैंक ऋण की राशि रु. 1026.34 करोड़ थी, जहाँ प्रति स्व सहायता समूह को रु. 22,240 के औसतन ऋण और प्रति परिवार को रु. 1316 की राशि प्रदान की गई थी। मॉडल–वार अनुबंधन की दृष्टि से, जहाँ मॉडल–I, बिना किसी गैर सरकारी संगठन के हस्तक्षेप या स्व सहायता समूहों की कार्यप्रणाली को बिना सुगम बनाये सीधे तौर पर समूहों पर केंद्रित है और कुल अनुबंधन (linkage) का 16% भाग, इस प्रकार के मॉडल से गठित है, मॉडल II जो गैर सरकारी संगठनों और अन्य औपचारिक एजेंसियों की सहायता से

स्व सहायता समूहों से कड़ी स्थापित करता है, कुल अनुबंधन का 75% भाग इससे गठित है और मॉडल III जो सहायताकर्ता और वित्तयन एजेंसी के रूप में गैर सरकारी संगठन से स्व सहायता समूहों को जोड़ता है, कुल अनुबंधन के 9% भाग को दर्शाता है। जहाँ सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 488 जिलों को इस कार्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है, वहीं 44 वाणिज्यिक बैंक (निजी क्षेत्र के 17 समेत) 444 बैंक, 191 आरआरबी और 2155 गैर सरकारी संगठनों के साथ–साथ 209 सहकारी बैंक अब एसएचजी बैंक अनुबंधन कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं।

जहाँ एसएचजी बैंक अनुबंधन कार्यक्रम भारत में निश्चित तौर पर प्रबल सूक्ष्म वित्त वितरण मॉडल के रूप में उभरा है, वहीं कुछ अन्य मॉडल भी महत्वपूर्ण सूक्ष्म वित्त प्रबंधन चैनल के रूप में विकसित हुए हैं।

इनमें से कुछ महत्वपूर्ण मॉडल हैं :

क) मध्यवर्ती मॉडल – बचत एवं ऋण दोनों से जुड़ी गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए बैंकिंग सिद्धांतों के आधार पर संस्थापित मॉडल और जहाँ ग्राहकों को सीधे तौर पर बैंकिंग सेवाएं प्रदान की जाती हैं या फिर यह मॉडल स्व सहायता समूहों के माध्यम से ग्राहकों की आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

ख) थोक (व्होलसेल) बैंकिंग मॉडल, जहाँ भागीदारों को ऋण एवं क्षमता–निर्माण सहयोग दोनों प्रदान किए जाते हैं – इस मॉडल की खास विशेषता है कि इसके ग्राहकों में गैर सरकारी संगठन, एमएफआई और एसएचजी परिसंघ, आदि सम्मिलित हैं।

ग) व्यक्ति–विशेष बैंकिंग–आधारित मॉडल – उद्यमों को उधार देने के लिए आदर्श मॉडल के रूप में, इसके ग्राहकों में व्यक्ति–विशेष या संयुक्त देयता समूह सम्मिलित हैं; यद्यपि इस मॉडल में कार्यक्रम प्रबंधन और ग्राहक मूल्यांकन कठिन कार्य साबित हो सकते हैं।

निर्धन वर्ग और असंगठित क्षेत्र को ऋण देने के उपर्युक्त वैध मॉडलों को ध्यान में रखते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक ऐसे पद्धति आधारित परिप्रेक्ष्य की ओर कदम बढ़ा रहा है जहाँ विविध बैंकों, एमएफआई, गैर सरकारी संगठनों और स्व सहायता समूहों समेत प्रभावी नीति सहयोग प्रदान करने के लिए न सिर्फ भिन्न–भिन्न संस्थानों को सम्मिलित किया जाता है बल्कि इसलिए भी क्योंकि इन संस्थानों के अपने भिन्न–भिन्न संस्थागत लक्ष्य भी होते हैं। इसलिए देश में अधिक आकर्षक सूक्ष्म वित्त वितरण परिवेश सृजित करने के लिए आने वाले महीनों में नवीन पहल करने की शृंखला की योजना बनाई जा रही है जहाँ सूक्ष्म वित्त वितरण के संपूरक एवं प्रतिस्पर्धी मॉडलों के सह–अस्तित्व की विद्यमानता वांछनीय होगी।

ckèk i'u 1

ukV : i) प्रश्नों के उत्तर नीचे दिए गए खाली स्थान में लिखिए।

ii) अपने उत्तर की तुलना इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए।

1. सेवा सूक्ष्म ऋण कार्यक्रम मॉडल और इसकी प्रभाविता की संक्षेप में चर्चा कीजिए।

.....

.....

.....

fodkl % igy ,o enn

2. एसएचजी–बैंक अनुबंधन के मॉडलों की सूचीबद्ध कीजिए। ऐसे हरेक मॉडल में गैर सरकारी संगठनों और स्व सहायता समूह की भूमिका कैसे बदल जाती है?

.....

.....

.....

4-5 l{e _.k ifj;kstuk,a % fon'k fuo'k

भारत सरकार की 29.8.2000 को जारी अधिसूचना में ''सूक्ष्म ऋण/ग्रामीण ऋण'' को प्रत्यक्ष विदेश निवेश (एफडीआई)/ओवरसीस कार्पोरेट बॉडिज (ओसीबी)/एनआरआई निवेश के लिए विचारित अनुमत गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) की सूची में सम्मिलित किया गया है ताकि सूक्ष्म ऋण परियोजनाओं में विदेश सहभागिता को प्रोत्साहित किया जा सके। अधिसूचना, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में लघु उत्पादकों और लघु सूक्ष्म उद्यमों को वित्त प्रदान करने के लिए सूक्ष्म स्तर पर ऋण सुविधा को समाविष्ट करती हैं।

4-6 Hkkjr esa l{e_.k izcèkdksa dk idkj

भारत में सूक्ष्मऋण प्रबंधकों के भिन्न–भिन्न प्रकारों को तालिका 4.1 में वर्गीकृत किया गया है :

प्रबंधक–श्रेणी	इन गतिविधियों को नियंत्रित करने वाला कानूनी ढाँचा
क) सार्वजनिक क्षेत्र बैंक निजी क्षेत्र बैंक स्थानीय क्षेत्र बैंक	i) आरबीआई अधिनियम 1934/ ii) बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 iii) एसबीआई अधिनियम iv) एसबीआई सहायिका अधिनियम v) उपक्रम अधिनियम 1970 और 1980 अधिग्रहण एवं हस्तांतरण
ख) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	i) आरआरबी अधिनियम 1976 ii) आरबीआई अधिनियम 1934 iii) बीआर अधिनियम 1949
ग) सहकारी बैंक	i) सहकारी समिति अधिनियम ii) बीआर अधिनियम 1949 (जैसा कि सहकारी समितियों पर लागू) iii) आरबीआई अधिनियम 1934 (अनुसूचित बैंकों हेतु)
घ) सहकारी समितिया	i) राज्य विधान जैसे पारस्परिक सहायता प्राप्त सहकारी समितियाँ
च) पंजीकृत एनबीएफसी	i) आरबीआई अधिनियम 1934 ii) अधिनियम 1956

ज) अपंजीकृत एनबीएफसी	i) आरबीआई संशोधन अधिनियम 1997 के लागू होने से पहले जिसके पंजीकरण प्रमाणपत्र के आवेदन पत्र को बैंक ने अभी तक रद्द नहीं किया अर्थात् इस संबंध में एफआईव्यवसाय पर एनबीएफसी निर्देश ii) कंपनी अधिनियम की धारा 25
झ) सोसाइटी, ट्रस्ट आदि जैसे अन्य प्रबंधक	i) समिति पंजीकरण, अधिनियम 60 ii) इंडियन ट्रस्ट एक्ट iii) आरबीआई अधिनियम 34 का अध्याय IIIसी iv) राज्य ऋणदाता अधिनियम

अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म ऋण तभी सफल है जब निर्धनों की सभी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति भलीभांति हो। सूक्ष्म वित्त को अब निर्धनता उन्मूलन के महत्वपूर्ण साधन के रूप में संस्थापित किया गया है। अनौपचारिक क्षेत्र में व्याप्त निर्धनता को किसी एकल अंतःक्षेप के जरिए मिटाया नहीं जा सकता। वित्तीय सेवाओं तक पहुँच एक ऐसा मूलभूत आधार है जिस पर अन्य बहुत से अन्य अनिवार्य अंतःक्षेप निर्भर करते हैं। इसके अलावा, स्वास्थ्य देखभाल, पोषणिक परामर्श और शिक्षा में सुधारों को तभी बरकरार रखा जा सकता है जब परिवारों की आमदनी में बढ़ोतरी हो और वित्तीय संसाधनों पर इनकी नियंत्रण क्षमता में भी इजाफा हो।

उच्च जोखिमग्रस्त समुदायों में सूक्ष्मवित्त संस्थानों की सक्षम कार्यनीतियों के रूप में भूमिका का जिक्र हम पहले ही कर चुके हैं। बहुत से शोध अध्ययनों ने दर्शाया है कि सूक्ष्म वित्त विशुद्ध आर्थिक प्रतिफलों से परे तक अपने पंख फैला सकते हैं। विशेष रूप से इन अध्ययनों ने महिला सहभागियों में स्वायत्तता और संकट से उबरने में पहले से अधिक सशक्त होने की बात को दर्शाया है, जहाँ नव अर्जित आर्थिक एवं व्यावसायिक कौशलों से महिलाओं के आत्मसम्मान में बढ़ोतरी हुई है और अब वे विस्तृत सामाजिक नेटवर्क स्थापित कर निर्णयों पर अपना पूरा नियंत्रण स्थापित कर सकती हैं (सन्नी, 2003)। अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करने से लागत सक्षमता को बेहतर बनाया जा सकता है और इससे निर्धनता को अधिक बेहतर तरीके से दूर किया जा सकता है। घर–गृहस्थी के जरूरी निर्णयों और पैसे पर नियंत्रण स्थापित करने वाली महिलाओं की जनन स्वास्थ्य संबंधी निर्णय लेने में भी अधिक सुदृढ़ छवि होती है और जिसे ग्रामीण बैंक योजना के हाल ही के मूल्यांकन ने दर्शाया है।

अनौपचारिक क्षेत्र की ऋण संबंधी आवश्यकताओं को अनौपचारिक अर्थव्यवस्था संबंधी परिवारों के सम्मुख आने वाली खास दिक्कतों को ध्यान में रखकर पूरा किया जाना चाहिए। ऋण–संबद्ध बीमा सेवाएं प्रदान करने वाला महत्वपूर्ण संस्थान सूक्ष्म वित्त संस्थान है क्योंकि यह संस्थान ऋण की रकम, ब्याज दरें और संविदा संबंधी शर्तें लागू करने की बातों का निर्धारण करने के लिए स्थानीय, सदस्य आधारित सूझबूझ का उपयोग करता है। सूक्ष्म वित्त संस्थान आघातों से जूझने की कार्यनीतियों को लागू करने के लिए ऋण एवं बीमा सेवाओं की प्रस्तुति कर सकता है। रोजी–रोटी बनाये रखने की बात को सुरक्षित करने में विकास नीति की सबसे बड़ी चुनौती अनिवार्य सामाजिक एवं आर्थिक अवसंरचना सृजित एवं प्रदान करने में निहित है। अनौपचारिक शहरी अर्थव्यवस्था में परिवारों को सशक्त करने में ऐसी चुनौती से जूझने की संभावना है।

fodkl % igy ,oa enn

सार्वजनिक संसाधनों और पूंजी बाज़ारों दोनों के संसाधन आबंटन के अधिक विस्तृत स्तरों को ध्यान में रखते हुए अनौपचारिक कामगारों के लिए रोजी–रोटी कमाने से जुड़ी वित्तीय आवश्यकता को पूरा करने के लिए नये प्रतिमान पर ध्यान केंद्रित करना जरूरी है। रोटी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मानव विकास संबद्ध मदों पर परिवारों की खर्च करने की सफलता परिवारों के आय स्तर एवं आय वितरण के व्यवहार पर निर्भर करती है। विश्व के 100 मिलियन निर्धनतम परिवारों खासतौर पर इन परिवारों की महिलाओं की स्व रोजगार संबंधी ऋण आवश्यकताओं तक पहुँच बनाने के लिए वैश्विक आंदोलन शुरू करने के नज़रिये से सूक्ष्म ऋण आधारित शिखर वार्ता का आयोजन किया गया ताकि सूक्ष्म ऋण और आर्थिक संवृद्धि के ताने–बाने की जांच करना संभव हो। सूक्ष्म ऋण अनिवार्य है लेकिन यह सूक्ष्म उद्यमों के महत्व को बढ़ाने की अनिवार्य शर्त नहीं है। इसके लिए अन्य कुछ विचारणीय बिंदुओं पर भी ध्यान केंद्रित करना पड़ता है जैसे कि आजीविका अर्जन संबंधी कार्यनीतियों की पहचान करना। बीमा, निर्धनों के लिए अन्य महत्वपूर्ण वित्तीय सेवा है। निर्धन, जोखिम बीमा सेवा के जरिए स्वयं को सुरक्षित करना चाहते हैं। निर्धनता उन्मूलन की कार्यनीति के रूप में सूक्ष्म ऋण के अधिकतर प्रतिपादक इस अवधारणा को पूर्णतया उजागर करते हैं कि निर्धन स्व रोजगार की प्राप्ति करना चाहते हैं क्योंकि अधिकतर निर्धन खेतों या खेतों से बाहर मजदूरी कर पेट भरना चाहते हैं। भारत ने पिछले दस वर्षों से सूक्ष्म ऋण में भारी वृद्धि को प्रत्यक्ष रूप से देखा है। एसएचजी बैंक अनुबंधन मॉडल अब संभवतया विश्व का ऐसा सबसे बड़ा सूक्ष्म ऋण कार्यक्रम है जो कि 24 मिलियन निर्धन महिलाओं तक फैला हुआ है।

उच्च जोखिमग्रस्त समुदायों में 'सक्षम कार्यनीतियों' के रूप में सूक्ष्म वित्त संस्थानों की भूमिका निभाने की योग्यता को हम अच्छे से व्यक्त कर चुके हैं। एशिया, अफ्रीका और लेटिन अमेरिका के 24 देशों में 40 कार्यक्रमों के सूक्ष्म वित्त अनुभव ने सूक्ष्म वित्त संस्थानों की विशुद्ध आर्थिक प्रतिफलों से परे, व्यक्ति विशेष और समुदाय स्तरों पर लाभ प्राप्त करने की योग्यता को दर्शाया है। बहुत से अध्ययनों ने महिला सहभागियों में स्वायत्तता और संकट से उबरने में पहले से अधिक सशक्त होने की बात को दर्शाया है, जहाँ नव अर्जित आर्थिक एवं व्यावसायिक कौशलों से महिलाओं के आत्म सम्मान में बढ़ोतरी हुई है और अब वे विस्तृत सामाजिक नेटवर्क स्थापित कर निर्णयों पर अपना पूरा नियंत्रण स्थापित कर सकती हैं।

4-7 Lo lgk;rk leg ¼,l,p th½

स्व सहायता समूह (एसएचजी) एकसमान सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमियों वाले पंजीकृत या अपंजीकृत सूक्ष्म उद्यमियों का ऐसा समूह है जो पारस्परिक मदद के आधार पर अपनी आपातकालीन जरूरतों को पूरा करने और अपनी मर्जी से सामान्य निधि में योगदान देने के लिए नियमित रूप से बचत करने के उद्देश्य से स्वेच्छापूर्वक एक साथ मिलकर काम करते हैं। ऋण के उचित अंतिम उपयोग और ऋणों की समयबद्ध चुकौती सुनिश्चित करने के लिए समूह सदस्य मिलजुल कर अपनी समझबूझ का इस्तेमाल करते हैं और समयबद्ध चुकौती के लिए सदस्यों पर दबाव डालते हैं। दरअसल, समसमूह दबाव को जमानत के तौर पर कुछ कीमती चीज या जमीन आदि रखने के असरदार विकल्प के रूप में स्वीकारा गया है। साथ ही, स्व सहायता समूहों के जरिए ऋण देने से उधार देने और लेने वालों दोनों के लिए लेन–देन संबंधी लागत में कटौती हो जाती है। जहॉ उधार देने वालों को ढेर सारे व्यक्ति–विशेष संबंधी छोटे–छोटे खाते खोलने की बजाए सिर्फ एक एसएचजी खाते की ही संभाल करनी पड़ती है, वहीं स्व सहायता समूह के भाग के रूप में उधार लेने वाले भी (बैंक की शाखा और अन्य जगहों तक)

आने–जाने और जरूरी कागज़ात और अन्य औपचारिकताओं को पूरा करने और ऋण के लिए प्रचार करने आदि पर होने वाले खर्च और समय की बर्बादी से बचे रहते हैं।

जहाँ वैश्वीकरण पहले से रोज़गार के घटते अवसरों से जुड़ी चुनौती को स्पष्ट करता है, वहीं विश्व भर में निर्धनों के लिए कामकाज के एकसमान अवसर सृजित करना, हमारी पीढ़ी के सम्मुख आने वाली सबसे बड़ी नैतिक चुनौती है। स्व सहायता समूह, बुनियादी तौर पर गैर सरकारी संगठनों और व्यक्ति–विशेष समूहों का मिला–जुला रूप है जो कि बेरोजगारी, चिकित्सीय मुद्‌दों, जलसंभर प्रबंधन और रोजी रोटी कमाने के अवसर सृजित करने जैसी समस्याओं से जूझने के लिए मिलजुल कर काम करते हैं। इस संदर्भ में ऐसी एसएचजी गतिविधियों का विश्लेषण करना उपयुक्त होगा जिन्हें सशक्तीकरण के जरिए चिरस्थायी वृद्धि प्राप्त करने में सूक्ष्मऋण की सहायता से सुगम बनाया जाता है और जिनसे आगे, भारत के विविध राज्यों में रोजगार के अवसर बनते हैं।

4.7.1 भारत में रोजगार स्थिति

रोजगार जनन में रोजगार अवसरों का अभाव और अवरोध, देश के भौतिक और आर्थिक संसाधनों पर भयंकर दबाव डालते हैं। बेरोजगारों की निरंतर बढ़ती संख्या की मौजूदगी, किसी भी अर्थव्यवस्था में मानव संसाधनों की घोर बर्बादी को दर्शाती है।

बेरोजगारों की बढ़ती तादाद रोजगार सृजन के नजरिए से संसाधनों की दिशा बदलने के लिए सरकारों को बाध्य करती है। राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति वर्षों से विशेष रूप से 1990 के दौर के अंतिम पाँच वर्षों से बेहद तनावग्रस्त रही है। रोजगार अवसरों के सृजन के संबंध में लोक निवेश को लेकर निश्चिततौर पर गंभीर रोक लगाई गई है और निजी निवेश के महत्व को बढ़ाने लिए विविध कार्यनीतियाँ अपनाई गई हैं और साथ ही, इससे स्व रोजगार निर्माण को बढ़ावा भी मिलेगा। इस संदर्भ में स्व सहायता समूहों के गठन के जरिए आर्थिक सशक्तीकरण को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी।

4.7.2 सशक्तीकरण में स्व सहायता समूहों की भूमिका

आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करने की दृष्टि से बेरोजगारी, चिकित्सीय मुद्‌दों और जलसंभर प्रबंधन जैसी समस्याओं से जूझने के लिए स्व सहायता समूहों का गठन किया जाता है। ऐसे समूह में गिने–चुने लोग सदस्यों के रूप में शामिल होते हैं। महिलाएं सामाजिक एकजुटता आधारित दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए विकास प्रक्रिया में कौशल और संसाधन निर्माण के लिए आर्थिक गतिविधियों को पूरा करती है। एसएचजी गतिविधियाँ, प्रति व्यक्ति उत्पादन, बचत और निवेश को बढ़ाने पर लक्षित होती है। निर्धनों की उत्पादनपरक क्षमता को बढ़ाते हुए, अर्थव्यवस्था का कुल उत्पादन बढ़ता है। यह ऐसे परिवर्तनों पर जोर देता है ताकि निर्धनों और सामाजिक रूप से सुविधावंचितों के निरंतर सुधार के लिए तकनीकों की खोज का अर्थव्यवस्था की लाभदायक वृद्धि को सृजित करना संभव हो।

गरीबी रेखा से निचली और घोर गरीबी का सामना करने वाली महिलाओं को स्व सहायता समूहों के जरिए लाभान्वित किया जाता है। एकसमान सामाजिक पृष्ठभूमि और सामान्य सोच 10 से 20 व्यक्तियों को स्व सहायता समूह बनाने के लिए प्रेरित किया जाता है ताकि ये सभी बैंक में बचत खाता खोल कर इसमें अपनी सामूहिक बचत जमा कराने के योग्य हों। सही समय पर बैंक समूह को इनकी जरूरत के आधार पर ऋण प्रदान करता है। वाणिज्यिक गतिविधियों को शुरू करने और उपभोग संबंधी उद्‌देश्यों के लिए ऋण प्रदान किए जाते हैं। इस तरह सूक्ष्म ऋण, विभिन्न प्रकार के बचत समूहों

एवं ऋण समूहों के सदस्यों तक पहुंच जाता है जहां अधिकतर महिलाएं सदस्य ही है। इससे महिलाओं के रोजी–रोटी कमाने के अवसर बेहतर बनते हैं और इससे वे दुर्व्यवहार का शिकार नहीं होती और पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम होने लगती है।

4-7-3 o'ohdj.k dk lanHkZ esa Lo lgk;rk lewg

वैश्वीकरण को विश्वव्यापी आर्थिक समस्याओं के लिए रामबाण के रूप में देखा जाता है। पिछले दस वर्षों में वैश्वीकरण की नयीं लहर ने देशों को विकास के अपने दृष्टिकोण पर पुनः बातचीत करने के लिए बाध्य किया। यह ऐसी प्रक्रिया थी जिसने राष्ट्रीय आर्थिक नियोजन के मद्देनज़र आयात संबंधी विकल्पों और कृषि में आत्म निर्भरता जैसे मुद्दों से ध्यान हटा कर तुलनात्मक लाभ और निर्यात–उन्मुख वृद्धि की कार्यनीतियों पर ध्यान केंद्रित किया। इतने में, यह महसूस किया गया कि नकारात्मक प्रभावों को महिला एवं बाल संबंधी विशेष कार्यक्रमों के सहारे, आर्थिक संतुलन की पुनः प्राप्ति करने के समय तक, नकारा जा सकता है (कार्निया, 1987)। इस विश्लेषण में उभरने वाली समस्याओं के बावजूद, प्रासंगिक चर्चाओं ने कभी भी आर्थिक पुनः व्यवस्थापन की लागतों को सीधे तौर पर गरीबी, मातृत्व और कल्याणकारी संस्थानों के निजीकरण से नहीं जोड़ा (कार्निया, 1987 : बक्कर, 1994)।

कुछ विद्वानों का मानना है कि दुनिया भर के निर्धनों के लिए वैश्वीकरण के कार्य को सुगम बनाना, हमारी पीढ़ी के सम्मुख आने वाली सबसे बड़ी नैतिक चुनौती है, (गवर्नमेंट ऑफ यू.के. 2001)। इसलिए, इस चुनौती का समाधान स्थानीय विकास और बुनियादी पहलों के विकेंद्रीकरण में देखा गया, जिसने बहिष्कृत – ग्रामीण भूमिहीनों, शहरी निर्धनों और महिलाओं की दुर्दशा पर ध्यान केंद्रित किया था और जहाँ विकास परिचर्चा से ध्यान हटा कर बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित गया गया था। अतः वित्तीय और श्रम बाज़ारों के वैश्वीकरण से उभरे शक्ति संबंधों में प्रभावशाली परिवर्तन और आधुनिकता की महत्वपूर्ण नयीं व्याख्याएं, तृतीय जगत में जेंडर संबंधों और विकास व्यवहारों में बदलाव लाने पर पुनः सोच कायम करने के लिए प्रभावी आधार प्रदान करते हैं (फेल्डमैन, 1998)।

cks/k iz'u 2

uksV : i) प्रश्नों के उत्तर नीचे दिए गए खाली स्थान में लिखिए।

ii) अपने उत्तर की तुलना इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए।

1. स्व सहायता समूह निर्धन महिलाओं की सहायता कैसे करते हैं?

....

....

....

....

2. स्व सहायता समूहों को सूक्ष्मऋण प्रदान करने वाली एजेंसियों की परिचालन–रीतियों की तुलना कीजिए।

....

....

....

....

3. एसएचजी के महत्व का विश्लेषण, वैश्वीकरण के संदर्भ में कीजिए।

.....

.....

.....

.....

4-8 Hkkjr esa Lo lgk;rk leg&fo'ys"k.k

ग्रामीण निर्धनों को जिन ऋणों की मंजूरी दी जाती है, इन ऋणों की राशि को बढ़ाने में और आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए विविध स्व रोजगार प्राप्त व्यवसायों को अपनाने में इनकी ऋण प्राप्त करने की सक्षमता को बेहतर बनाने में स्व–सहायता समूहों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है।

भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक (सिडबी) द्वारा संचालित प्रभाव निर्धारण अध्ययन इस बात पर प्रकाश डालता है कि परिवार जो भी उधार लेते हैं उस राशि का 56% भाग सूक्ष्मऋण से गठित होता है और सूक्ष्म वित्त संस्थान सामान्यतौर पर निर्धन क्षेत्रों तक ही अपना ध्यान सीमित रखते हैं। सूक्ष्म वित्त संस्थान हर जाति और हर समुदाय की जरूरतों को पूरा करते हैं, जबकि स्व सहायता समूह गतिविधियों का 36% भाग अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को लाभ पहुँचाता है। एफएफआई समूह निधियों द्वारा प्रदत्त ऋणों का प्रयोग ज्यादातर उत्पादनपरक उद्देश्यों के लिए ही किया जाता है जहाँ रोजगार जनन के अवसर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। अध्ययन से पता चलता है कि सूक्ष्म ऋण ने निवेश के संबंध में उधार लेने के व्यवहार के महत्व को महत्वपूर्ण तरीके से बढ़ाया है।

दुग्ध उत्पादन एवं पशुपालन, अल्पविकसित क्षेत्रों का सबसे पसंदीदा विकल्प प्रतीत होता है। सूक्ष्मवित्त ने गैर–कृषि रोजगार क्षेत्र में विशेष रूप से निर्धन महिलाओं के लिए उपलब्ध रोजगारों को बढ़ावा दिया है। एमएफआई निवेश रोजी रोटी कमाने के भिन्न–भिन्न धंधों, परिसंपत्ति निर्माण और बचत के जरिए ग्राहकों को जोखिम से सुरक्षित करने में सहायक सिद्ध होता है। ऋणों तक पहुँच स्थापित करने की योग्यता, उत्पादनपरक संसाधनों पर स्वामित्व और आय जनन गतिविधियों और जरूरी फैसले लेने में अहम् भूमिका की दृष्टि से एमएफ तक महिलाओं की पहुँच का इनके आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तीकरण पर महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

भारत में एसएचजी उन्मुख सूक्ष्म वित्त आांदोलनों के महत्वपूर्ण योगदानों में – बिचौलियों से जुड़े खर्च को कम करना, चूक संबंधी जोखिमों को कम करने के लिए समूह सदस्य संबंधी दबाव का लाभ उठाना, साहूकारों के चंगुल से निर्धनों को बचाने के लिए उधार देने की प्रक्रिया को प्रोत्साहनपरक बनाना, अपने काम में गैर सरकारी संगठनों को सम्मिलित करना और उनकी कार्यप्रणाली को सुगम बनाना ताकि वे क्वालिटी पोर्टफोलियो निर्माण के लिए बैंकों की सहायता कर सकें और समूहों में उपलब्ध निधियों का उचित सदुपयोग सुनिश्चित करना सम्मिलित है।

भारत के विविध राज्यों में रोजगार के अवसर पैदा करने और चिर–स्थायी वृद्धि सुनिश्चित करने में स्व सहायता समूहों के जरिए महिलाओं द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका बेहद सराहनीय है और इसका पता निम्नलिखित मामलों के अध्ययन से चलता है।

4-9 Hkkjr e fofoèk jkT;k e Lo lgk;rk leg

इस भाग में हम भारत के विविध राज्यों में एसएचजी की कार्यप्रणाली के बारे में अध्ययन करेंगे।

4-9-1 vkèk izn'k vkj dukVd

आंध्र प्रदेश में वर्ष 1979 से विविध गैर सरकारी संगठन, स्व सहायता समूहों की वृद्धि में सहायता प्रदान कर रहे हैं। राज्य 4.8 मिलियन से अधिक महिलाओं को एसएचजी गतिविधियों से जुड़ने के लिए एकजुट करने में सफल रहा है। आंध्र प्रदेश में एसएचजी सहभागी प्रशिक्षण विधियों, बही खातों का रखरखाव और वित्तीय प्रबंधन के जरिए सक्षमता निर्माण प्रदान करते हैं और बैंकों एवं अन्य संस्थानों से कड़ियाँ स्थापित करने के संबंध में कौशल विकसित करने में सहायता प्रदान करते हैं। oyxq (**VELUGU**), निर्धनों के उत्थान के लिए आँध्र प्रदेश द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है। कार्यक्रम 22 जिलों के 860 से अधिक मंडलों में चल रहा है और इसका लक्ष्य 2.9 मिलियन ग्रामीण निर्धनों तक अपनी पहुँच स्थापित करना है। निर्धनों की खाद्य संबंधी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए स्व सहायता समूहों के मार्गदर्शन में चावल क्रेडिट लाइन उपलब्ध है। एसएचजी के प्रयासों के फलस्वरूप समाज का निर्धनतम वर्ग भी अब कई गुणा अधिक बचत करने के योग्य है। स्व सहायता समूह महिला एवं बाल समुदाय की पोषणिक एवं स्वास्थ्य स्थिति को बेहतर बनाते हुए निर्धनों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। विद्यालय नामांकन, हाजिरी, जल निकासी और शौच सुविधाओं और गैस एवं बिजली तक पहुँच स्थापित करने की योग्यता जैसे पहलुओं में भी सफलता हासिल की गई है। वेलुगु–स्कूलों में पढ़ाई बीच में छोड़ देने वालों की उच्च दर और बाल श्रम जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है। वेलुगु–अक्षम, सदस्यों और इनके समुदायों की प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की समस्याओं जैसे मुद्दों को हल करने में सहायक है (विश्व बैंक, 2003)।

इसी तरह, कर्नाटक के बहुत से ग्राम, स्व सहायता समूहों के गठन के जरिए बेरोजगारी की समस्या से सफलतापूर्वक जूझ सके हैं। बिदर, कर्नाटक का दूर दराज का बेहद पिछड़ा गाँव है। कर्नाटक के 600 ग्रामों और 300 उपग्रामों की 1.4 मिलियन आबादी है जहाँ 80,000 परिवार गरीबी रेखा से नीचे बसे हैं। डिस्ट्रिक्ट को–ओपरेटिव सेंट्रल बैंक (डीसीसीबी) ने वर्ष 1996 में एसएचजी बैंकिंग की शुरूआत की। मार्च 2002 तक, बिदर जिले में कुल 6900 स्व सहायता समूहों की स्थापना की गई थी। इस जिले में लगभग 1 लाख निर्धन परिवार बसे हैं। डीसीसीबी में 5005 स्व सहायता समूहों ने बचत खाते खोले थे और इनमें से 3005 ऋण–सुविधा से जुड़े हुए हैं। जिले में बसे परिवारों का 38% भाग और निर्धन परिवारों का 72% भाग एसएचजी सदस्यों से गठित है जिनकी वित्तीय सेवाओं तक पहुँच स्थापित है। एसएचजी बैंकिंग से जो प्राथमिक सहकारी समितियाँ घाटे में चल रही थी अब उनकी पहचान मुनाफा कमाने वाले संगठन के रूप में होने लगी है। हाँलाकि कर्नाटक में स्व सहायता समहों ने ऐसी महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए रास्ता खोला है जो समुदाय विकास कार्यक्रमों और स्थानीय राजनीति में बढ़ती संख्या में भाग लेने लगी थी। इससे बाल विवाह, बाल श्रम, दहेज और महिला उत्पीड़न जैसी सामाजिक बुराइयों से बचना संभव हो पाया है (सिबेल, 2002)।

4-9-2 egkjk"V vkj xtjkr

महाराष्ट्र में इंदिरा स्व सहायता गुट (नयाहेल खुर्द गाँव) जवाहर ताल्लुक, थाणे ने महिलाओं को सशक्त करने में अग्रणी भूमिका निभाई है। राज्य के विविध एसएचजी कार्यक्रम, 5 लाख महिलाओं की सहायता करने पर लक्षित हैं ताकि इन्हें 11 वर्षों में

Lo lgk;rk leg] l{e _.k vk/kkfjr vkthfod vtu fogxokykdu

आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने में इनकी मदद की जा सके। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) की शुरूआत 10वी योजना (2002—2007) के दौरान, पंचायतों के सशक्तीकरण के जरिए एसएचजी का गठन करने में सहायता करने और निर्णयन प्रक्रिया में महिलाओं और कमजोर वर्गों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए की गई थी (भारत सरकार 2003)। स्व सहायता समूह सब्जी, साड़ी और मछली की बिक्री, सिंचाई और पशुपालन जैसी विविध वाणिज्यिक गतिविधियों में सहलग्न रहते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, थाणे जिला सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक और थाणे ग्रामीण बैंक जैसे विभिन्न बैंक, स्व सहायता समूहों को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। दास (2000) का मानना है कि महिला मंडल नामक परंपरागत स्थानीय महिला संगठनों में वह जबर्दस्त क्षमता थी कि वे अपनी संगठनात्मक शक्ति के जरिए महिलाओं के आर्थिक अवसरों को बेहतर बनाते हुए ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं की समस्याओं को हल कर सकें। अनुभव ने दर्शाया है कि 90 फीसदी से अधिक स्व सहायता समूह नियमित रूप से ऋणों की चुकौती कर रहे हैं। बचत करने से निर्धन अब बेहतर स्थिति की प्राप्ति करने लगे हैं।

गुजरात में दिसम्बर 1971 में स्व सहायता प्राप्त महिला संघ (सेवा), लाभप्रद रोजगार सृजित करने और बचत की आदत विकसित करने के उद्देश्य से अस्तित्व में आया। तत्पश्चात् वस्त्र उद्योग श्रम संघ (टीएलए) की महिला विंग ने सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, कटाई, टंकण, आशुलिपि और प्रकाशन जैसे व्यवसायों में कार्यकुशलता अर्जित करने के लिए महिलाओं की सहायता की। सेवा बैंक की स्थापना, वर्ष 1974 में निर्धन एवं स्व रोजगार प्राप्त महिलाओं के उद्देश्य के लिए की गई थी ताकि महिलाओं को सशक्त करने के लिए इन्हें उचित दर पर ऋण प्रदान किए जा सकें। सेवा ने सुरक्षा बीमा योजना और आवासीय कार्यक्रम की शुरूआत की और बचत एवं ऋण संबंधी समूहों के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी गतिविधियों का विस्तार किया। सेवा बैंक अपने सदस्यों को बुनियादी रूप से कार्यशील पूंजी, औजार और आवासीय प्रबंधन के लिए ऋण प्रदान करता है। सेवा के अथक् प्रयासों से 400 जमीनी प्लाट महिलाओं के नाम पर हैं। सेवा ने सूखे क्षेत्रों में कुएँ, पोखर और हैंडपंप जैसी निजी जल संरचनाओं का निर्माण करने में महिलाओं की सहायता की। सेवा ने गुजरात के 8 जिलों के लिए 200 बचत समूहों का गठन किया। परिणामस्वरूप, सदस्य साहूकारों के चंगुल से बाहर निकलने में सफल हो गए। इससे महिलाओं की तोल मोल करने की शक्ति में सुधार हुआ और इस तरह वे निजी सहकारी समितियों का गठन कर पायीं। अब महिलाएं उच्च आय की प्राप्ति और अपनी आमदनी पर नियंत्रण भी कायम कर सकती थी। अधिकतर महिलाएं अब अपने ठेले, सिलाई मशीने, करघों, बढ़ईगीरी और लोहारीगीरी के लिए अपने औजारों से संपन्न थीं, यह उपलब्धि सराहनीय है विशेष रूप से जब आईआलओ अनुमानों के मुताबिक विश्व परिसंपत्ति का 1% भाग अब महिलाओं के नाम पर है। निर्धन महिलाएं, वित्तीय संसाधनों पर अब नियंत्रण कायम कर सकती थी और अपनी रोजी रोटी कमाने के साधनों को बेहतर बनाने के कौशल भी प्राप्त कर सकती थी। आजीविका अर्जन की समस्या को हल कर अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाते हुए, साहूकारों के चंगुल से बाहर भी निकल पाई।

4-9-3 i okUkj

पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) को भी देश के अन्य भागों की तरह अपनी उत्पादन एवं उपभोग संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समय—समय पर ऋण की जरूरत पड़ती है। चूँकि ऐसी सारी जरूरते बैंकिंग प्रणाली द्वारा पूरी नहीं की जा सकती, इसलिए ऐसा करने में एसएचजी अनुबंधन कार्यक्रम काफी महत्वपूर्ण रहा है। उड़ीसा में अधिकार नामक गैर सरकारी संगठन वर्ष 1999 से अस्तित्व में आया। इसका लक्ष्य वित्तीय ज्ञान विकसित करने के लिए 150 स्व सहायता समूहों की स्थापना कर 60 ग्रामों में 2000 परिवारों को लाभान्वित करना था। पूर्वोत्तर आर्थिक रूप से सक्रिय महिला आबादी वाला क्षेत्र है। यहाँ महिलाएं खेतीबाड़ी और ग्रामीण गैर—कृषि क्षेत्र में जुटी हुई हैं और इनकी

वित्तीय जरूरतें बेहद सूक्ष्म किस्म की हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में गैर सरकारी संगठन आंदोलन अभी भी प्रारंभिक चरण में हैं और सूक्ष्म वित्त संबंधी गतिविधियों को सक्षम तरीके से लागू करने के लिए गैर सरकारी संगठनों में निधियों का अभाव है।

हाँलाकि, एसएचजी बैंक अनुबंधन मॉडल ने 1.4 मिलियन से अधिक समूहों को लाभान्वित किया है और मार्च 2005 के अंत बैंकिंग प्रणाली के जरिए इस मॉडल के अंतर्गत 6300 करोड़ रु. का संचयी ऋण प्रवाह सम्मिलित था।

4-10 Lo Igk;rk leg ,o efgyk,

जनवरी 2000 में आयोग के पुनर्गठन के बाद से आयोग ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने पर लक्षित बहुत सी परियोजनाओं की शुरूआत की। ऐसी एक बड़ी पहल वर्ष 2000–2001 में दिल्ली महिला आयोग के गठन की थी। आयोग ने प्रायोगिक परियोजना की शुरूआत अपनी एक ऐसी सहभागी गैर सरकारी संगठन के सहयोग में की जो महिलाओं के प्रति अपराधों को रोकने में मददगार थी। आयोग ने *स्व सहायता समूहों के गठन के लिए दिल्ली के विभिन्न भागों में कार्यरत् विविध गैर सरकारी संगठनों के सहयोग में कदम आगे बढ़ाया। स्व सहायता समूह, समुदाय महिलाओं द्वारा गठित ऐसा समूह है जिसके आमतौर पर 15 से 20 सदस्य होते हैं। ऐसे समूह में महिलाएं आपातकालिक स्थितियों, आपदाओं और सामाजिक कारणों से निपटने के लिए एक–साथ काम करते हुए, एक–दूसरे को आर्थिक सहयोग प्रदान करती हैं और निम्नलिखित उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए सामाजिक एवं आर्थिक अंत:क्रिया करती हैं :*

- महिलाओं को यह महसूस कराना कि वे ऐसे लक्ष्य क्षेत्र को अपनाएं जहाँ स्व सहायता समूह का होना जरूरी है और जिसका इनकी सशक्तीकरण प्रक्रिया में अपना खासा महत्व हो;
- महिलाओं में समूह–सदाचार की भावना सृजित करना;
- महिलाओं की सक्षमताओं को बेहतर बनाना;
- महिलाओं को मिलजुल कर असरदार तरीके से निर्णय लेने के योग्य बनाना;
- महिलाओं में बचत करने की आदत विकसित कर इनके निजी पूंजी संसाधन आधार को बेहतर बनाना; और
- महिलाओं को सामाजिक जिम्मेदारियों विशेष रूप से महिला विकास से जुड़ी जिम्मेदारियाँ उठाने के योग्य बनाना।

एसएचजी कार्यक्रम ने लगभग एक वर्ष की लघु अवधि में ऐसे विशाल आयामों पर ध्यान केंद्रित किया है जो इस प्रकार हैं :

समूहों की कुल संख्या	716
सदस्यों की संख्या (लगभग)	16000
	(रु. में)
कुल बचत	40,63,926.00
प्रदत्त ऋण	26,48,375.00
कुल प्राप्ति	10,01,844.00
प्राप्त ब्याज	82,848.00
चूक	11
बैंक खाते (खोले गए)	282

स्रोत : www.delhigovt.nic.in.htm

4-10-1 uhfr fufgrkFk

अनुमानित नीति निहितार्थ हैं :

- एसएचजी गठन को बढ़ावा देना और रोजगार के अवसरों के गठन के लिए सूक्ष्म ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- आर्थिक गतिविधियों में महिला सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए समेकित एवं संतुलित विकास उन्मुख नीति अपनाना। यह प्रशिक्षण, विस्तार और विविध कार्यक्रमों के लाभ इन तक पहुँचे।
- कृषि में महिला कामगारों को लाभान्वित करने के लिए मृदा संरक्षण, सामाजिक वानिकी, डेरी विकास, ओर कृषि, बागबानी और लघु पशु पालन, कुक्कट एवं मछली पालन समेत पशुपालन आदि से संबद्ध अन्य व्यवसायों में महिलाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तार करना।
- निरक्षरता उन्मूलन, जेंडर–संवेदनशील शैक्षिक पद्धति की सृजना और बालिका नामांकन दर में बढोतरी और विरत दरों में गिरावट कर शिक्षा तक महिलाओं और बालिकाओं की एक समान पहुँच सुनिश्चित करना।
- एसएचजी–बैंक अनुबंधन मॉडल के लिए ऐसे गैर सरकारी संगठनों की मौजूदगी जरूरी है जो बैंकों के सहयोग में काम करने के योग्य हों। कुछ खास राज्यों में गैर सरकारी संगठनों की गैर मौजूदगी का कार्यक्रम के विस्तार में अवरोध साबित होना।

4-10-2 Hkkjr e ,l,pth vknkyu dh of) lcekh dkjd

1980 और 1990 के दशक में स्व सहायता समूह नामक देसी मॉडल उभरा और समय के साथ इसने भारत सरकार, भारतीय सेंट्रल बैंक, नाबार्ड, बैंकिंग क्षेत्र, राज्य सरकारों और गैर सरकारी संगठनों से अभूतपूर्व सहयोग की प्राप्ति की। संख्या की दृष्टि से राज्य सरकारों की सक्रिय भूमिका स्व सहायता समूहों की अत्यधिक वृद्धि के लिए मुख्य रूप से ज़िम्मेदार है। आंध्र प्रदेश सरकार ने उदाहरण के रूप में 700,000 से अधिक स्व सहायता समूहों के महत्व को बढ़ाया है। नाबार्ड की नेतृत्वपरक भूमिका के आधार पर सभी बैंकों और गैर सरकारी संगठनों ने भी इस वृद्धि में योगदान दिया है। पिछले पाँच वर्षों से भारत सरकार बजट प्रस्तुति ने हर साल एसएचजी–बैंक अनुबंधन को मोटे तौर पर उभारा है ¼**www.apmas.org**½।

4-10-3 lnL;k dk ykHk

सदस्यों को मिलने वाले कुछ लाभ हैं :

- निर्धन महिलाओं को अपने मुद्दों की चर्चा करने; और इनका निपटान करने के लिए मंच प्रदान करना;
- सदस्यों को (विशेष रूप से अपनी खाद्य जरूरतों को निरंतर पूरा करना और आपातकालिक स्थितियों से निपटने के कारण) इनकी नकदी प्रवाह में होने वाले घाटे की संभाल करने में, सदस्यों की सहायता करना जिससे मानव पूंजी/संसाधन आदि जैसी इनकी पूंजी/संसाधन की गुणवत्ता और इनके परिणामों को बेहतर बनाने में सहायता मिलती है;
- सदस्यों को अपनी खाद्य एवं स्वास्थ्य संबंधी आपातकालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए साहूकारों के चंगुल में फंसने से बचने के योग्य बनाना;

- सदस्यों को परिसंपत्ति बनाने में निवेश करने, अपने कामधंधों को विविध रूप देने और जोखिम सहने की इनकी क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए, इन्हें सशक्त करना;
- सदस्यों में नेतृत्व के गुण विकसित करना; महिलाओं यहाँ तक कि संकीर्ण समुदायों और क्षेत्रों की महिलाओं को खासतौर पर सरकारी अधिकारियों (पुरुषों समेत) सभी बाहरी व्यक्तियों से विचारों का आदान–प्रदान करने के योग्य बनाना; और
- बैंकों और दरकिनार नागरिकों विशेष रूप से महिलाओं के बीच कड़ी स्थापित करना **(www.apmas.org)**

4-10-4 nkrkvk vkj ljdkjk dk ykHk

स्व सहायता समूह–दाताओं और सरकारों को इस योग्य बना रहे हैं कि वे निर्धनता उन्मूलन और महिला सशक्तीकरण के अपने विस्तृत लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकें। ये दाताओं, सरकारी एजेंसियों और सिविल समाज संगठनों द्वारा आयोजित अनेकों कार्यक्रमों को प्रभवी तरीके से लागू कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर आंध्र प्रदेश में एसएचजी परिसंघों के विस्तृत नेटवर्क ने पेंशन वितरण कार्यकम को लागू किया है; स्कूल में मिड–डे मील देने के व्यवहार की संभाल कर रहे हैं और स्वास्थ्य, कानूनी व्यवहार, एचआईवी/एड्स, बाल श्रम आदि से संबद्ध मुद्दों पर जागरूकता कायम करने पर काम कर रहे हैं।

सरकारें, एसएचजी परिसंघों को सरकारी कार्यक्रमों के सेवा वितरण के वैकल्पिक चैनल के रूप में देखती हैं। यहाँ तक कि यदि स्व सहायता समूह एकल तौर पर बेहद थोड़ी ''प्लस'' सेवाएं ही प्रदान, करते हो, लेकिन यदि एसएचजी परिसंघ ऐसी सेवाएं देने के योग्य हों। कुछ अग्रणी मॉडलों में, संस्थान का हरेक स्तर किसी खास गतिविधि पर केंद्रित रहता है।

4-10-5 ljdkj vkj fu/kh icU/kdk dh Hkfedk

हमारे देश में स्व सहायता समूह आंदोलन को सुदृढ़ करने के लिए सरकार और दाताओं को सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए और क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना होगा। इस संबंध में उठाए जाने वाले कुछ मुख्य उपाय हैं :

dnfcn fodflr djuk % सरकारों का काम एकल लक्ष्य उन्मुख होने की बजाय स्व सहायता समूहों के एजेंडे को सुगम एवं विस्तृत बनाने वाला होना चाहिए। विश्वसनीय गैर सरकारी संगठनों को प्राथमिक और द्वितीयक सहभागी संस्थानों की क्षमता के निर्माण के लिए सरकार और निधि प्रबंधकों द्वारा निधियाँ प्रदान की जा सकती है।

ifjl?kk d dkedkt dk lqxe cukuk % शोध, प्रायोगिक कार्यों और पक्ष समर्थन के लिए निधियों का आबंटन किया जाना चाहिए। स्व सहायता समूहों को परिसंघों के रूप में संगठित करने के काम को अनिवार्य सरकारी निवेश के रूप में ही देखा जाना चाहिए और इन एसएचजी परिसंघों को आगे औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों किस्मों के संस्थानों के इश्टतम लाभों से संपन्न बनाकर उपयुक्त तरीके से सम्मिलित किया जाना चाहिए।

{kerk fuekZ.k % एसएचजी आंदोलन को वेग देने वाले विकेंद्रीकृत क्षमता निर्माण और सहयोग सेवाओं की आवश्यकता है। हरेक 5–10 स्व सहायता समूहों के लिए आंदोलन

में से ही किसी सशक्त समझदार व्यक्ति की मौजूदगी जरूरी है। परिसंघ स्टॉफ में प्रशिक्षक बनने के लिए प्रशिक्षित स्व सहायता समूह सदस्य, लेखापरीक्षकों, प्रेरकों और स्व सहायता समूहों के एजेंडे को सहयोग देने वाले परा–पेशेवरों का शामिल होना जरूरी है।

निर्धनता से जूझने और जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए समुदायों को इस योग्य बनाने का असरदार तरीका सुविधावंचितों को खासतौर पर स्व सहायता समूहों में सामाजिक रूप से एकजुट करना है। स्व सहायता समहों की संकल्पना समुदाय सहभागिता के विचार पर टिकी हुई है। चिरस्थायी समुदाय विकास के लिए समूचे समुदाय की सक्रिय सहभागिता जरूरी होती है। इससे सुनिश्चित होता है कि विकास के फायदे एकसमान तरीके से वितरित हुए हैं। स्व सहायता समूहों का केंद्र बिंदु सुविधावंचितों विशेष रूप से महिलाओं की क्षमता विकसित करना और इन्हें संगठित करना है ताकि ये अपने जीवन को प्रभावित करने वाले सामाजिक–राजनीतिक और सामाजिक–आर्थिक मुद्दों से निपट सकें।

स्व सहायता समूहों के जरिए, महिलाओं को बचत और ऋण के लिए लघु समूहों गठित करने के उद्देश्य से संगठित किया गया है ताकि हरेक महिला के आर्थिक जीवन को बेहतर बनाना संभव हो। अपनी रोजाना की जरूरतों को पूरा करने के लिए परस्पर ऋण लेने–देने से इनका आत्मविश्वास बढ़ता है। और अधिक धन जनित करने के उद्देश्य से लघु उद्यम शुरू करने की इनकी उम्मीद, सूक्ष्म पूंजी सहायता से बढ़ जाती है। पानी की किल्लत और गाँव के लिए पेय जल योजना की मिलजुल कर प्राप्ति करने के लिए प्रधान से समझौते की बातचीत करने जैसे मुद्दों से निपटने में स्व सहायता समूहों की भूमिका अहम रही है। महिला सामूहिक शक्ति ने जहाँ तक राशन की कमी या आंगनबाड़ी की कार्यप्रणाली या फिर बालवाड़ी संबंधी गतिविधियों का सरोकार हों अर्थात् ऐसे सभी मुद्दों के मद्देनज़र जन वितरण प्रणाली को बेहतर बनाया है। प्रधान से स्कूली बच्चों के लिए छात्रवृत्ति का दावा करना या संबंधित लाभार्थियों के लिए वृद्धावस्था/विधवा पेंशन योजना का लाभ उठाना ऐसी कुछ गतिविधियाँ है जिन्हें स्व सहायता समूहों ने अपने बलबूते पर लागू कराया है। महिलाओं ने अपने स्व सहायता समूहों के जरिए तीनों क्षेत्रों में मद्यपान निषेध आंदोलन को कड़ाई से चलाया है। स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जैसे क्षेत्र में प्रशिक्षण की प्राप्ति और साफ–सफाई आंदोलन एवं प्राथमिक सुरक्षा जैसी मध्यवर्ती सेवा में सुधार से अधिक साफ–सुथरे ग्रामों की प्राप्ति, स्व सहायता समूह की महिलाओं के अथक प्रयासों के परिणाम हैं।

स्व सहायता समूहों का प्राथमिक केंद्रबिंदु महिलाओं को संवेगात्मक एवं व्यवसायिक सहयोग प्रदान करना है। समूह, सूचना के आदान–प्रदान की प्रक्रिया को भी सुगम बनाते हैं। ऐसे समूह सहभागितापरक प्रक्रमों का प्रयोग कर जन को अवसर प्रदान करते हैं ताकि वे आपसी समझबूझ, सामान्य अनुभवों और समस्याओं को बांट सके। अपनी सहभागिता के जरिए सदस्य सूचना एवं ज्ञान की प्राप्ति कर न सिर्फ स्वयं को बल्कि दूसरों को भी लाभान्वित करते हैं। स्व सहायता समूह जीर्ण स्वास्थ्य समस्याओं और शारीरिक एवं मानसिक अक्षमताओं से ग्रस्त व्यक्तियों की मदद करने में खासतौर पर कारगर सिद्ध हुए हैं।

मृत्यु और तलाक जैसी मानसिक आघात देने वाली घटनाएं भी समूहों के लिए आधार हैं। स्व सहायता समूह स्वैच्छिक समूह हैं और इनकी अगुआई आमतौर पर इनके सदस्य ही करते हैं। आमतौर पर समूह नियमित आधार पर आपस में मिलते–जुलते हैं और नये सदस्यों के लिए समूह में प्रवेश निःशुल्क है। परंपरागत स्व सहायता समूहों की सभाएं ऐसी होती हैं जिनमें सभी की मौजूदगी अनिवार्य होती है लेकिन हाल ही में उभरे

इंटरनेट स्व सहायता समूह काफी लोकप्रिय हो गए हैं। स्व सहायता समूह सामान्य समस्या या स्थिति से ग्रस्त व्यक्तियों द्वारा गठित ऐसा गैर पेशेवर संगठन है जिसका उद्देश्य संसाधनों को जुटाना, सूचना एकत्र करना, और परस्पर सहयोग, सेवाएं या देखभाल प्रदान करना है।

ckèk i!'u 3

ukV : i) प्रश्नों के उत्तर नीचे दिए गए खाली स्थान में लिखिए।

ii) अपने उत्तर की तुलना इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए।

1. भारत के किन्हीं दो राज्यों के स्व सहायता समूहों की कार्यप्रणाली की तुलना कीजिए।

....

....

....

....

2. भारत में स्व सहायता समूहों की वृद्धि में योगदान देने वाले कारकों की जांच कीजिए।

....

....

....

....

4-11 lkjka'k

भारत में सूक्ष्मवित्त का मुख्य स्वरूप 10–20 सदस्यों वाले लघु समूहों की महिलाओं पर आधारित है। ये समूह अपने सदस्यों से बचत एकत्र कर, इन्हें ऋण प्रदान करते हैं। हांलाकि बहुत से देशों में मौजूद संग्रहणकारी बचत एवं ऋण संघों (एएससीए) की तुलना में ये समूह बैंकों से भी ऋण की प्राप्ति करते हैं और आगे, अपने सदस्यों को ऐसा ऋण अपने समूह की तरफ से प्रदान करते हैं। वर्ष 2003 तक 700,000 से अधिक समूहों ने बैंकों से 20 बिलियन (425 मिलियन अमेरिकी डालर) की प्राप्ति ऋण के रूप में की थी जिससे 10 मिलियन से अधिक लोगों को फायदा पहुँचा था। इन ऋणों से संबंधित अपराधों की वारदातें 5% से भी कम थी। ऐसी विचारणीय उपलब्धियों के बावजूद, स्व सहायता समूहों के स्वायित्व पर सवाल खड़ा किया गया है क्योंकि स्व सहायता समूहों द्वारा अपेक्षित बहुत सी अनिवार्य सेवाएं निःशुल्क और इन समूहों को विकसित करने वाले संगठनों द्वारा बेहद किफायती लागत पर प्रदान की जाती हैं। कुछ चुनिंदा प्रवर्तक संगठनों ने हांलाकि ऐसी सेवाएं प्रदान करने वाले स्व सहायता समूह परिसंघों को विकसित किया है जो कि स्व सहायता समूह सदस्यों के लिए आवश्यक हैं लेकिन जिन्हें स्व सहायता समूह व्यावहारिक रूप से प्रदान नहीं कर सकते। नायर केस अध्ययन दृष्टिकोण का प्रयोग करते हुए परिसंघ बनाने के फायदों और संबंधित अड़चनों की खोजबीन करते हैं। भिन्न–भिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करने वाले तीन एसएचजी परिसंघों का अध्ययन किया गया। परिणाम दर्शाते हैं कि परिसंघ स्व सहायता

THE PEOPLE'S UNIVERSITY

समूहों को संस्थागत रूप धारण करने और वित्तीय दृष्टि से सुदृढ़ बने रहने में सहायता कर सकते हैं क्योंकि ये ऐसे पैमाने प्रदान करते हैं जो लेन–देन संबंधी लागतों को घटाते हैं और ऐसी सेवाओं के प्रावधान को सुगम बनाते हैं। लेकिन इनका स्थायित्व बहुत से कारकों से अवरुद्ध होता है – ये हैं, आंतरिक (परिसंघों से संबद्ध) और बाह्य (अन्य सहभागियों से संबद्ध)।

Lo lgk;rk leg] l{e
_.k vk/kkfjr vkthfod
vtu fogxokykdu

4-12 'kCnkoyh

xSj cSfdax foÙkh; daiuh (Non-Banking Financial Company)% एनबीएफसी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने वाले वित्तीय संस्थान हैं जो बैंक की कानूनी परिभाषा के आधार पर गठित नहीं किए जाते अर्थात् इनके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता। इन संस्थानों को आम लोगों की जमा राशि को अपने बैंक में रखने की अनुमति नहीं होती। लेकिन इन संस्थानों की सभी संक्रियाएं अभी भी बैंक विनियमों द्वारा बाध्य रहती हैं।

fons'k iR;{k fuos'k ¼,QMhvkbZ½ (Foreign Direct Investment)% एफडीआई या विदेश निवेश से आशय् संबंधित निवेशक के अलावा किसी और का अर्थव्यवस्था में परिचालित उद्यम में (10% या अधिक वोटिंग स्टॉक) संबंधी स्थायी प्रबंधन बनाये रखने के लिए निवल निवेश अंतर्वाह से है। यह भुगतान संतुलन में प्रदर्शित इक्विटी पूंजी, अर्जित आय का पुनः निवेश, अन्य दीर्घकालिक पूंजी और अल्पकालिक पूंजी का योगफल है। यह आमतौर पर संयुक्त उपक्रम, प्रौद्योगिकी और विषय–विशेषज्ञता के अंतरण और प्रबंधन में सम्मिलित निवेश है। एफडीआई दो प्रकार के हैं : अंतर्वाह (inward) विदेश प्रत्यक्ष निवेश और बहिर्वाह (out ward) विदेश प्रत्यक्ष निवेश, जिससे निवल एफडीआई (अंतर्वाह) (सकारात्मक या नकारात्मक) और ''विदेश प्रत्यक्ष निवेश स्टॉक'' की प्राप्ति होती है जो कि निर्धारित अवधि के लिए संचयी संख्या है। प्रत्यक्ष निवेश में शेयरों की खरीद से कमाया गया धन निवेश के रूप में सम्मिलित नहीं होता। एफडीआई अंतरराष्ट्रीय कारक संचलन का एक उदाहरण है।

vkojfll dkikjV ckfMt ¼vkchlh½ % (Overseas Corporate Bodies) ये भारतीय मूल के व्यक्तियों या भारत से बाहर बसे राष्ट्रीयता आधारित नागरिकों के अपने निकाय हैं और इनमें विदेशी कंपनियाँ, भागीदारी वाली फर्मे, सोसाइटियाँ और ऐसे अन्य कार्पोरेट निकाय सम्मिलित हैं जो कि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कम से कम 60% तक भारतीय राष्ट्रीयता वाले व्यक्ति–विशेषों या भारत से बाहर बसे भारतीय मूल के लोगों के हैं। यह बात विदेशी ट्रस्टों पर भी लागू हैं जिनमें कम से कम 60% लाभार्थी हिस्सा ऐसे व्यक्तियों का ही है। ऐसा स्वामित्व आधारित फायदा, नामित व्यक्ति की हैसियत से नहीं बल्कि इनके अपने नाम की वजह से इन्हें मिलना चाहिए।

4-13 ckèk i'uksa ds mÙkj

Ckkèk i'u 1

1. संगठित और असंगठित क्षेत्र के बीच के बड़े फासले ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के विविध प्रयासों को संभव बनाया है। इन दृष्टिकोणों में से पहला और सर्वाधिक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण सेवा मॉडल है। दूसरा असंगठित क्षेत्र में कार्यरत् मजदूर संघ, सहकारी समितियों और गैर सरकारी संगठनों के अनुभव हैं।

   सेवा असंगठित क्षेत्र की महिलाओं का श्रमजीवी संघ है। सेवा ने अपना बैंक विकसित किया है जहाँ महिलाएं अपनी बचत को जमा करवा सकती हैं और ऐसे बैंक से लघु ऋण की प्राप्ति कर सकती है। सेवा ने बीमा योजना की भी प्रस्तुति की है। यह योजना एक किस्म का सूक्ष्म ऋण आधारित अंतःक्षेप है ताकि इसके सदस्य बीमारी, शिशु जन्म और सूखा या बाढ़ जैसी आपदाओं से प्रभावित होने की स्थिति में ऐसी सभी कारणों के लिए सामाजिक सुरक्षा की प्राप्ति कर सकें। सेवा ने ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की 75 से अधिक सहकारी समितियों को प्रायोजित किया है।

   योजना का सर्वाधिक निश्चित फायदा था कि योजना ने अपने सदस्यों को बेहद खराब स्थितियों में ठोस आर्थिक लाभ प्रदान कर, इन्हें ऐसी स्थितियों से जूझने के योग्य बनाया। अपने जीवन में पहली बार महिलाओं को स्वास्थ्य, जीवन और दुर्घटना संबंधी फायदों के रूप में इस किस्म की सामाजिक सुरक्षा सेवा का लाभ उठाने का मौका मिला था। स्व रोज़गार प्राप्त महिलाओं के लिए स्वास्थ्य बीमा के लिए नामांकन में समुचित बढोतरी से सेवा संगठनकारी क्रियाकलापों को जबर्दस्त सहयोग की प्राप्ति हुई। बड़ी संख्या में महिलाएं, कार्य सुरक्षा के अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा प्राप्त करने के भी योग्य हैं। बीमा योजना की आरंभता वे महिलाओं को दैनिक योजना से ऊपर उड़ाते हुए भविष्य की योजना बनाने के योग्य बना दिया। बीमा कार्यक्रम का एक रोचक परिणाम यह रहा था कि स्थानीय

ignou THE PEOPLE'S UNIVERSITY

चिकित्सकों और साथ ही, नगर निगम अस्पतालों के साथ घनिष्ठ संबंध बन गए और इस तरह सेवा सदस्यों के लिए रेफरेल सेवाएं भी सुदृढ़ हो गई। वर्षों से सेवा ने सीखा है कि निर्धन महिलाएं न सिर्फ अच्छी बचतकर्ताएं ही होती हैं बल्कि अपनी मेहनत की कमाई से सेवाओं के लिए तुरंत योगदान भी करती है। अंत में यह इस बात का अनुसरण करती है कि काम और आय सुरक्षा के अलावा, सामाजिक सुरक्षा महिलाओं की अनिवार्य आवश्यकता है। जब महिलाएं, गर्भावस्था, शिशु जन्म, बीमारी अक्षमता, आर्थिक संकट या आपदाओं जैसी जैविक परिस्थितियों के कारण काम नहीं कर पाती तो सामाजिक सुरक्षा संबंधी उपायों को तुरंत लागू करना अनिवार्य हो जाता है।

2. मॉडल–वार अनुबंधन की दृष्टि से, जहाँ मॉडल–I, बिना किसी गैर सरकारी संगठन के हस्तक्षेप या स्व सहायता समूहों की कार्यप्रणाली को बिना सुगम बनाये सीधे तौर पर समूहों पर केंद्रित है और कुल अनुबंधन (linkage) का 16% भाग, इस प्रकार के मॉडल से गठित है, मॉडल II जो गैर सरकारी संगठनों और अन्य औपचारिक एजेंसियों की सहायता से स्व सहायता समूहों से कड़ी स्थापित करता है, कुल अनुबंधन का 75% भाग इससे गठित है और मॉडल III जो सहायताकर्ता और वित्तयन एजेंसी के रूप में गैर सरकारी संगठन से स्व सहायता समूहों को जोड़ता है, कुल अनुबंधन के 9% को दर्शाता है।

Ckkèk i'u 2

1. स्व सहायता समूह (एसएचजी) एकसमान सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमियों वाले पंजीकृत या अपंजीकृत सूक्ष्म उद्यमियों का ऐसा समूह है जो पारस्परिक मदद के आधार पर अपनी आपातकालीन जरूरतों को पूरा करने और अपनी मर्जी से सामान्य निधि में योगदान देने के लिए नियमित रूप से बचत करने के उद्देश्य से स्वेच्छापूर्वक एक साथ मिलकर काम करते हैं।

2. राष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र बैंक, निजी क्षेत्र बैंक एवं स्थानीय क्षेत्र बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक, अन्य अपंजीकृत एनबीएफसी पंजीकृत एनबीएफसी, सहकारी समितियाँ, सोसाइटी, ट्रस्ट आदि जैसे प्रबंधक।

3. वैश्वीकरण को विश्वव्यापी आर्थिक समस्याओं के लिए रामबाण के रूप में देखा जाता है। पिछले दस वर्षों में वैश्वीकरण की नयीं लहर ने देशों को विकास के अपने दृष्टिकोण पर पुनः बातचीत करने के लए बाध्य किया। यह ऐसी प्रक्रिया थी जिसने राष्ट्रीय आर्थिक नियोजन के मद्देनज़र आयात संबंधी विकल्पों और कृषि में आत्म निर्भरता जैसे मुद्दों से ध्यान हटा कर तुलनात्मक लाभ और निर्यात–उन्मुख वृद्धि की कार्यनीतियों पर ध्यान केंद्रित किया। इतने में, यह महसूस किया गया कि नकारात्मक प्रभावों को महिला एवं बाल संबंधी विशेष कार्यक्रमों के सहारे, आर्थिक संतुलन की पुनः प्राप्ति करनेके समय तक, नकारा जा सकता है (कार्निया, 1987)। इस विश्लेषण में उभरने वाली समस्याओं के बावजूद, चर्चाओं ने कभी भी आर्थिक पुनः व्यवस्थापन की लागतों को सीधे तौर पर गरीबी, मातृत्व और कल्याणकारी संस्थानों के निजीकरण से नहीं जोड़ा। कुछ लोगों का मानना है कि विश्वव्यापी निर्धनों के लिए वैश्वीकरण कार्य बनाना, हमारी पीढ़ी के सम्मुख आने वाली सबसे बड़ी नैतिक चुनौती है, (गवर्नमेंट ऑफ यू.के. 2001)। इसलिए, इस चुनौती का समाधान स्थानीय विकास और बुनियादी पहलों के विकेंद्रीकरण में देखा गया, जिसने बहिष्कृत – ग्रामीण भूमिहीनों, शहरी निर्धनों और महिलाओं की दुर्दशा पर ध्यान केंद्रित किया था और जहाँ विकास परिचर्चा से ध्यान हटा कर बुनियादी

आवश्यकताओं को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित गया गया था। अतः वित्तीय और श्रम बाज़ारों के वैश्वीकरण से उभरे शक्ति संबंधों में प्रभावशाली परिवर्तन और आधुनिकता की महत्वपूर्ण नयीं व्याख्याएं, तृतीय जगत में जेंडर संबंधों और विकास व्यवहारों में बदलाव लाने पर पुनः सोच कायम करने के लिए प्रभावी आधार प्रदान करते हैं।

ckèk i:'u 3

1. महाराष्ट्र और गुजरात

महाराष्ट्र में इंदिरा स्व सहायता गुट (नयाहेल खुर्द गाँव) जवाहर ताल्लुक, थाणे ने महिलाओं को सशक्त करने में अग्रणी भूमिका निभाई। राज्य के विविध एसएचजी कार्यक्रम, 5 लाख महिलाओं की सहायता करने पर लक्षित हैं ताकि इन्हें 11 वर्षों में आर्थिक दृष्टि से आत्म निर्भर बनाने में इनकी मदद की जा सके। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) की शुरूआत 10वीं योजना (2002–2007) के दौरान, पंचायतों के सशक्तीकरण के जरिए एसएचजी का गठन करने में सहायता करने और निर्णयन प्रक्रिया में महिलाओं और कमजोर वर्गों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए की गई थी (भारत सरकार 2003)। स्व सहायता समूह सब्जी, साड़ी और मछली की बिक्री, सिंचाई और पशुपालन जैसी विविध वाणिज्यिक गतिविधियों में संलग्न रहती हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, थाणे जिला सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक और थाणे ग्रामीण बैंक जैसे विभिन्न बैंक, स्व सहायता समूहों को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। दास (2000) का मानना है कि महिला मंडल नामक परंपरागत स्थानीय महिला संगठनों में वह जबर्दस्त क्षमता थी कि वे अपनी संगठनात्मक शक्ति के जरिए महिलाओं के आर्थिक अवसरों को बेहतर बनाते हुए ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं की समस्याओं को हल कर सके। अनुभव ने दर्शाया है कि 90 फीसदी से अधिक स्व सहायता समूह नियमित रूप से ऋणों की चुकौती कर रहे हैं। बचत करने से निर्धन अब बेहतर स्थिति की प्राप्ति करने लगे हैं।

गुजरात में दिसम्बर 1971 में स्व सहायता प्राप्त महिला संघ (सेवा), लाभप्रद रोजगार सृजित करने और बचत की आदत विकसित करने के उद्देश्य से अस्तित्व में आया। तत्पश्चात वस्त्र उद्योग श्रम संघ (टीएलए) की महिला विंग ने सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, कटाई, टंकण, आशुलिपि और प्रकाशन जैसे व्यवसायों में कार्यकुषलता अर्जित करने के लिए महिलाओं की सहायता की। सेवा बैंक की स्थापना, वर्ष 1974 में निर्धन एवं स्व रोजगार प्राप्त महिलाओं के उद्देश्य के लिए की गई थी ताकि महिलाओं को सशक्त करने के लिए इन्हें उचित दर पर ऋण प्रदान किए जा सके। सेवा ने सुरक्षा बीमा योजना और आवासीय कार्यक्रम की शुरूआत की और बचत एवं ऋण संबंधी समूहों के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी गतिविधियों का विस्तार किया। सेवा बैंक अपने सदस्यों को बुनियादी रूप से कार्यशील पूंजी, औजार और आवासीय प्रबंधन के लिए ऋण प्रदान करता है। सेवा के अथक प्रयासों से 400 जमीनी प्लॉट महिलाओं के नाम पर हैं। सेवा ने सूखे क्षेत्रों में कुएँ, पोखर और हैंडपंप जैसी निजी जल संरचनाओं का निर्माण करने में महिलाओं की सहायता की। सेवा ने गुजरात के 8 जिलों के लिए 200 बचत समूहों का गठन किया। परिणामस्वरूप, सदस्य साहूकारों के चंगुल से बाहर निकलने में सफल हो गए। इससे महिलाओं की तोल मोल करने की शक्ति में सुधार हुआ और इस तरह वे निजी सहकारी समितियों का गठन कर पाई। अब महिलाएं उच्च आय की प्राप्ति और अपनी आमदनी पर नियंत्रण भी कायम कर सकती थी। अधिकतर महिलाएं अब अपने ठेले, सिलाई मशीने, कच्छे, बढ़ईगीरी और लोहारीगीरी के लिए

अपने औजारों से संपन्न थीं, यह उपलब्धि सराहनीय है विशेष रूप से जब आईआलओ अनुमानों के मुताबिक विश्व परिसंपत्ति का **1%** अब महिलाओं के नाम पर हैं। निर्धन महिलाएं, वित्तीय संसाधनों पर अब नियंत्रण कायम कर सकती थी और अपनी रोजी रोटी कमाने के साधनों को बेहतर बनराने के कौशल भी प्राप्त कर सकती थी। आजीविका अर्जन की समस्या को हल कर अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाते हुए, साहूकारों के चंगुल से बाहर भी निकल पाई।

2. 1980 और 1990 के दशक में स्व सहायता समूह नामक देसी मॉडल उभरा और समय के साथ इसने भारत सरकार, भारतीय सेंट्रल बैंक, नाबार्ड, बैंकिंग क्षेत्र, राज्य सरकारों और गैर सरकारी संगठनों से अभूतपूर्व सहयोग की प्राप्ति की है। संख्या की दृष्टि से राज्य सरकारों की सक्रिय भूमिका स्व सहायता समूहों की अत्यधिक वृद्धि के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। आंध्र प्रदेश सरकार, उदाहरण के रूप में ने 700,000 से अधिक एसएचजी के महत्व को बढ़ाया है। नाबार्ड की नेतृत्वपरक भूमिका के आधार पर सभी बैंकों और गैर सरकारी संगठनों ने भी इस वृद्धि में योगदान दिया है। पिछले पाँच वर्षों से भारत सरकार बजट प्रस्तुति ने हर साल एसएचजी बैंक अनुबंधन को उजागर किया है।

4-14 dqN mi;ksxh iqLrdsa

Dolly Sunny, "Self Employment and Sustainable Development through SHGs- A Micro-Analysis of Women Empowerment in Select States of India", in Himanshu Sekhar and Prashant Kumar Panda(Eds), New Delhi: New Century Publications, 2008.

Jhabhvala, R and R.M.Subramanyam, *The Unorganised Sector: Work, Security and Social Protection*, New Delhi: Sage Publications, 2000.

Jean Dreze and Amartya Sen, E*conomic Development and Social Opportunity*, New Delhi: Oxford University Press, 1995.

WEB REFERENCES

dcw.delhigovt.nic.in.htm
www.apmas.org

www.rbi.org.in.htm

4-15 fpru ,oa vH;kl gsrq iz'u

1. स्व सहायता समूह के महत्व का विश्लेषण, आजीविका अर्जन संबंधी अवसरों के महत्व को बढ़ाने के संबंध में कीजिए।

2. भारत में एसएचजी आंदोलन की वृद्धि के कारणों की जांच कीजिए।

3. नवीनतम सूक्ष्मऋण वितरण सूचकों की आलोचनात्मक जांच कीजिए।

bdkb 5 fofu;eu <kp

5.1 प्रस्तावना

5.2 उद्देश्य

5.3 जीएटीटी, जीएटीएस और ट्रिप्स (TRIPS) : विनियमन ढाँचों के जेंडर विश्लेषण के प्रति

5.3.1 जीएटीटी, जीएटीएस और ट्रिप्स के दायरे में सम्मिलित व्यापार संबंधी मुद्दे

5.3.2 डब्ल्यूटीओ विनियमन ढाँचे का प्रभाव स्त्री–पुरुष को (समानता की दृष्टि से) प्रभावित करता है

5.4 जेंडर और व्यापार के बीच की अंतःक्रिया : कानूनी एवं सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य

5.4.1 महिलाओं के मानव (ह्यूमन) अधिकार और अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधी कानून

5.4.2 डब्ल्यूटीओ विनियमन ढाँचों के जेंडर संबंधी पूर्वाग्रहों की छानबीन में नारीवादी सैद्धांतिक श्रेणियाँ

5.4.3 निर्धनता के जेंडर आधारित प्रभावों के उन्मूलन के लिए डब्ल्यूटीओ विनियमन ढाँचों को इनके अनुकूल बनाने के उपायों को लागू करना

5.5 विनियमन ढाँचों के लक्ष्य के रूप में स्त्री–पुरुष समानता का पता लगाना

5.6 सारांश

5.7 शब्दावली

5.8 बोध प्रश्नों के उत्तर

5.9 कुछ उपयोगी पुस्तकें

5.10 चिंतन एवं अभ्यास हेतु प्रश्न

5-1 iLrkouk

1995 के बाद में अंतरराष्ट्रीय व्यापार के विनियामक ढाँचे, विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की कानूनी एवं संस्थागत संरचनाओं के मूलभूत संघटक हैं। वर्ष 1995 में डब्ल्यूटीओ के गठन के समय से नव व्यापार प्रबंधन में उरूगे (Urguguay) राउन्ड करारनामों को लागू करना सम्मिलित है। ये हैं – टैरिफ एवं व्यापार संबंधी सामान्य करारनामें (जीएटीटी), सेवाओं में व्यापार आधारित सामान्य करारनामा (जीएटीएस) और व्यापार संबद्ध बौद्धिक संपदा अधिकार (ट्रिप्स)। ये करारनामें एक तरफ विशिष्ट घरेलू आर्थिक नीतियों के संवर्धन एवं कार्यान्वयन और दूसरी तरफ राष्ट्र राज्यों के विनियमन और नियमावली निर्माण के लिए महत्वपूर्ण वाहन हैं।

नव घरेलू आर्थिक नीतियों की प्रस्तुति और राष्ट्र राज्यों की भूमिकाओं के फेरबदल के महत्वपूर्ण *जेंडर विशिष्ट* प्रभाव हैं। स्त्री–पुरुष समानता के आयामों का इन विनियामक ढाँचों के परिचालन के संबंध में प्रत्यक्ष महत्व है क्योंकि इनके द्वारा व्यापार उदारीकरण की जिस प्रक्रिया को सुगम बनाया गया है, उसका महिलाओं की उत्पादनपरक और प्रजनन संबंधी भूमिकाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

उत्पादिता और प्रजनन की दृष्टि से महिलाओं की विशिष्ट भूमिकाएं होती हैं। संसाधनों पर महिलाओं की एकसमान पहुँच नहीं होती और मानव अधिकारों की प्राप्ति भी इन्हें समान रूप से नहीं होती। इन कारणों की वजह से महिलाओं और पुरुषों को गरीबी की

यातनाएं अलग–अलग तरीके से झेलनी पड़ती हैं। व्यापार–नीतियों का लाभ और नुकसान भी इन्हें अलग–अलग तरीकों से झेलना पड़ता है। केस अध्ययनों से पता चला है कि कई बार महिलाओं का समय, इनकी मेहनत–मशकत, इनका अस्तित्व और स्वास्थ्य भी विविध देशों में व्यापार से प्राप्त प्रतिफलों को तलाशने के दौरान शोषण का शिकार हो जाता है। यद्यपि व्यापार नीतियाँ जेंडर–शून्य होने की ओर प्रवृत्त होती हैं, इसलिए महिलाओं और पुरुषों पर इनके भिन्न–भिन्न प्रभावों की जांच करना अत्यावश्यक है। इकाई, विनियामक ढाँचों से संबद्ध व्यापार का जेंडर विश्लेषण प्रदान करने पर लक्षित है ताकि अंतरराष्ट्रीय व्यापार विनियमन और स्त्री–पुरुष समानता संबंधी गंभीर मुद्दों के बीच की कड़ियों को उजागर करना संभव हो।

5-2 mn~n~';

इस इकाई के अध्ययन के बाद, आप :

- अंतरराष्ट्रीय व्यापार विनियमन संबंधी साधनों जीएटीटी, जीएटीएस और ट्रिप्स के बुनियादी निहितार्थों का वर्णन करने के योग्य बन सकेंगे;
- स्त्री–पुरुष समानता पर इन विनियामक साधनों के प्रभाव का विश्लेषण करने के योग्य बन सकेंगे;
- जेंडर और अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित कानूनों/मानदंडों की आपसी कड़ियों का पता लगाने के योग्य बन सकेंगे;
- नारीवादी सिद्धांतों और अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधी कानून के संबंध की खोजबीन कर सकेंगे; और
- ऐसी अनिवार्य दशाओं को दर्शा सकेंगे जिन पर विनियमन के जरिए और इनके मद्देनज़र महिलाओं के सामाजिक आर्थिक अधिकारों को महसूस करने के लिए ध्यान केंद्रित करना जरूरी है।

5-3 th,VhVh] th,Vh,l vkSj fVªIl ¼TRIPS½ fofu;eu <kpk dk tsMj fo'ys"k.k dk iqfr

5-3-1 th,VhVh] th,Vh,l vkSj fVªIl dk nk;js esa lfEefyr 0;kikj lcaèkh eqn~ns

जीएटीटी, जीएटीएस और ट्रिप्स समकालीन जगत में अंतरराष्ट्रीय व्यापार विनियमन के बुनियादी साधनों का गठन करते हैं। जीएटीटी पर समझौते की बातचीत संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं रोज़गार सम्मेलन के दौरान टैरिफ कम करने और सदस्य राज्यों में वस्तुओं के मुक्त व्यापार के महत्व को बढ़ाने के उद्देश्य से की गई। यद्यपि जीएटीटी मुक्त व्यापार आधारित बहुपक्षीय करारनामे को पूरा करने के लिए की गई थी, लेकिन समझौते की बातचीत के बहुत से दौरों के दौरान बहुवादी (pluralist) करारनामें ने चुनिंदा व्यापार करने की बात पर मुहर लगाई और इससे सदस्य राज्यों में विखंडन की स्थिति उत्पन्न हो गई। परिणामस्वरूप वर्ष 1947 में गठित जीएटीटी, डब्ल्यूटीओ के अस्तित्व में आने तक, वर्ष 1995 तक अस्तित्व में रहा। मूल जीएटीटी विषय (जीएटीटी 1947), जीएटीटी 1994 के संशोधन के आधार पर अभी भी, डब्ल्यूटीओ ढाँचे के तहत् प्रभाव में है।

जहाँ जीएटीटी, राष्ट्र राज्यों द्वारा सम्मत नियमों का समुच्चय था, वहीं डब्ल्यूटीओ ऐसा संस्थागत निकाय है जिसने जीएटीटी के दायरे को व्यापार योग्य वस्तुए से सेवा, पूंजी,

बौद्धिक संपदा, वस्त्र और कृषि जैसे महत्वपूर्ण नये क्षेत्रों तक *विस्तारित* कर दिया है। इस विस्तार से जीएटीएस और ट्रिप्स को व्यावहारिकता में लागू करना संभव हुआ है। जीएटीटी, बैंक, दूर संचार कंपनियाँ, टूअर ऑपरेटर, स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधक, ऊर्जा कंपनियाँ और शिक्षा प्रबंधकों सहित सेवा प्रबंधकों पर लागू है। ट्रिप्स, बौद्धिक संपदा अधिकारों को संरक्षित करने के नियमों का निर्धारण करता है (कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, उत्पाद नाम, औद्योगिक डिज़ाइन और ट्रेड सीक्रेट समेत) जब अंतरराष्ट्रीय व्यापार की बात हो। ये करारनामे बहुत से क्षेत्रों में लागू हैं जिनमें लोक सेवाएं, स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्य सुरक्षा, जैव विविधता, कृषि और परंपरागत समझबूझ आदि सम्मिलित हैं, खासतौर पर जेंडर विशिष्ट निहितार्थों वाले क्षेत्र इसके दायरे में हैं।

5-3-2 MCY;Vhvk fofu;eu <kp dk iHkko L=h&i#"k dk ¼lekurk dh nf"V l½ iHkkfor djrk g

व्यापार और जेंडर का संबंध जटिल और अनेकार्थी है। डब्ल्यूटीओ के तत्वाधान के अंतर्गत व्यापार उदारीकरण के महत्व को बढ़ाना, *तुलनात्मक लाभ* के विचार पर आधारित है जो इस बात की पुष्टि करता है कि हरेक राज्य को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि सर्वाधिक सक्षम अर्थव्यवस्था और सभी राज्यों में उत्पादन और वृद्धि के उच्चतम स्तरों तक पहुँचने की दृष्टि से वह किस काम को बेहतर तरीके से करता है। माना जाता है कि मुक्त व्यापार अनिवार्यतया आर्थिक वृद्धि देता है जिससे निर्धनता घट जाती है और सर्वांगीण राष्ट्रीय विकास का महत्व बढ़ जाता है जिससे रोज़गार और मज़दूरी आदि जैसे पहलुओं में जेंडर अंतराल कम होने लगते हैं। जहाँ यह स्वीकारा गया है कि व्यापार उदारीरण से प्राप्त आर्थिक वृद्धि, हरेक अर्थव्यवस्था में 'जीत' और 'हार' तय करती है वही सिद्धांत यह है कि हार की क्षतिपूर्ति निवल प्रतिफलों से की जा सकती है। हाँलाकि, व्यावहारिक साक्ष्य इन साधारण सैद्धांतिक अवधारणाओं को बढ़ावा नहीं देते। इसके अलावा, महिलाओं के शोषण से प्रवाहित व्यापार में तुलनात्मक लाभ देश के लिए सुविचारित आर्थिक लाभ, या सक्षमता को बिना विचारे, *स्त्री–पुरुष समानता* के लक्ष्य से मेल नहीं खाता।

मारियाना विलियम्स का मानना है कि हस्तक्षेपरहित व्यापार उदारीकरण से आगे संबद्ध राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में व्याप्त मुख्य गतिविधियों में न सिर्फ महिलाओं को *दरकिनार* ही किया जाता है बल्कि इससे महिलाओं के सामाजिक–आर्थिक अधिकारों का हनन भी होता है। जीएटटी, जीएटीएस और ट्रिप्स के कार्यान्वयन ने महिलाओं को बेहद जोखिमपूर्ण दशाओं में काम करने के लिए बाध्य कर दिया है क्योंकि इन करारनामों द्वारा समर्थित व्यापार उदारीकरण की नीतियों ने औद्योगिक क्षेत्र, वाणिज्यिक कृषि और निर्यात प्रसंस्करण अंचलों में महिला रोज़गार के अवसरों को बढ़ा दिया है और जिसका पता कम मजदूरी और अनौपचारिक रोज़गार बंदोबस्त को देख कर चलता है जिससे महिला कामगारों की सुरक्षा और हैसियत खतरे में पड़ती नज़र आती है। ये व्यापार करारनामें भोजन, दवाई, घरेलू वस्तुओं की लागत और उपलब्धता को भी प्रभावित करते हैं जिससे महिलाओं को औपचारिक श्रमबल में बलपूर्वक खींचा जाता है। महिलाओं को *दोहरे बोझ* का सामना करना पड़ता है जब महिलाओं को बिना पैसे वाले ढेर सारे मेहनत–मशकत वाले काम करने पड़ते हैं। प्रजनन संबंधी कार्यों के लिए महिलाओं के पास कम समय बचता है लेकिन साथ ही, औपचारिक सेवाएं प्रदान करने के लिए इन्हें निरंतर ढेर सारी मांगों का सामना करना पड़ता है। स्त्री–पुरुष आधारित असमानताएं विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण में ऐसी असमानताएं व्यापार उदारीकरण नीतियों द्वारा सृजित उद्यमता संबंधी अवसरों के लाभों की प्राप्ति करने में महिलाओं की योग्यताओं को अवरुद्ध करती हैं। इससे व्यापार उदारीकरण नीतियों द्वारा सृजित

आर्थिक फायदों से संबंधित *उत्पादन प्रतिक्रिया* प्रतिबंधित हो जाती है और समूची अर्थव्यवस्था की निर्यात क्षमता अवरुद्ध हो जाती है। जेंडर विश्लेषण दर्शाता है कि जेंडर–शून्य व्यापार उदारीकरण नीतियाँ सामान्य रूप से निर्धनता उन्मूलन और विशेष रूप से महिलाओं के सामाजिक–आर्थिक उत्थान में प्रत्याशित योगदान देने में कैसे असफल हो जाती है। हम जो प्रश्न पूछना चाहते हैं वह यह नहीं है कि क्या व्यापार उदारीकरण, समूह के रूप में महिलाओं के लिए अच्छा है या बुरा बल्कि हमारा प्रश्न यह है कि व्यापार उदारीरकण नीतियाँ किस प्रकार हर व्यक्ति की मानव अधिकारों की प्राप्ति करने में योगदान दे सकती हैं। इसके लिए हमें स्त्री–पुरुष समानता संबंधी गंभीर मुद्दों के कानूनी और सैद्धांतिक आयामों और अंतरराष्ट्रीय व्यापार कानून का व्यापक विश्लेषण करना होगा।

ckèk iz'u 2

ukV : i) प्रश्नों के उत्तर नीचे दिए गए खाली स्थान में लिखिए।

ii) अपने उत्तर की तुलना इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए।

1. डब्ल्यूटीओ विनियामक ढाँचों के दायरे में व्यापार मुद्दों के क्रमिक विस्तार का वर्णन कीजिए।

....

....

....

2. डब्ल्यूटीओ विनियामक ढाँचों द्वारा सुगमित व्यापार उदारीकरण का महिलाओं की स्थिति पर कैसे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है?

....

....

....

3. एसएचजी के महत्व का विश्लेषण, वैश्वीकरण के संदर्भ में कीजिए।

....

....

....

....

5-4 tsaMj vkSj O;kikj dk chp dh vUr%fØ;k] dkuwuh ,oa lS)kfUrd ifjizs{;

5-4-1 efgykvksa ds ekuo ¼áeu½ vfèkdkj vkSj vUrjjk"Vªh; O;kikj lacèkh dkuwu

'जेंडर' और 'व्यापार' के क्षेत्रों में शासी कानूनी साधनों की अंतःक्रिया दर्शाती है कि व्यापार संबंधी मानदंड, महिलाओं के मानव अधिकारों को सुरक्षित, प्रोन्नत और पूरा करने

में राज्यों की क्षमता को कम कर, महिलाओं के संबंध में मानदंडों की प्रभाविता के महत्व को कम करते तो हैं। इसे जीएटीएस और ट्रिप्स का कानूनी विश्लेषण कर, दर्शाया जा सकता है।

जीएटीएस, सामाजिक न्याय के महत्व को बढ़ाने के लिए राज्यों द्वारा संभावित रूप से प्रयुक्त उपलब्ध नीति प्रपत्रों को प्रतिबंधित कर, स्त्री–पुरुष समानता को बनाये रखने में योगदान देता है। जीएटीएस की रूपरेखा, सेवा क्षेत्र पर हावी सामाजिक–आर्थिक अधिकारों की निरंतर बढ़ती शक्ति से सहज रूप से टकराव करती है। जीएटीएस से संबंधित मानदंडों के अनुसार, कुछ ऐसे खास कर्तव्यों को पूरा करना जरूरी हो जाता है जब सदस्य राज्य अपनी अनुसूची में किसी खास सेवा क्षेत्र के संबंध में कोई खास वचनबद्धता को दर्शाता है। इनमें दो महत्वपूर्ण कर्तव्य सम्मिलित हैं। पहला है – *बाज़ार तक पहुँच* स्थापित करना। राज्य को संबंधित सेवा क्षेत्र में परिचालित विदेशी कंपनियों के लिए घरेलू बाज़ार के दरवाजे खोलने पड़ते हैं। दूसरा है – *राष्ट्रीय व्यवहार* प्रदान करना। राज्य को संबंधित सेवा क्षेत्र में परिचालित देसी और विदेशी दोनों कंपनियों को एक जैसा व्यवहार प्रदान करना पड़ता है। यद्यपि राज्य बाद में अपनी वचनबद्धता के संबंध में कानूनी रूप से कोई खास शर्तों की प्रस्तुति कर सकता है लेकिन कानूनी या विनियमों की दृष्टि से नयीं शर्तों की प्रस्तुति, ट्रेडिंग कंपनियों के लिए *क्षतिपूर्ति* पर टिकी होनी चाहिए क्योंकि ऐसी शर्तों से कंपनियाँ प्रभावित हो सकती हैं। संशोधन की दृष्टि से सहज दंड वाली वचनबद्धताओं से जब जीएटीएस दृष्टिकोण का टकराव हो जाता है तो राज्यों का नीति संबंधी आयाम संकीर्ण होने लगता है, जिससे सामाजिक–आर्थिक अधिकारों को पूरा करने में झटका लगता है।

यद्यपि अंतरराष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार आधारित प्रसंविदा राज्यों को इस दृष्टि से मान्यता प्राप्त अधिकारों का धीरे–धीरे लाभ उठाने की दिशा में उचित कदम उठाने के लिए बाध्य करती हैं, लेकिन इन अधिकारों को देने के प्रयास करने के संबंध में राज्यों के लिए बाज़ार पहुँच पर परिमाणत्मक प्रतिबंध लगाना जरूरी हो जाता है जो कि जीएटीटी मानदंडों के विपरीत है। घरेलू बाज़ारों तक पहुँच को सीमित कर राज्य बुनियादी आवश्यकताओं का प्रत्यक्ष प्रावधान बनाने और (खाद्य पदार्थ, पानी, दवाई, ऊर्जा और बिजली जैसी) अनिवार्य सेवाओं की महगी निजी आपूर्ति को सार्वजनिक प्रावधान से बदलने के लिए संसाधनों की संशोधित उपलब्धता का उपयोग कर सकते हैं। हांलाकि, जीएटीएस द्वारा समर्थित क्रमिक उदारीकरण की प्रक्रिया घरेलू बाजार पहुँच को सीमित करने पर लक्षित है, जिससे स्त्री–पुरुष समानता समेत विविध नीति आपत्तियों को लागू करने की राज्य की क्षमता प्रतिबंधित हो जाती है।

इसी तरह, ट्रिप्स को सक्रिय बनाना, *तीन तरीकों* से महिला अधिकारों के लिए समस्याप्रद है। पहला, ट्रिप्स ऐसे करारनामों का समुच्चय है जो राज्यों द्वारा प्रवर्तक या आविष्कारकर्ता को *सीमित* एकाधिकार प्रदान करने के व्यवहार को नियंत्रित करता है। ये निश्चित समयावधि निर्धारित करते हैं जिसके दौरान दूसरे प्रवर्तक इनके विचारों की नकल नहीं मार सकते और इस दौरान मूल प्रवर्तक ऐसे समय में अपने विचार को वाणिज्यिक रूप दे सकें। और शोध एवं विकास पर किसी भी तरह के अपने निवेश की क्षतिपूर्ति कर सकें। इससे समाज के लिए निर्मित पेटेंट आधारित उत्पाद या प्रक्रिया की लागत में बढ़ोतरी हो सकती है।

अतः ट्रिप्स करारनामे प्रवर्तक जो कि अपने प्रयासों की पूर्ण क्षतिपूर्ति का हक रखती है अर्थात् इसके कल्याण और मोटे तौर पर इस नवीनता का भरसक लाभ उठाने समाज के कल्याण के बीच परस्पर संतुलन बनाये रखता है।

ट्रिप्स मुख्य रूप से नवीन कार्यों के व्यापार–संबद्ध पहलुओं पर जोर देता है और प्रवर्तक की नैतिक, कर्त्तव्यपरक और गैर–मौद्रिक मान्यता के महत्व को नज़रअंदाज करता है। ''नवीनता'' के संबंध में यह खास परिभाषा, महिलाओं के लिए समस्यापरक बन जाती है क्योंकि ज्ञान–निर्माण के जगत तक पहुँच स्थापित करने के लिए सामाजिक पूर्वाग्रहों को नियंत्रित करने की दृष्टि से इन्हें निजी लागतों के बोझ को अधिक सहन करना पड़ता है और इसका कारण है कि ये वित्तीय दृष्टि से स्वतंत्र नहीं होती और इन्हें शिक्षा एवं बौद्धिक प्रेरणादायक स्रोतों से अलग रखा जाता है।

दूसरा, ट्रिप्स, प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्रों में *उत्पादों* और *प्रक्रमों* दोनों की पेटेन्टिंग की अनुमति देता है बशर्ते ये नवीन और मौलिक किस्म के कदम हों और औद्योगिक अनुप्रयोग के योग्य हों। महिला हितों पर इनके *दो* महत्वपूर्ण प्रभाव हैं। पहला, उत्पादों और प्रक्रमों दोनों को ट्रिप्स के दायरे में लाया गया है और किसान भावी उत्पादन के लिए अपनी फसलों के बीज अपने पास नहीं रख सकते। चूँकि अधिकतर महिलाएं लघु एवं निर्धन किसान होती हैं, इसलिए इस प्रावधान का खासतौर से उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। दूसरा, ट्रिप्स, उत्पादों और प्रक्रमों क पेटेन्टिंग के लिए आधुनिक औद्योगिक कंपनियों को हकदारी प्रदान करता है और प्रकृति एवं जन की ऐतिहासिक रूप से विकसित सृजनात्मकता पर मुहर नहीं लगाता। इस दृष्टिकोण के अनुसार, पुनरुत्पादन या दोहराने (regeneration) की प्रक्रिया को सृजनात्मकता के रूप में नहीं देखा जाता। पुनरुत्पादित करने का अर्थ लगभग किसी काम को 'दुबारा' (repeat) करना है और जिसे निष्क्रियता के रूप में देखा जाता है। वंदना शिवा का तर्क है कि इस खास अर्थ के मद्देनज़र यदि पुनरुत्पादन (regeneration), महिलाओं और प्रकृति की पुनरुत्पादनपरक भूमिकाएं हैं तब ये ट्रिप्स द्वारा नवीनता के दायरे से बाहर परिभाषित भूमिकाएं हैं और इसी वजह से इन्हें पेटेंट और एकाधिकार के दायरे से बाहर रखा जाता है।

तीसरा, ट्रिप्स की बाधित (proscriptive) प्रकृति प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीय नीति–निर्माण के दायरे पर हावी होने लगती है क्योंकि इससे निर्धारित होता है कि सदस्य राज्यों के लिए क्या करना अत्यावश्यक है। यह अन्य वैश्विक ढाँचों की तरह नहीं है जो परिभाषित करते हैं कि सदस्य राज्यों को क्या नहीं करना चाहिए। ट्रिप्स बेहद सशक्त विनियामक तंत्र है और इसका कारण है कि यह डब्ल्यूटीओ करारनामों के अंतर्गत 'क्रॉस–प्रतिकारात्मक' (cross-retaliatory) क्षेत्र का भाग है और जिसका निहित अर्थ है कि विनियमन के एक क्षेत्र में गैर–अनुरूपता, भिन्न–भिन्न करारनामों द्वारा लाभान्वित क्षेत्रों में व्यापार की दृष्टि से प्रतिकार उत्पन्न कर सकती है। दक्षिण के निर्धनतम देश ऐसे बाधित (proscriptive) और संकेंद्रित (all-encampassing) विनियामक ढाँचों से कभी ज्यादा और कभी कम अनुपात में पीड़ित बने रहते हैं। ट्रिप्स, समझौतों की बातचीत से बनी कुछ खास व्यवस्थाओं के जरिए ज्ञान के प्रबल संवादों को स्थिर बनाये रखने में महत्वपूर्ण है और ऐसी कुछ व्यवस्थाओं ने कुछ मामलों में निर्धन महिलाओं और पुरुषों दोनों के रोजी–रोटी कमाने के स्रोतों को सुरक्षित किया है।

संयुक्त राष्ट्र महिला प्रस्थिति आयोग–बौद्धिक संपदा अधिकारों (आईपीआर) के संबंध में महिलाओं के सम्मुख आने वाले दो अवरोधों पर प्रकाश डालता है। पहला है – परिभाषा और उत्पादन प्रक्रिया में पहुँच और सहभागिता की दृष्टि से महिला और पुरुष के बीच की असमानता। दूसरा है, इस संबंध में महिलाओं की *अपर्याप्त* संस्थागत प्रगति। नारीवादी सिद्धांत, डब्ल्यूटीओ विनियामक ढाँचों की महिला शोषण आधारित प्रकृति का खुलासा करने में आधार प्रदान कर सकता है।

5-4-2 MCY;Vhvk fofu;eu <kpk d tMj lcèkh iokxgk dh Nkuchu e ukjhoknh l)kfrd Jf.k;k

समाजों में शक्ति असंतुलन के विविध स्वरूपों को स्पष्ट करने में प्रयुक्त नारीवादी सैद्धांतिक श्रेणियाँ हैं – *जेंडर, वर्ग* और *भौगोलिक अवस्थिति*। वैश्लेषिक श्रेणी के रूप में 'जेंडर' का प्रयोग *उदारवादी* एवं *मूल नारीवादी सिद्धांतों* में किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार कानूनों के आलोचनात्मक मूल्यांकन के लिए जेंडर का ढाँचे के रूप में प्रयोग *दो* मुद्दों को उभारता है। पहला, डब्ल्यूटीओ *कानूनी ढांचें* में जेंडर मुद्दों की गैरमौजूदगी। दूसरा, डब्ल्यूटीओ *संस्थागत संरचना* में जेंडर मुद्दों की गैर मौजूदगी।

डब्ल्यूटीओ कानूनी ढाँचें में जेंडर मुद्दों की गैर मौजूदगी *दो स्तरों* पर स्पष्ट बन जाती है। पहला, *नियम निर्माण* का स्तर। दूसरा *नियम प्रवर्तन* का स्तर। नियम निर्माण प्रक्रिया बृहद् स्तर पर समूचे प्रवाहों पर ध्यान केंद्रित करती है और घरेलू क्षेत्र को बाज़ार से बाहर के क्षेत्र के रूप में देखती है। तुलना की दृष्टि से, नारीवादी सिद्धांतवादी महिलाओं की आजीविका निर्वाह और अनुभव से अपने विश्लेषण की शुरूआत करते हैं और फलस्वरूप सूक्ष्म स्तर पर जोर देते हैं।

नियम प्रवर्तन प्रक्रिया, जीएटीटी के अंतर्गत निर्मित शक्ति उन्मुख विवाद निपटारा संरचना के बदले निर्मित डब्ल्यूटीओ विवाद निपटान निकाय के तत्वाधान के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय व्यापार नियमों की व्याख्या, क्षेत्र–विस्तार और अनुप्रयोग में तटस्थता पर केंद्रित है। हांलाकि, नारीवादी समीक्षक दावा करता है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार नियम तटस्थ नहीं हैं बल्कि *मूल्यों के बोझ से दबा हुआ* (value-laden) हैं। डब्ल्यूटीओ कानूनी ढाँचे के परिप्रेक्ष्य में इसका निहित अर्थ महिला अनुभवों पर विचार न करना और महिलाओं एवं पुरुषों पर व्यापार के भिन्न–भिन्न प्रभावों से है।

जेंडर की गैर मौजूदगी न सिर्फ कानूनी ढाँचे में बल्कि डब्ल्यू टी ओ की संस्थागत संरचना में भी नज़र आती है। महिलाओं की नियुक्ति कभी–कभार ही डब्ल्यू टी ओ पैनलों के सदस्यों के रूप में ही की जाती है। आरंभ में अपीली (Appellate) निकाय के सभी सात सदस्य पुरुष थे। विवाद निपटान निकाय की एक महिला सदस्या की पेशकश के अलावा, संख्या ज्यों की त्यों ही बनी रही। बाल समर्थक, डब्ल्यू टी ओ संरचनाओं में महिला के अधिक प्रतिनिधित्व पर जोर देते हैं और इनका तर्क है कि अंतरराष्ट्रीय निकायों का व्यावसायिक विकास हुआ है और इनकी प्रशिक्षण की भूमिका है और इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि ये निकाय महिलाओं और पुरुषों दोनों को एकसमान पहुँच सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करें।

'वर्ग', *उदारवादी, मार्क्सवादी* और *समाजवादी* नारीवादी सिद्धांत निर्माण में सम्मिलित अन्य वैश्लेषिक श्रेणी है। *वर्ग, श्रम के बढ़ते नारीकरण* के संबंध में महत्वपूर्ण बन जाता है। व्यापार उदारीकरण के युग में अनौपचारिक, लचीले, सस्ते और प्रचुर मात्रा में श्रमिकों की खोज, एक नये श्रमजीवी वर्ग की सृजना कर रही है जो कि महिलाओं से गठित है। जहाँ मार्क्सवादी और समाजवादी नारीवादी महिला श्रम के शोषण की आलोचना करते हैं, वहीं उदारवादी नारीवादी, श्रम के नारीकरण को व्यापार–परिचालन के सकारात्मक परिणाम के रूप में देखते हैं। इनका दावा है कि विश्व व्यापार में बढ़ोतरी ने महिलाओं के लिए अवसर खोल दिए हैं। इनका मानना है कि महिलाओं को मजदूरी मिलने वाले श्रम बल में सम्मिलित किया जा रहा है जिससे समाज में इनकी स्थिति पहले से बेहतर बन गई है और जिससे घर में इनकी सोच को सभी स्वीकारने लगे हैं, हांलाकि, उदारवादी नारीवादी महिलाओं पर व्यापार के प्रतिकूल प्रभावों के प्रति सजग हैं और इन प्रभावों का पता कठोर कामकाजी दशाओं, निम्न मजदूरी और रोज़गार

असुरक्षा के रूप में नज़र आता है। इसलिए, उदारवादी नारीवादी न सिर्फ इन प्रतिकूल प्रभावों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए व्यापार क्षेत्र में महिला अधिकारों की हिमायत करते हैं, बल्कि व्यापार से अन्य क्षेत्रों में महिलाओं के सकारात्मक रुख पर अधिकाधिक जोर भी देते हैं।

'अवस्थिति, का वैश्लेषिक श्रेणी के रूप में मुख्य रूप से प्रयोग *उत्तर आधुनिक* और *उत्तर औपनिवेशिकवाद* नारीवादी सिद्धांत बनाने के लिए किया जाता है। डब्ल्यूटीओ विनियामक ढाँचों के संदर्भ में, उत्तर औपनिवेशिक नारीवादी द्वारा प्रदत्त अंतर्दृष्टि, तृतीय जगत के राज्यों को ध्यान में रखते हुए इसकी पक्षपातपूर्ण प्रकृति की ओर ध्यान आकृष्ट करती है। पक्षपातपूर्ण लक्षण *दो* व्यवहारों के जरिए नज़र आता है। पहला है, *गैर–पक्षपातपूर्ण संबंधी व्यवहार* जो कि सर्वाधिक समर्थित राष्ट्र (एम एफ एन) और राष्ट्र उपचार (एन टी) नियमों का आधार है। जहाँ एम एफ एन नियम भिन्न–भिन्न राज्यों द्वारा निर्मित उत्पादों को समान महत्व देने की गारंटी देते हैं वहीं एनटी नियम राष्ट्रीय उत्पादों के संबंध में विदेशी उत्पादों को समान महत्व देने का भरोसा दिलाते हैं।

जिससे बाजार में भाग लेने वाले राज्यों की भिन्न–भिन्न आर्थिक प्रतिस्थितियों को ध्यान में रखना संभव नहीं होता। दूसरा है, ऐसे एकल बचत की आवश्यकता जो एक यकायक सभी सदस्य राज्यों को डब्ल्यूटीओ करारनामों पर हस्ताक्षर करने के लिए वाह्य करें जिससे ऐसे ढेर सारे दूंदूकारी आर्थिक एवं विकास संबंधी हितों का महत्व खत्म हो जायेगा जिसका भिन्न–भिन्न राज्य अपनी व्यापार नीतियों में अनुसरण करते हैं। असमानता पनपनती है। गैर–पक्षपातपूर्ण रवैया और एकल वचन–बंधता जैसे व्यापार नियम बहुत से विकसित और कम विकसित देशों के बीच बढ़ती असमानता में योगदान देते हैं। ऐसी बढ़ती असमानता महिलाओं को अपना शिकार बनाती हैं क्योंकि वर्चस्वकारी शक्तियों की मौजूदगी के कारण इन्हें सबसे अधिक गरीबी झेलनी पड़ती है और इससे स्त्री–पुरुष के बीच असमानता पनपती है। अतः बनेरिया और बिसनाथ इस अंतिम निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि निर्धनता के खासतौर पर महिलाओं पर पड़ने वाले प्रभावों को दूर करने की अपेक्षित कार्ययोजना बनाने के लिए महिलाओं को निरंतर अपने अधीन बनाये रखने वाले सिद्धांतों और विचारधाराओं का परित्याग कर, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संसाधनों की दृष्टि से स्त्री–पुरुष के बीच की असमानता की पुष्टि की जानी चाहिए।

5-4-3 fuèkurk dk tsaMj vkèkkfjr iHkkoksa dk mUewyu djus ds fy, MCY;wVhvks fofu;eu <kpk dk budk vuqdwy cukus dk mik;ksa dk ykxw djuk

सावित्री बिसनाथ का मानना है कि निर्धनता के महिलाओं पर पड़ने वाले प्रभावों को दूर करने की कार्ययोजना को बहुपार्शिवक संस्थानों, राज्य सरकारों, गैर सरकारी संगठनों और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रभावों के जरिए तैयार किया जाना चाहिए। ऐसी कार्ययोजना, निम्नलिखित उपायों पर लक्षित होनी चाहिए :

- भू एवं ऋण जैसे उत्पादनपरक संसाधनों पर महिलाओं की पहुँच और इनका नियंत्रण स्थापित करने के लिए कानूनी अड़चनों और सांस्कृतिक अवरोधों को दूर करने वाले उपयुक्त कानून और जन जागरूकता कार्यक्रमों के महत्व को बढ़ाना;
- जेंडर–प्रासंगिक आंकड़ों के आधार पर निर्मित जेंडर–जागरूक विकास नीतियों और कार्यक्रमों के सूत्रीकरण और कार्यान्वयन को प्रेरित करना;

fodkl % igy ,o enn

- अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संतुलित प्रतिफल वितरण सुनिश्चित करने वाली आर्थिक एवं सामाजिक नीति का निर्माण;
- सुनिश्चित करना कि निर्यात अर्थव्यवस्था की लागतों को, आपसी प्रतिस्पर्धा को सुगम बनाने के उद्देश्य से अदत्त (unpaid) कार्यों के दायरे में नहीं डाला गया।
- जेंडर संवेदनशील निर्धनता उन्मूलन नीतियों पर जोर देना;
- सुनिश्चित करना कि नव व्यापार व्यवस्था का कार्यान्वयन, बुनियादी वस्तुओं और सेवाओं और पुरुषों के घरेलू संतुलन को बनाये रखने की कार्यनीतियों पर नकारात्मक प्रभाव नहीं डालता।
- सुनिश्चित करना कि व्यापार उदारीकरण के कारण कर राजस्व में होने वाली क्षति का बुनियादी सेवाओं के प्रावधान पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता।
- सुनिश्चित करना कि व्यापार उदारीकरण की प्रक्रिया से स्त्री–पुरुष असमानताएं या अंतराल प्रबल रूप धारण करने की बजाय, घटने लगती/ते हैं;
- औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों क्षेत्रों में व्यापार उदारीकरण नीतियों के अनुवीक्षण, विश्लेषण और कार्यान्वयन को प्रभावित करने में महिला समूहों को सहयोग देना;
- सापेक्षिक एवं पूर्ण निर्धनता के जेन्डर्ड (gendered) आयामों का विश्लेषण करने के लिए गुणात्मक एवं परिमाणात्मक दोनों शोधविधियों के प्रयोग के महत्व को बढ़ावा देना ताकि आर्थिक नियोजन और निर्धनता को कम करने वाली कार्यनीतियों में बिना मेहनताने के मेहनत–मशकत करने वाले श्रमिकों के योगदानों को इसके अहम् हिस्से के रूप में उजागर किया जा सके।

वर्ष 2001 में दोहा में आयोजित डब्ल्यू टी ओ मंत्रीय सम्मेलन के औपचारिक परिणाम फार्मेस्युटिकल पेटेन्टों (एच आई वी/एड्स उपचार) और कृषि पर लक्षित बौद्धिक संपदा और लोक स्वास्थ्य की तुलना में वर्षों की जटिल एवं प्रबल समझौता वार्ता पर आधारित हैं। विकास में महिला अधिकार संबंधी संघ (ए.डब्ल्यू.आई.डी.) नारीवादी कार्रवाई के लिए उत्तर दोहा एजेंडा के निम्नलिखित घटकों का सुझाव देता है :

- *नये मुद्दें नहीं* चाहिए : डब्ल्यू टी ओ संकल्प व्यापार मुद्दों तक ही सीमित रहना चाहिए। श्रम, पर्यावरण, मानव अधिकार और प्रतिस्पर्धा नीति जैसे मुद्दों के लिए, यह उपयुक्त स्थान नहीं है। अन्य संस्थानों (जैसे कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन और संयुक्त राष्ट्र समितियों) आदि को अन्य ऐसे मुद्दों पर उचित तरीके से ध्यान केंद्रित करने के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान किए जाने चाहिए।
- *शासन और जवाबदेही की नयीं व्यवस्थाएं* : डब्ल्यू टी ओ काफी समय तक गोपनीयता, अलोकतांत्रिक और गैर–जवाबदेही जैसे लक्षणों को दर्शाता रहा है। जरूरी फैसले लेने और निगरानी बनाये रखने की प्रक्रिया में परामर्श, संवाद और सहभागी संस्थानों की सहलग्नता के लिए संरचनाओं की स्थापना करने हेतु राजनीतिक इच्छा और सृजनात्मकता को दर्शानेा अत्यावश्यक है। सूचना आदान–प्रदान, रिपोर्ट देने और सहभागी संस्थानों की सहभागिता को ध्यान में रखते हुए स्पष्ट नियम बनाये जाने चाहिए। सहभागिता–पारदर्शिता, आपसी सहयोग, अधिगम (लर्निंग), समता और लचीलेपन के सिद्धांतों पर आधारित होनी

चाहिए। साथ ही, डब्ल्यू टी ओ में सरकार जोभि जरूरी कदम उठाए, उस संबंध में सरकार की अपने नागरिकों के प्रति जवाबदेही होनी चाहिए।

- *कानूनी स्वतंत्रता* : विवाद निपटान व्यवस्था, डब्ल्यू टी ओ सचिवालय, सदस्य सरकारों और पराराष्ट्रीय निगमों के दायरे से पूरी तरह स्वतंत्र होनी चाहिए, अन्यथा ये सभी अनुपयुक्त तरीके से निपटान संबंधी परिणामों को प्रभावित करने का प्रयास कर सकते हैं। निपटान संबंधी पैनेलिस्टों और अपीली निकाय को समानता और चिरस्थायी के उद्देश्यों के अनुरूप अंतरराष्ट्रीय कानून के सभी सिद्धांतों को लागू करना चाहिए और डब्ल्यू टी ओ के महत्व को खोल कर समझाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, गैर सरकारी संगठनों सहित गैर–सरकारी लाभार्थी संस्थानों की सहभागिता के लिए साफ और निश्पक्ष कार्यपद्धति विकसित करना आवश्यक है।

- *मानव विकास, प्रमुख मार्गदर्शी सिद्धांत के रूप में* : हमें अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रबल मॉडल पर पुनः ध्यान देने और इसे आधार देने वाले मूल्यों और अवधारणाओं को चुनौती देने की आवश्यकता है। 'प्रतिस्पर्धा' की बजाय 'सहयोग' को व्यापार उदारीकरण के बुनियादी मार्गदर्शी मूल्य के रूप में क्यों नहीं विचारा जाना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, व्यापार नीति, राज्य की समूची विकास कार्यनीति के दायरे में निहित होनी चाहिए और अपने विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हर राज्य में अनिवार्य लचीलापन और नीति स्वायत्तता का होना अत्यावश्यक है। व्यापार उदारीकरण को अंतिम लक्ष्य के रूप में नहीं देखा जा सकता। डब्ल्यू टी ओ का मूल्यांकन निर्धनता कम करने, समानता और चिरस्थायी मानव विकास के प्रति इसके योगदान के अनुरूप मूल्यांकित किया जाना चाहिए।

- *विकासशील देशों पर पहले ध्यान* : डब्ल्यू टी ओ में व्याप्त असंतुलनों को दूर करना अत्यावश्यक है और डब्ल्यू टी ओ एजेंडा, विकासशील देशों की जरूरतों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए तैयार किया जाना चाहिए। विकासशील राज्यों की समझौताकारी और अनुवीक्षण क्षमता को अनिवार्य रूप से बढ़ाया जाना चाहिए और ऐसे तंत्रों को विकसित करना जरूरी है ताकि पराराष्ट्रीय निगमों को इनकी कार्रवाइयों के लिए जिम्मेदार बनाया जा सकें। विकसित राज्यों को, विकासशील राज्यों के उत्पादों के लिए अपने बाजारों को खोलना चाहिए और उदारीकरण वचनबद्धताओं के संबंध में इन्हें उपयुक्त छूट भी देनी चाहिए। अंततः आवश्यक है कि विकसित और विकासशील देश मिलजुल कर निर्धन और महिला वर्ग के लिए अवसरों को पुनः वितरित करने की शुरूआत करें।

- *जेंडर विश्लेषण* : हम जेंडर और व्यापार नीतियों के संबंध के बारे में अभी तक पर्याप्त रूप से नहीं जानते। हमें मौजूदा व्यापार नीतियों, विशिष्ट डब्ल्यू टी ओ करारनामों, भिन्न–भिन्न क्षेत्रों और व्यापार–संबद्ध हर प्रकार के मुद्दों का व्यापक जेंडर विश्लेषण करने की आवश्यकता है। यह समझना भी जरूरी है कि नव व्यापार संबंधों से महिलाओं को कब लाभ पहुँचता है और कब हानि और यह कि भिन्न–भिन्न व्यापार–संबद्ध नीतियाँ महिला सशक्तीकरण पर अपना प्रभाव कैसे छोड़ती हैं। महिला अधिकारों को गारंटी देने वाली वैकल्पिक एवं उपयुक्त नीतियों को स्पष्ट करने और अधिक न्यायपूर्ण एवं स्थायी जगत में योगदान देने के लिए शोधकर्ता और महिला अधिकार हिमायती समूहों को मिलजुल कर काम करने की जरूरत है।

ckèk iz'u 2

uksV : i) प्रश्नों के उत्तर नीचे दिए गए खाली स्थान में लिखिए।

ii) अपने उत्तर की तुलना इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए।

1. जीएटीटी से संबंधित मानदंड, महिलाओं के सामाजिक–आर्थिक अधिकारों की प्रभाविता को कैसे कम कर देते हैं?

....

....

....

2. ट्रिप्स (TRIPS) करारनामे महिला हितों के लिए हानिप्रद कैसे हैं?

....

....

....

3. भिन्न–भिन्न नारीवादी विचारक, डब्ल्यूटीओ विनियामक ढाँचों की जेंडर–पक्षपाती प्रकृति का खुलासा कैसे करते हैं?

....

....

....

4. महिला सामाजिक–आर्थिक अधिकारों को सुरक्षित करने और महिला सशक्तीकरण के महत्व को बढ़ाने के उद्देश्य से डब्ल्यू टी ओ विनियामक ढाँचों को इनके अनुकूल बनाने के तरीकों को व्यक्त कीजिए।

....

....

....

....

5-5 fofu;eu <kpk d y{; d :Ik e L=h&i#"k lekurk dk irk yxkuk

डब्ल्यू टी ओ के विनियमन संबंधी ढाँचे नव–उदारवाद की ऐसी विचारधारा पर आधारित हैं जो एडम स्मिथ के बज़ार के 'अदर्शनीय' हाथों वाले दृष्टिकोण का अनुमोदन करते हैं और इसी दृष्टिकोण के आधार पर बाज़ार के सहभागियों की 'उत्पादक', 'व्यापारी' और 'उपभोक्ता' जैसे जेंडर तटस्थ नामों से प्रस्तुति की जाती है। नव–उदारवाद व्यापार संबंधी सिद्धांत यह मान कर चलते हैं कि मुक्त व्यापार और मुक्त बाज़ार अनिवार्य रूप से आर्थिक संवृद्धि लाते हैं। माना जाता है कि आर्थिक संवृद्धि आंषिक रूप से वैश्विक अर्थव्यस्था के विकासशील राज्यों के एकीकरण के जरिए सुगम बनती है। हाँलाकि, ऐसी अवधारणाएं आर्थिक संवृद्धि के बहुत से महत्वपूर्ण मुद्दों को अनदेखा करती हैं। उदाहरण के तौर पर ये इस तथ्य को ध्यान में नहीं रख पाती कि विश्व व्यवस्था के भीतर

सदस्य राज्य की प्रारंभिक दशा एवं स्थिति दोनों इसकी बाज़ार संरचना और व्यापार संबंधी परिणामों को प्रभावित करती है। तत्पश्चात्, उपनिवेशवाद और पितृतंत्र का इतिहास न सिर्फ राज्यों बल्कि इन राज्यों में बसे महिला और पुरुष नागरिकों की उत्पादनपरक और जनन संबंधी क्षमताओं पर भी प्रकाश डालते हैं।

स्मिथ का तर्क है कि कोई भी व्यक्ति–विशेष सोपानक्रम आधारित सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्थाओं में कुछ खास बलों और सिद्धांतों के आधार पर संरचनागत तरीके से अपनी स्थिति बनाता है जहाँ उसकी अपनी इच्छाशक्ति का कोई महत्व नहीं होता। ये संरचनागत स्थितियाँ व्यक्तियों की जीवन संभावनाओं को साकार करती हैं क्योंकि ऐसी संभावनाएं भौतिक संसाधनों के वितरण का निर्धारण करने वाले शक्ति संबंधों के सापेक्षिक रूप से स्थिर नेटवर्कों में निहित कराई जाती हैं। इसलिए, देसी और विदेशी समाजों में महिलाओं की संरचनागत स्थिति इनकी पसंदों और प्राथमिकताओं को प्रभावित करती है। अन्य शब्दों में, राष्ट्रीय एवं वैश्विक बाज़ारों में पनपने वाला असमुचित विकास और असमान शक्ति संबंध ऐसी स्थितियों का गठन करते हैं जहाँ न सिर्फ राज्य बल्कि स्त्री और पुरुष भी समान शर्तों पर बाज़ार में भाग नहीं ले पाते। स्त्रियों और पुरुषों के समान प्रवेश और सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए विनियामक ढाँचों को ऐसे मंचों का अवश्य गठन करना होगा जहाँ नारीवादी गतिविधियों के लिए उचित कदम उठाना संभव हो। सेन आशावादी नज़रिए से इस बात का दावा करते हैं कि यद्यपि बहुत से उदाहरणों में बाज़ार विस्तार पहले से मौजूद जेंडर संबंधों को कायम रखता है और इन्हें बनाये रखने पर जोर देता है, लेकिन ऐसा विस्तार ऐसे संबंधों को हिला भी सकता है और नारीवादी गतिविधियों को लागू करने के लिए नये अवसरों को खोल भी सकता है। *कबीर* के अनुसार, *जेंडर परिवर्तनकारी नीति* महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के संसाधन प्रदान करने की आशा जाग्रत कर सकती है और एसे सामर्थ्य निर्माणकारी संसाधनों के साथ महिलाएं अपने जीवन को बेहतर तरीके से नियंत्रित करने की स्थिति में हो सकती हैं ओर वे यह भी तय कर सकती हैं कि वे किस प्रकार के जेंडर संबंधों के साथ आत्मसात् करना चाहती हैं और इस तरह वे ऐसी कार्यनीतियों और विवाह संबंधों से सामंजस्य स्थापित कर सकती हैं जो इन्हें अपनी स्थिति मज़बूत बनाने में, इनके लिए सहायक हो सकते हैं। डब्ल्यू टी ओ विनियामक ढाँचों के संदर्भ में *जेंडर परिवर्तनकारी नीति* दो कारकों पर ध्यान केंद्रित करेगी : (1) संसाधनों का समान *पुनःवितरण;* (2) नीतियों का उचित *नियमन*। डब्ल्यू टी ओ की विधिक और संस्थागत संरचनाओं को पुनः वितरण और विनियमन के प्रति उन्मुख होना चाहिए।

5-6 lkjk'k

डब्ल्यूटीओ चार्टर ठोस वितरणकारी निहितार्थों वाले महत्वपूर्ण उद्देश्यों को उचित महत्व देता है। इनमें चिरस्थायी विकास के उद्देश्य, हर किसी के जीवन स्तर को बेहतर बनाना, ऐसे सकारात्मक प्रयासों की आवश्यकता को महत्व देना ताकि सुनिश्चित हो कि विकासशील और अल्पतम विकसित राज्य अपने–अपने आर्थिक विकास के अनुरूप अंतरराष्ट्रीय व्यापार की वृद्धि में अपना हिस्सा सुरक्षित कर पायेंगे आदि जैसी बातें सम्मिलित है। समाज के भिन्न–भिन्न तबकों पर व्यापार के वितरणकारी परिणामों को ध्यान में रखने के लिए नव अंगीकृत 'व्यापार के लिए मदद' (aid for trade) का प्रारंभिक प्रयास करना, ताकि व्यापार विनियम का दायरा विस्तृत हो। इसी तरह ट्रिप्स में प्रस्तुत 'विशेष और भिन्न–भिन्न उपचार संबंधी लचीलेपनों' का प्रावधान विकसित देशों से विकासशील और अल्पतम विकसित राज्यों को संसाधन अंतरित करता है, ताकि पुनःवितरक लक्ष्यों के अनुरूप समंजन की प्रक्रिया को साकार किया जा सके। अंततः

नियोजन, कार्यान्वयन, अनुवीक्षण और मूल्यांकन चरणों के दौरान महिलाओं और पुरुषों की संबद्ध स्थिति पर हर किस्म की नीति और उपायों के प्रभाव का पता लगाने की आवश्यकता पर जोर देने वाले 'जेंडर मेनस्ट्रिमिंग' के विचार को निरंतर आदर्श साधन के रूप में अभिव्यक्त किया जा रहा है ताकि विनियामक ढाँचों के पुनःवितरणकारी और नियमनकारी लक्ष्यों में जेंडर संबंधी तत्व को इसका अहम् भाग बनाया जा सके।

5-7 'kCnkoyh

ckf)d link vfèkdkj (Intellectual Property Rights) % व्यक्ति विशेष के बौद्धिक दृष्टिकोण के आधार पर इन्हे सौंपे जाने वाले अधिकारों को बौद्धिक संपदा अधिकारों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ये सृजननकर्ता को निश्चित अवधि के लिए उसकी सृजनाओं के उपयोग के लिए पूर्ण अधिकार प्रदान करता है।

बौद्धिक संपदा अधिकार मूल रूप से दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित हैं। ये हैं :

- **dkihjkbV vkj dkihjkbV ls lc) vfèkdkj** % ऐसे अधिकार साहित्यिक एवं सृजनात्मक या कलात्मक कार्यों के रचयिताओं और कलाकारी का प्रदर्शन करने वालों और फोनोग्राम और प्रसारण संबंधी संगठनों के निर्माताओं को प्रदान किए जाते हैं। कॉपीराइट और संबद्ध अधिकारों की सुरक्षा करने का मुख्य उद्देश्य सृजनात्मक कार्यों को प्रोत्साहित एवं पुरस्कृत करना है।
- **vk|kfxd link (Industrial property)** % इसमें सम्मिलित हैं (1) ट्रेडमार्क और भौगोलिक सूचकों जैसे विशिष्ट संकेतों की सुरक्षा, और (2) नवीनता, अभिकल्पना और प्रौद्योगिकी की सृजना को मुख्य रूप से प्रेरित करने के लिए, ऐसी संपदा को सुरक्षा प्रदान करना सम्मिलित है। इस श्रेणी में (पेटेंटों द्वारा संरक्षित) अंतःक्षेप, औद्योगिक डिज़ाइन और ट्रेडसिक्रेट सम्मिलित हैं।

5-8 ckèk i'uk d mÙkj

Ckkèk i'u 1

1. जीएटीटी, जीएटीएस और ट्रिप्स समकालीन जगत को अंतरराष्ट्रीय व्यापार विनियमन के बुनियादी साधनों का गठन करते हैं। जीएटीटी पर समझौते की बातचीत संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं रोज़गार सम्मेलन के दौरान टैरिफ कम करने और सदस्य राज्यों में वस्तुओं के मुक्त व्यापार के महत्व को बढ़ाने के उद्देश्य से की गई। यद्यपि जीएटीटी मुक्त व्यापार आधारित बहुपक्षीय करारनामे को पूरा करने के लिए की गई थी, लेकिन समझौते की बातचीत के बहुत से दौरों के दौरान बहुवादी (pluralist) करारनामें ने चुनिंदा व्यापार करने की बात पर मुहर लगाई और इससे सदस्य राज्यों में विखंडन की स्थिति उत्पन्न हो गई। परिणामस्वरूप वर्ष 1947 में गठित जीएटीटी, डब्ल्यूटीओ के अस्तित्व में आने तक, वर्ष 1995 तक अस्तित्व में रहा। मूल जीएटीटी विषय (जीएटीटी 1947), जीएटीटी 1994 के संशोधन के आधार पर अभी भी, डब्ल्यूटीओ ढाँचे के तहत प्रभाव में है।

   जहाँ जीएटीटी, राष्ट्र राज्यों द्वारा सम्मत नियमों का समुच्चय था, वहीं डब्ल्यूटीओ ऐसा संस्थागत निकाय है जिसने जीएटीटी के दायरे को व्यापार योग्य वस्तुए से सेवा, पूंजी, बौद्धिक संपदा, वस्त्र और कृषि जैसे महत्वपूर्ण नये क्षेत्रों तक *विस्तारित* कर दिया है। इस विस्तार से जीएटीएस और ट्रिप्स को व्यावहारिकता में लागू करना संभव हुआ है। जीएटीटी, बैंक, दूर संचार कंपनियाँ, टूअर ऑपरेटर, स्वास्थ्य

देखभाल प्रबंधक, ऊर्जा कंपनियाँ और शिक्षा प्रबंधकों सहित सेवा प्रबंधकों पर लागू है। ट्रिप्स, बौद्धिक संपदा अधिकारों को संरक्षित करने के नियमों का निर्धारण करता है (कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, उत्पाद नाम, औद्योगिक डिज़ाइन और ट्रेड सीक्रेट समेत) जब अंतरराष्ट्रीय व्यापार सम्मिलित हों। ये करारनामे बहुत से क्षेत्रों में लागू हैं जिनमें लोक सेवाएं, स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्य सुरक्षा, जैव विविधता, कृषि और परंपरागत समझबूझ आदि सम्मिलित हैं, खासतौर पर जेंडर विशिष्ट निहितार्थों वाले क्षेत्र।

2. मरियाना विलियम्स का मानना है कि हस्तक्षेपरहित (untempered) व्यापार उदारीकरण से आगे संबद्ध राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में व्याप्त मुख्य गतिविधियों में न सिर्फ महिलाओं को *दरकिनार* ही किया जाता है बल्कि इससे महिलाओं के सामाजिक–आर्थिक अधिकारों का हनन भी होता है। जीएटटी, जीएटीएस और ट्रिप्स के कार्यान्वयन ने महिलाओं को बेहद जोखिमपूर्ण दशाओं में काम करने के लिए बाध्य कर दिया है क्योंकि इन करारनामों द्वारा समर्थित व्यापार उदारीकरण की नीतियों ने औद्योगिक क्षेत्र, वाणिज्यिक कृषि और निर्यात प्रसंस्करण अंचलों में महिला रोज़गार के अवसरों को बढ़ा दिया है और जिसका पता कम मजदूरी और अनौपचारिक रोज़गार बंदोबस्त को देख कर चलता है जिससे महिला कामगारों की सुरक्षा और हैसियत खतरे में पड़ती नज़र आती है। ये व्यापार करारनामें भोजन, दवाई, घरेलू वस्तुओं की लागत और उपलब्धता को भी प्रभावित करते हैं जिससे महिलाओं को बलपूर्वक औपचारिक श्रमबल में खींचा जाता है। महिलाओं को *दोहरे बोझ* का सामना करना पड़ता है जब महिलाओं को बिना पैसे वाले ढेर सारे मेहनत–मशकत वाले काम करने पड़ते हैं। प्रजनन संबंधी कार्यों के लिए महिलाओं के पास कम समय बचता है लेकिन साथ ही, औपचारिक सेवाएं प्रदान करने के लिए इन्हें निरंतर ढेर सारी मांगों का सामना करना पड़ता है। स्त्री–पुरुष आधारित असमानताएं विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण में ऐसी असमानताएं व्यापार उदारीकरण नीतियों द्वारा सृजित उद्यमता संबंधी अवसरों के लाभों की प्राप्ति करने में महिलाओं की योग्यताओं को अवरुद्ध करती है। इससे व्यापार उदारीकरण नीतियों द्वारा सृजित आर्थिक फायदों से संबंधित *उत्पादन प्रतिक्रिया* प्रतिबंधित हो जाती है और समूची अर्थव्यवस्था की निर्यात क्षमता अवरुद्ध हो जाती है। जेंडर विश्लेषण दर्शाता है कि जेंडर–शून्य व्यापार उदारीकरण नीतियाँ सामान्य रूप से निर्धनता उन्मूलन और विशेष रूप से महिलाओं के सामाजिक–आर्थिक उत्थान में प्रत्याशित योगदान देने मेंकैसे असफल हो जाती है। हम जो प्रश्न पूछना चाहते हैं वह यह नहीं है कि क्या व्यापार उदारीकरण, समूह के रूप में महिलाओं के लिए अच्छा है या बुरा बल्कि हमारा प्रश्न यह है कि व्यापार उदारीरकण नीतियाँ किस प्रकार हरेक को मानव अधिकारों की प्राप्ति करने में योगदान दे सकती हैं। इसके लिए हमें स्त्री–पुरुष समानता संबंधी गंभीर मुद्दों के कानूनी और सैद्धांतिक आयामों और अंतरराष्ट्रीय व्यापार कानून का व्यापक विश्लेषण करना होगा।

3. ट्रिप्स को सक्रिय बनाना, *तीन तरीकों* से महिला अधिकारों के लिए समस्याप्रद है। पहला, ट्रिप्स ऐसे करारनामों का समुच्चय है जो राज्यों द्वारा प्रवर्तक या आविश्कर्ता को *सीमित* एकाधिकार प्रदान करने के व्यवहार को नियंत्रित करता है। ये निश्चित समयावधि निर्धारित करते हैं जिसके दौरान दूसरे प्रवर्तक के विचारों की नकल नहीं मार सकते ताकि वह ऐसे समय में अपने विचार को वाणिज्यिक रूप दे सकें। और शोध एवं विकास पर किसी भी तरह के अपने निवेश की क्षतिपूर्ति कर सकें। इससे समाज के लिए निर्मित पेटेंड उत्पाद या प्रक्रिया की लागत में बढ़ोतरी हो सकती

है। अतः ट्रिप्स करारनामे के लिए क्षतिपूर्ति की कुल मिलाकर नवीन प्रयोगों तक असीमित पहुँच बनाकर लाभ कमाने वाले समाज के हित के बजाय, प्रवर्तक के हित पर जोर देते हैं जिसे अपने प्रयासों के लिए क्षतिपूर्ति का पूरा हक है। ट्रिप्स मुख्य रूप से नवीन कार्यों के व्यापार–संबद्ध पहलुओं पर जोर देता है और प्रवर्तक की नैतिक, कर्त्तव्यपरक और गैर–मौद्रिक मान्यता के महत्व को नज़रअंदाज करता है। ''नवीनता'' के संबंध में यह खास परिभाषा, महिलाओं के लिए समस्यापरक बन जाती है क्योंकि ज्ञान–निर्माण के जगत तक पहुँच स्थापित करने के लिए सामाजिक पूर्वाग्रहों को नियंत्रित करने की दृष्टि से इन्हें निजी लागतों के बोझ को अधिक सहन करना पड़ता है और इसका कारण है कि ये वित्तीय दृष्टि से स्वतंत्र नहीं होती और शिक्षा एवं बौद्धिक प्रेरणादायक स्रोतों से इन्हें अलग रखा जाता है।

दूसरा, ट्रिप्स, प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्रों में *उत्पादों* और *प्रक्रमों* दोनों की पेटेन्टिंग की अनुमति देता है बशर्ते ये नवीन और मौलिक किस्म के कदम हों और औद्योगिक अनुप्रयोग के योग्य हों। महिला हितों पर इनके *दो* महत्वपूर्ण प्रभाव हैं। पहला, उत्पादों और प्रक्रमों दोनों को ट्रिप्स के दायरे में लाया गया है और किसान भावी उत्पादन के लिए अपनी फसलों के बीज अपने पास नहीं रख सकते। चूंकि अधिकार महिलाएं लघु एवं निर्धन किसान होती हैं, इसलिए इस प्रावधान का खासतौर से उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। दूसरा, ट्रिप्स, उत्पादों और प्रक्रमों क पेटेन्टिंग के लिए आधुनिक औद्योगिक कंपनियों को हकदारी प्रदान करता है और प्रकृति एवं जन की *ऐतिहासिक* रूप से विकसित सृजनात्मकता पर मुहर नहीं लगाता। इस दृष्टिकोण के अनुसार, *पुनरुत्पादन* या दोहराने (regeneration) की प्रक्रिया को सृजनात्मकता के रूप में नहीं देखा जाता। पुनरुत्पादित करने का अर्थ लगभग 'दुबारा' (repeat) करना है और जिसे निष्क्रियता के रूप में देखा जाता है। वंदना शिवा का तर्क है कि इस खास अर्थ के मद्देनज़र यदि पुनरुत्पादन (regeneration), महिलाओं और प्रकृति की पुनरुत्पादनपरक भूमिकाएं हैं तब ये ट्रिप्स द्वारा नवीनता के दायरे से बाहर परिभाषित भूमिकाएं हैं और इसी वजह से इन्हें पेटेंट और एकाधिकार के दायरे से बाहर रखा जाता है।

तीसरा, ट्रिप्स की *बाधित* (proscriptive) प्रकृति प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीय नीति–निर्माण के दायरे पर हावी होने लगती है क्योंकि इससे निर्धारित होता है कि सदस्य राज्यों के लिए क्या करना अत्यावश्यक है। यह अन्य वैश्विक ढाँचों की तरह नहीं है जो परिभाषित करते हैं कि सदस्य राज्यों को क्या नहीं करना चाहिए। ट्रिप्स बेहद सशक्त विनियामक तंत्र है और इसका कारण है कि यह डब्ल्यूटीओ करारनामों के अंतर्गत 'क्रॉस–प्रतिकारात्मक' (cross-retaliatory) क्षेत्र का भाग है और जिसका निहित अर्थ है कि विनियमन के एक क्षेत्र में गैर–अनुरूपता, भिन्न–भिन्न करारनामों द्वारा लाभान्वित क्षेत्रों में व्यापार की दृष्टि से प्रतिकार उत्पन्न कर सकती है। दक्षिण के निर्धनतम देश ऐसे बाधित (proscriptive) और *संकेंद्रित* (all-encampassing) विनियामक ढाँचों से कभी ज्यादा और कभी कम अनुपात में ग्रस्त बने रहते हैं। ट्रिप्स, समझौतों की बातचीत से बनी कुछ खास व्यवस्थाओं के जरिए ज्ञान के प्रबल संवादों को स्थिर बनाये रखने में महत्वपूर्ण है और ऐसी कुछ व्यवस्थाओं ने कुछ मामलों में निर्धन महिलाओं और पुरुषों दोनों के रोजी–रोटी कमाने के स्रोतों को सुरक्षित किया है।

संयुक्त राष्ट्र महिला प्रस्थिति आयोग बौद्धिक संपदा अधिकारों (आईपीआर) के संबंध में महिलाओं के सम्मुख आने वाले दो अवरोधों पर प्रकाश डालता है। पहला है – परिभाषा और उत्पादन प्रक्रिया में पहुँच और सहभागिता की दृष्टि से महिला और पुरुष के बीच की असमानता। दूसरा है, इस संबंध में महिलाओं की *अपर्याप्त*

संस्थागत प्रगति। नारीवादी सिद्धांत, डब्ल्यूटीओ विनियामक ढाँचों की महिला शोषण आधारित प्रकृति का खुलासा करने में आधार प्रदान कर सकती है।

Ckkèk i'u 2

1. समाजों में शक्ति असंतुलन के विविध स्वरूपों को स्पष्ट करने में प्रयुक्त नारीवादी सैद्धांतिक श्रेणियाँ हैं – *जेंडर, वर्ग* और *भौगोलिक अवस्थिति*। वैश्लेषिक श्रेणी के रूप में 'जेंडर' का प्रयोग *उदारवादी* एवं *मूल नारीवादी सिद्धांतों* में किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार कानूनों के आलोचनात्मक मूल्यांकन के लिए जेंडर का ढाँचे के रूप में प्रयोग *दो* मुद्दों को उभारता है। पहला, डब्ल्यूटीओ *कानूनी ढांचें* में जेंडर मुद्दों की गैर मौजूदगी। दूसरा, डब्ल्यूटीओ *संस्थागत संरचना* में जेंडर मुद्दों की गैर मौजूदगी।

2. नये *मुद्दें नहीं* चाहिए : डब्ल्यू टी ओ संकल्प व्यापार मुद्दों तक ही सीमित रहना चाहिए। श्रम, पर्यावरण, मानव अधिकार और प्रतिस्पर्धा नीति जैसे मुद्दों के लिए, यह उपयुक्त स्थान नहीं है। अन्य संस्थानों (जैसे कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन और संयुक्त राष्ट्र समितियों) आदि को अन्य ऐसे मुद्दों पर उचित तरीके से ध्यान केंद्रित करने के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान किए जाने चाहिए।

3. शासन और जवाबदेही की नई व्यवस्थाओं को स्थापित किया जाना चाहिए' न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित की जा सकती है; प्रमुख मार्गदर्शी सिद्धांत के रूप में मानव विकास सुनिश्चित करना और देते हुए, जेंडर विश्लेषण करना।

5-9 dN mi;kxh iLrd

Andrew T. F. Lang, 'Reflecting on 'Linkage': Cognitive and Institutional Change in the International Trading System', *Modern Law Review*, 2007, pp. 523-549.

Anna Marie Smith, *Laclau and Mouffe: The Radical Democratic Imaginary*, Routledge, 1998.

Caroline O. N. MoserGender, Planning and Development: Theory, Practice and Training, New York: Routledge, 1993.

Catherin Hoskyns, *Linking Gender and International Trade Policy: Is Interaction possible?*, Centre for the Study of Globalization and Regionalization, 2007 available at <http://www.warwick.ac.uk/fac/soc/csgr/research/abstracts/217 9/11/07>.

Deborah Z. Cass, The Constitutionalization of the World Trade Organization: Legitimacy, Democracy and Community in International Trading System, Oxford: Oxford University Press, 2005.

Diana Strassmann, 'Not a Free Market: The Rhetoric of Disciplinary Authority in Economics' in Maranne Ferber and Julie Nelson (eds.) *Beyond Economic Man: Feminist Theories and Economics*, Chicago: University of Chicago Press, 1993.

Dorothy I. Riddle, 'A Gender Based Analysis of International Trade in Services: The Experience of Developing Countries' in Anh-Nga Traqn-Nguyen and Americo Beviglia Zampetti *Trade and Gender: Opportunities and Challenges for Developing Countries*, UNCTAD, 2004.

Emezat H. Mengesha, Making *the International Trade Regime Work for Gender Equality*, 2008 available at siteresources.worldbank.org/INTRAD/Resources/EMengesha.pdf.

Gita Sen and Caren Grown, *Development, Crises and Alternative Visions: Third World Women's Perspectives*, Monthly Review Press, 1988.

Gita Sen, 'Gender, Markets and State: A Selective Review and Research Agenda', *World Development*, 1996, Vol. 24, No. 5, pp. 821-829.

Gita Sen and Srilatha Batliwala April 21-24, 1997 'Empowering Women for Reproductive Rights: Moving Beyond Cairo', paper prepared for the seminar on Female Empowerment and Demographic Processes: Moving Beyond Cairo, Sweden.

Isabella Bakker (ed.), *the Strategic Silence: Gender and Economic Policy*, New Delhi: Zed Books, 1994.

Laura McDonald, 'Trade with a Female Face' in Annie Taylor and Caroline Thomas (eds.) Global Trade and Global Issues, New Delhi: Routledge, 1999

Lourdes Beneria, 'Global Markets, Gender and the Davos Man', *Feminist Economist*, 1999, Vol.5, No.3

Mary Childs, 'Feminist Perspective on International Trade Law' in Asif H. Qureshi (ed.) *Perspectives in International Economic Law*, Kluwer Law International, 2002.

N. Cagata, *Trade, Gender and Poverty*, United Nations Development Programme, 2001, pp 26-27.

Naila Kabeer, *Reversed Realities: Gender Hierarchies in Development Thought*, New Delhi:Verso, 1994.

Naila Kabeer Power *to Choose: Bangladeshi Women and Labour Market Decisions in London and Dhaka*, New Delhi: Verso, 2000.

Nelly P. Stromquist, 'The Theoretical and Practical Bases for Empowerment' in Carolyn Medel-Anonuevo (ed.) *Women, Education and Empowerment: Pathways towards Autonomy*, UNESCO, 1995.

Rita S. Gallin (ed.), *The Women and International Development Annual*, Volume 4, Westview Press, 1995.

Savitri Bisnath, *Poverty in a Globalizing World at Different Stages of women's Life Cycle*,2001available at http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/empower/documents/Bisnath-EP3.pdf.

Shirin M. Rai, the *Gender Politics of Development*, New Delhi: Zed Books, 2008.

5-10 fpru ,o vH;kl grq i'u

1. जेंडर और अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित विधानों/मानदंडों की कडियों की जाँच कीजिए।

2. नारीवादी सिद्धांतों और अंतरराष्ट्रीय व्यापार कानून के संबंध का विश्लेषण कीजिए।

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY